मार्च २०२० / पृष्ठ ५२ / मूल्य ₹१०

लोकराज्य

स्त्री से सुपर वुमन

शिव जन्मोत्सव

शहनाई, नगाड़े के मंजुल स्वर, तुतारी की गगनभेदी गर्जना, ढोल ताशों के निनाद, भगवा पताका, 'जय भवानी जय शिवाजी', 'छत्रपति शिवाजी महाराज की जय' के उद्‌घोष भरे आनंदमयी वातावरण और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में शिव जन्मोत्सव समारोह शिवनेरी किले पर उत्साह के साथ मनाया गया।

अंतरंग

'उसका' सक्षमीकरण ६

समाज को यदि सक्षम बनाना है तो समाज में महिलाओं का सबलीकरण करना आवश्यक है। राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढावा देकर उन्हें उन्नति करने के प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

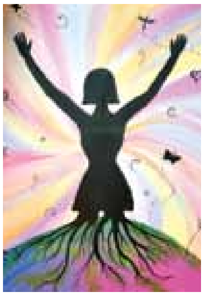

प्रेरणा का आदर्श १५

महिलायें हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरें इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। ऊंची उड़ान भरने की प्रवृति कुछ महिलाओं में स्वयं उपजती है जबकि कुछ महिलायें जिद्द और कठोर परिश्रम के दम पर स्वयं की एक पहचान बनाकर सामान्य महिलाओं के समक्ष एक आदर्श निर्माण करती हैं।

इंटरनेट पर जालसाजी

इंटरनेट या महानेट पर भी इसे प्रकार से कुछ समाज कंटक अपनी विकृत मानसिकता लिए सक्रिय रहते हैं। इस माध्यम का उपयोग कर महिलाओं का शोषण करने वाले सायबर गुनाहों की उपस्थिति घबराकर छोड़ने वाली यदि महिलायें अधिक जागरूकता के साथ इस

हक और अधिकार

महिलाओं में क़ानून के बारे जन जागृति के लिए सरकार ,विविध सामाजिक संगठन ,व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे हैं फिर भी महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए समाज को स्वस्फूर्त रूप से आगे आना जरूरी है।

महाराष्ट्र का गर्व रायगड ४८

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का गवाह 'रायगड' महाराष्ट्र के दैदीप्यमान इतिहास की गवाही देता है। रायगड केवल गड नहीं अपितु महाराष्ट्र की अस्मिता और अभिमान की पहचान है। शिवकाल के अनेक उतार चढाव के अनुभव वाला, उत्कृष्ट निर्माण की निशानी वाला यह गड शिवप्रेमियों और दुर्ग प्रेमियों के लिए तीर्थस्थल है।

'उसका' सक्षमीकरण	६
शिक्षा, संस्कृति और संस्कार	१०
बेसहारों को सहारा	१२
सक्षम माता, सुदृढ़ बालक...	१३
अल्प संख्यक महिलाओं की उन्नति	१४
प्रेरणा के आदर्श	१५
उसकी हिम्मत को सरकार का साथ	१७
महिलायें विकास में अग्रणी	१८
कौशल्य को नए पंख	२२
हक़ और अधिकार	२४
इंटरनेट पर जालसाजी से सावधानी	२८
दिल्ली में 'मराठी नारी शक्ति'	३०
किसानों के हित के लिए	३४
मंत्रिमंडल में तय हुआ	३६
एक नजर	३६-४६
परिवार प्रमुख के सुखद दर्शन	४४
नया कोकण नया महाराष्ट्र बनाएंगे	४६
महाराष्ट्र का गर्व रायगड	४८
निरोगी महिला -निरोगी समाज	५०
कर्ज ख़त्म हुआ साहब, अब बेटी की शादी में आइये...	५१

वर्ष २ । अंक ६ । मार्च २०२०

सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय,
महाराष्ट्र सरकार

लोकराज्य

संपादन

मुख्य संपादक	डॉ. दिलीप पांढरपट्टे
संपादक मंडळ	अजय अंबेकर
	सुरेश वांदिले
संपादक	अनिल आलूरकर
उप संपादक	प्रवीण कुलकर्णी
	गजानन पाटिल
	राजाराम देवकर

वितरण व डिजाईन

वितरण	मंगेश वरकड
	अश्विनी पुजारी
सहायक	भारती वाघ
मुखपृष्ठ सज्जा	सीमा रनाळकर
	सुशिम कांबळे
मुद्रक	मे. मुद्रण प्रिंट एन पैक प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं. सी - २६० एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, सविता केमिकल रोड, बिहाइंड गोकुल होटल, पवने, नवी मुंबई - ४००७०३

टीम मुद्रण

संपादक	संजय राय
सहायक संपादक	संजय गुरव
साज सज्जा	जयश्री भागवत

पता सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय,
महाराष्ट्र सरकार न्यू प्रशासन भवन, १७ वीं मंजिल, मंत्रालय के सामने, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२
Email : lokrajya.dgipr@maharashtra.gov.in

वितरण - क्रेता

क्रेता और वाद-विवाद निवारण - ९३७२२३०३२०
(सुबह १०.३० से ५.३० कार्यालयीन कामकाज दिवस)

ई - लोकराज्य http://dgipr.maharashtra.gov.in

Follow us on www.twitter.com/MahaDGIPR
Like us on www.facebook.com/dgipr
Subscribe us on YouTube/MaharashtraDGIPR
Visit us on www.mahanews.gov.in
Blog/maharashtradgipr

कृपया सूचना एंव जनसंनपर्क महानिदेशालय की वेवससाईट http://dgipr.maharashtra.gov.in देखें.
महाराष्ट्र सरकार की एक निर्मिति

गो गर्ल गो

खेल संस्कृति को बढावा मिले, प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन मिले, व्यायाम कर स्वस्थ रहें इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'फिट इण्डिया मूवमेंट' नामक एक उपक्रम की शुरुवात २९ अगस्त २०१९ को की। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ' गो - गर्ल - गो ' उपक्रम शुरु किया है। 'बेटी बचाओ -बेटी पढाओ -बेटी खिलाओ' के सूत्र के साथ राज्य सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए जन जागृति कार्यक्रम शुरु किया है। यह कार्यक्रम लड़कियों को अधिक से अधिक खेल सुविधा, खुला वातावरण और कौशल्य विकास करने के अवसर प्रदान करने वाला है। ६ से १८ आयु वर्ग की लड़कियों को स्वच्छता, पोषण, अच्छी आदतें व स्वास्थ्य विषयक जानकारी देकर प्रकोप मुक्त परिवार की नीव रखने के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकता है।

राज्य की खेल संस्कृति समृद्ध हो और उससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हों इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में गुवाहाटी में हुई खेलो इण्डिया स्पर्धा में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों टीम चैम्पियनशिप जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का फलदायी परिणाम आ रहा है। इसके अगले चरण में लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार हो, उनमें खेलों के प्रति झुकाव बढे तथा वंहा

से भविष्य के अच्छे खिलाड़ी बन सकें इसके लिए 'गो -गर्ल -गो' योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना को राज्य भर में चलाया जा रहा है फिर भी इस बात का विशेष उद्देश्य है कि ग्रामीण तथा राज्य के दुर्गम हिस्सों की लड़कियों के बीच खेल संस्कृति पंहुचाया जाय तथा वंहा से नए खिलाड़ियों को तैयार किया जाय। इसके माध्यम से प्रदेश में खेलों के प्रति जागृति निर्माण करने का प्रयास है। राज्य सरकार लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही से विकास हो इसके लिए सरकार विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करती है। इस उद्देश्य से आयोजित स्पर्धाओं में प्रदेश की एक करोड़ चार लाख से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लेंगी। इन स्पर्धाओं की वजह से एक नयी खेल संस्कृति का उदय भी होगा।

सम्मान, अवसर और अधिकारों की रक्षा

एडवोकेट यशोमति ठाकुर (सोनावणे)
मंत्री, महिला व बालविकास

जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है उसी समाज को सबल और निरोगी माना जाना चाहिए। भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारतीय महिलाओं को सामान हक और अधिकार प्रदान किये हैं। भारतीय महिलाओं के हकों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए क़ानून बनाने वाले लोग समय -समय पर क़ानून बनाते रहते हैं फिर भी एक समाज होने के नाते उनके हकों और अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व हम सबका है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते महिलाओं के सक्षमीकरण पर मेरा विशेष ध्यान है। इस विभाग की विभिन्न योजनाएं समाज के सभी घटकों के अंतिम व्यक्ति तक पंहुचें उसके द्वारा महिलाओं का सर्वांगीण विकास साधना हमारी प्राथमिकता है।

आज महिलायें हर मोर्चे पर आगे हैं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के परिणाम देखें तो लड़कियां सबसे अधिक अंक हांसिल कर आगे आती हुई दिखाई देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आये आदेश के मुताबिक़ सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में जाने का मार्ग खुल गया है। अवसर मिलते ही राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, खेल जैसे विविध क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। एक तरफ महिलायें प्रगति के नए शिखर पर पंहुच रहीं हैं वहीं दूसरा पक्ष भी है जो बहुत चिंतादायक है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उन्हें उनके हक से वंचित रखने वाली प्रवृति, उनका लैंगिक और शारीरिक शोषण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अनेक स्तरों पर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखती है। महिलाओं के कार्य स्थल पर उनका किसी भी प्रकार से लैंगिक शोषण नहीं हो इसके लिए कठोर क़ानून बनाये गए हैं तथा उनका पालन हो इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लड़कियों की पउनके रोजगार, स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विविध योजनाएं चलाने वाला महाराष्ट्र एक अग्रणी राज्य है।

महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, महर्षि धोंडो केशव कर्वे जैसे समाज सुधारकों की विरासत वाला महाराष्ट्र लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निशुल्क दी जाती है। लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ उनमें छुपी उद्यमशीलता को भी बदेने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के ग्रामीण भागों में महिला बचत समूहों का बड़ा अभियान खड़ा हुआ है। आज ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस अभियान की तरफ देखा जाना चाहिए । इस अभियान के माध्यम से महिलायें आत्म निर्भर बन रहीं हैं।

महिला और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिये हैं। कोई भी एक पहिया कमजोर होने से काम चलने वाला नहीं है। परंपराओं का बोझ महिलाओं के कंधे पर रखकर, उन पर बंदिश लगाकर समाज को विकास के मार्ग पर नहीं ले जाय जा सकता। इसलिए महिलाओं को भी समाज का एक हिस्सा मानकर हमें उनका सम्मान करना चाहिए तथा समान अवसर और सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। महिलाओं में बड़े पैमाने पर सृजनात्मक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। हम ८ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और उसी अवसर पर 'लोकराज्य' का यह महिला विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक के महिला सबलीकरण के सन्दर्भ में विविध मंत्रियों के विचार और सरकार की महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नीतियों का भी समावेश किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित करवाने वाले नियम, स्वास्थ्य और बचत संबंधी जानकारी देने वाले लेखों का भी समावेश किया गया है। यह अंक आपको पसंद आएगा, इस बात का मुझे विश्वास है।

एडवोकेट यशोमति ठाकुर (सोनावणे)
अथिती संपादक

'उसका ' सक्षमीकरण

एड. यशोमति ठाकुर (सोनावणे)
मंत्री, महिला व बालविकास

महिलायें मूलतः ही संवेदनशील होती हैं। किसी भी परिस्थिति का धैर्य के साथ सामना करने की अपरिमित शक्ति उनमें होती है। एक महिला होने के नाते में अपने अनुभवों के आधार पर यह प्रभावी तरह से कह सकती हूँ। कठिन परिस्थितियों में स्वयं को और परिवार को एकजुट रखने की महिलाओं की शक्ति सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

स्त्री चाहे वह नौकरी, व्यवसाय करने वाली हो या गृहणी, शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की, परिवार की आय के लिए वह निरंतर मेहनत करती रहती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों में अंतर भले ही हो लेकिन कुछ बातों में उनकी समस्याएं एक जैसी ही होती हैं। नौकरी करने वाली महिलाओं को अपने छोटे बच्चों को पालनाघर में छोड़कर जाना पड़ता है।

समाज को यदि सक्षम बनाना है तो समाज में महिलाओं का सबलीकरण करना आवश्यक है। राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढावा देकर उन्हें उन्नति करने के प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

उसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को भी परिवार में यदि कोई वयस्क महिला न हो तो खेती का काम करने के लिए जाते समय बच्चे को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। यानी शहरी और ग्रामीण भागों की महिलाओं की समस्याएं समान ही होती हैं। महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं चलाना हमारा काम है। यह जवाबदारी हम आगे भी गंभीरता से निभाते रहेंगें। आसामाजिक लोगों की गलत मानसिकता की वजह से महिला सुरक्षा की समस्या पिछले कुछ समय में सामने दिखाई दे रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख के मुताबिक़ स्त्री को माता, बहन की नजर से देखने का आदर्श हमें बनाने की जरूरत है। स्कूल, महाविद्यालयों नैतिक शिक्षा के तहत महिलाओं का आदर करने की सीख देने के प्रयास किये जायेंगें।

आर्थिक सक्षमीकरण

महिलाओं का आर्थिक सक्षमीकरण यह सरकार का सर्वकालीन उद्देश्य होता है। नौकरी, व्यवसाय करने वाली स्त्री अपने पैरों पर खड़ी रहती है। केवल ग्रामीण महिलाओं व गृहणियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें सहारा देने की जरूरत होती है। महिला आर्थिक विकास महामण्डल (माविम) के माध्यम से खड़ी हुआ बचत समूह अभियान निश्चित ही महिलाओं को संगठित होकर एक दूसरे की समस्याओं के समाधान करने में उपयुक्त साबित हो रहा है। इस माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं का आंकलन कर छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करने के लिए आत्म विश्वास और प्रेरणा देने का काम किया जाता है। ग्रामीण महिलायें अब आत्म विश्वास के साथ आगे आ रहीं हैं। अपने बचत समूह के स्टाल्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। उनके उत्पादों को बाजार भी मिल रहा है।

मेरी कन्या भाग्य श्री

कुलदीपक के लिए लड़का ही चाहिए यह जिद्द अब छोड़ने की जरूरत है। अवसर दिए जाने पर लड़कों की बराबरी ही नहीं उनसे ज्यादा अच्छी शिक्षा लेकर लड़कियां नौकरी और व्यवसाय में आगे जाने की तस्वीर अब नजर आ रही है।

लड़कियों की जन्मदर वृद्धि और बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्य में 'मेरी कन्या भाग्यश्री ' नामक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ एक लड़की या दो लड़कियों पर नसबंदी कराने वाले परिवारों को मिलता है। महिला व बाल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा, ग्राम विकास, गृह तथा अन्य विभागों में समन्वय कर यह योजना चलाई जा रही है। बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए गर्भ धारण के पूर्व और प्रसूति के पूर्व निदान तंत्र (लिंग चयन प्रतिबन्ध) क़ानून को प्रभावी तरीके से लागू करना इस अभियान का उद्देश्य है।

बच्चों में लिंग अनुपात में कमी आने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समीप के राज्यों में जाकर गर्भ लिंग की जांच कराने के मामलों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के समन्वय से कठोर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। गर्भ लिंग जांच मामले में सरकार किसी भी प्रकार की नजरअंदाजी नहीं करने वाली है।

बचत समूह

महिला बचत समूह अभियान की वजह से महिलाओं की एक श्रृंखला (नेटवर्क) तैयार हो रहा है, जिनसे अनेक विधायक कार्य हो रहे हैं। उनके आत्मविश्वास की वजह से परिवार में उनके मत को मान दिया जाता है। बचत समूहों में सक्रिय रहने वाली महिलायें समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों में सहजता के साथ जाती हैं। ऐसे ही स्थानीय निकाय संस्थाओं में भी महिलाओं का नेतृत्व आगे आ रहा है। इन बचत समूहों को अधिक सक्षम करने के लिए व प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये जा रहे हैं। इनके तहत 'घर तक आहार' और 'गरम ताजा आहार' की आपूर्ति के लिए अधिकाधिक महिला बचत समूहों, संस्थाएं निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लें इसके लिए वार्षिक औसत आय का दायरा २५ हजार रुपये से घटाकर १० हजार रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय की वजह से ज्यादा से ज्यादा महिला बचत समूह इन निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने की संभावना बढ.गयी है।

शिक्षा -स्वास्थ्य पर ध्यान

बेटी के जन्म का स्वागत करना ही केवल अपना कर्तव्य नहीं होना चाहिए, हमें बेटी को बेटे जैसी ही शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सक्षमीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वजह से बेटी अपने पांव पर स्वयं खड़ी होती है और परिवार का नाम रोशन करती है। बेटी 'नहीं ' की जगह बेटी 'चाहिए 'जिस दिन ऐसी मनोवृति आएगी सही मायने में सामाजिक बदलाव तभी होगा। इस बदलाव की शुरुवात हो चुकी है। सक्षम और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में हम कदम बढा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है।

सुझावों का स्वागत

समाज में अच्छी बातों के होने के साथ -साथ कुछ विकृतियां भी नजर आती हैं। बलात्कार, यौन शोषण, मानसिक प्रताडना, एसिड हमला, पेट्रोल डालकर आग लगा देना, बच्चों पर यौन अत्याचार जैसी क्रूर घटनाएं पिछले कुछ अर्से में बड़ी संख्या में होती हुई दिखाई दी हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस दल हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन एक समाज के रूप में हमें ऐसी घटनाओं पर चिंतन करना चाहिए। इस विकृत मनोवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार सदैव प्रयत्नशील है। लेकिन इस बारे में सामूहिक रूप से क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस सन्दर्भ में सुझाव का हम स्वागत करते हैं। पुलिस ने शहरों में बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगाए हैं। इनकी वजह से छेड़छाड़ की घटनाओं के आरोपियों की पहचान हो पाना संभव हो गया है। ऐसी घटनाओं में आरोपियों को कठोर से कठोर सजा हो, इसके लिए क़ानून में बदलाव तथा जरूरी सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी है।

मातृत्व का ख्याल

जिनको दो वक्त के भोजन के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है ऐसी महिलाओं के गर्भ धारण व स्तनपान के समय में काम पर नहीं जा पाने की वजह से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रख अमरावती और बुलडाणा जिले में 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग' योजना शुरु की गयी है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन नुकसान भरपाई के रूप में नकद रकम के साथ साथ उन्हें पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी महिलाओं को पहली प्रसूति के समय तीन हजार रुपये तथा बालक ६ महीने का होने पर और तीन हजार रुपये यानी कुल ६ हजार रुपये दिए जाते हैं। सही में वंचित और पीड़ितों तक इस योजना के माध्यम से मदद पंहुचाना हमारा उद्देश्य है। यह सही तरह से लोगों के पास पंहुचे इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। इस योजना को चलाने में पारदर्शिता रहे इसके लिए आने वाले समय में जो भी आवश्यक होंगे निर्णय किये जायेंगे।

मनोधैर्य

अत्याचार की शिकार हुई महिलाओं और बच्चों को मानसिक आधार देकर उनको उस सदमे से बाहर निकालने तथा उनका पुनर्वसन करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए सरकार ने 'मनोधैर्य योजना' चलाई है.इस योजना के तहत पीड़ितों को १ से १० लाख तक की मदद की जाती है। पीड़ितों को मानसिक झटके से बाहर निकलने के लिए उनको परामर्श, उपचार, कानूनी मदद, रहने की व्यवस्था, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। पीड़ितों को आर्थिक मदद नहीं करते हुए इस बात पर जोर दिया जाता है कि वे सम्मान से जीवन जी सकें। सरकार ने इस दिशा में ही प्रयास करने पर विशेष ध्यान दिया है।

कल्याणकारी योजना

वंचित -पीड़ित महिलाओं की सहायता करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से विविध योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें विविध प्रकार की आवास योजनाएं, राज्य महिला गृह, आधार गृह, अनाथालय, महिला स्वीकृति केंद्र और संरक्षित ग्रहों में निराधार, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने के लिए 'देवदासी कल्याण योजना', महिला परामर्श केंद्र, अत्याचारग्रस्त पीड़ित महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले बहु उद्देशीय महिला केंद्र आदि योजनाएं चलाई गयी हैं।

किशोरी शक्ति

किशोरावस्था की लड़कियों में बाल विवाह और बारबार बच्चों के जन्म देने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सक्षम मातृत्व का महत्व बताने तथा इस बारे में जन जागृति फैलाने के लिए प्रदेश के २३ जिलों में 'किशोरी शक्ति योजना 'शुरु की गयी है। इस योजना में इन लड़कियों के लिए संतुलित आहार, योग्य पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वच्छता आस पास के परिसर की स्वच्छता आदि के बारे शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है।

सुरक्षित पालनाघर

कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चे पालनाघर में रख कर काम पर जाने के लिए छाती पर पत्थर रखकर जाने जैसा होता है। ऐसे में पालनाघर सुरक्षित हों इस बात का ध्यान आता है। इसी को धायण में रखकर केंद्र सरकार के मार्गदर्शक बातों पर आधारित राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर योजना राज्य में प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही है। वर्तमान में ठाणे, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली और चंद्रपुर जिले में इस योजना के तहत ६०० पालनाघर शुरु किये गए हैं। ये पालनाघर कामकाजी महिलाओं के लिए बड़े मददगार सिद्ध हो रहे हैं।

सक्षम आँगनवाड़ियाँ

आंगनवाड़ी सेविकाएं, उनकी सहायक और मिनी आंगनवाड़ी सेविकाएं, कुपोषण मुक्ति अभियान में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उनको समय पर मानधन मिले इस बात का ध्यान सरकार रखेगी। आंगनवाड़ी सेविकाओं और उनकी सहायकों के करीब साढे.पांच हजार पद रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। यही नहीं राज्य में निजी इमारतों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए में बढोतरी करने को भी सरकार ने मान्यता दे दी है। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में एक हजार रुपये, शहरी क्षेत्रों में चार हजार तथा महानगरों में यह भाड़ा करीब ६ हजार रुपये तक दिया जाएगा। इस वृद्धि की वजह से किराए की जगह पर चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को अब और अधिक सुविधाओं वाली जगह मिल सकेगी।

आने वाले वित्त वर्ष में हमने आँगनवाड़ियों के लिए ४००० नए कमरे बनाने का लक्ष्य निधार्रित किया है। इसके लिए जिला वार्षिक योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व ग्राम विकास योजना की निधि से पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। कॉर्पोरेट कंपनियों की सीएसआर निधि और विविध गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) को एक सामाजिक जवाबदारी मानते हुए इस काम में आगे आने की जरूरत है ।

बाल संस्थाओं में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। इन बच्चों के पुनर्वसन के लिए 'बाल न्याय निधि ' के तहत २ करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। बाल न्याय निधि के द्वारा बच्चों के कल्याण और पुनर्वसन के लिए राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना का समावेश नहीं हो ऐसे कार्यक्रम किये जायेंगें। इसी प्रकार से बच्चों में बड़ी बीमारी के लिए वैद्यकीय सहायता या शल्य क्रिया के लिए भी प्रावधान किये जायेंगें। बच्चों के कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उद्यम के सम्बन्ध में सहायता, व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाएगा।

माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने, महिलाओं को सिलाई व हस्तकला सिखाने जैसे विविध कौशल्य प्रशिक्षण, महिला व बच्चों की स्वास्थ्य जांच, मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों में कार्य करने वाली कई स्वयंसेवी संस्थाएं राज्य में कार्यरत हैं।

टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, इंडियन लॉ सोसायटी, विलेज सोशल टार्न्सफर्मेशन फाउंडेशन, स्नेहा, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन, रेमंड्स जैसी विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं, बच्चों व युवाओं के रोजगार को लेकर अनेक वर्गों के लिए विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

समाज की पहल

महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए सरकार की तरफ से अनेक स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। अब समाज के तौर पर इसमें योगदान देने की हम सब की जवाबदारी है। बालिका भ्रूण हत्या जैसी निंदनीय प्रथा जो कि सामाजिक संतुलन के लिए घातक साबित होने वाली है। इसे रोकने के लिए सरकार ने क़ानून बनाया है फिर भी समाज को इस मामले में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। राज्य में एक हजार जन्मने वाले लड़कों के मुकाबले पैदा होने वाली लड़कियों की कम संख्या चिंता का विषय है। साल २०१७ में १००० लडको के मुकाबले ८०० या उससे कम लड़कियां पैदा होने वाले जिलों की संख्या ६ है। सभी सरकारी यंत्रणाओं में समन्वय बिठाकर पीसीपीएनडीटी क़ानून को प्रभावी तरह से लागू करने तथा 'बेटी बचाओ -बेटी पढाओ ' जैसे अभियान के माध्यम से इस चुनौती को मात देने के प्रयास जारी हैं। 'बीटा यानी कुलदीपक ' इस पारंपरिक सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसे में कुछ परिवार केवल बेटी के पैदा होने के बाद ही परिवार नियोजन कराते हैं यह एक उम्मीद की किरण जैसा है। लड़कियां और महिलायें शिक्षा, खेल, साहित्य, कला, अभिनय, उद्योग आदि क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं। परिवार और देश का नाम रोशन करने में अनेक महिलाओं की मूल्यवान भूमिका है। इसलिए लड़कियों को दोयम दर्जे की नहीं समझें और उन्हें समानता की नजर से देखें, यह हम सबका कर्तव्य है।

शब्दांकन : सचिन गाढवे
विभागीय जन संपर्क अधिकारी

स्कूल केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं देते, अपितु भविष्य के समाज गढने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। आज के दौर में अच्छा समाज निर्माण करने के लिए अच्छी शिक्षा के साथ -साथ संस्कृति और संस्कार का पाठ पढाना भी आवश्यक है। विशेषतः लड़कियों को शिक्षा से ही समाज को सक्षम होगा, इसलिए इस पर सरकार का विशेष ध्यान है।

शिक्षा, संस्कृति और संस्कार

प्रा. वर्षा गायकवाड
मंत्री, स्कूली शिक्षा

ग्रामीण भाग में लड़कियों की शिक्षा हो या महिलाओं का सक्षमीकरण, इसके लिए सरकार के साथ -साथ हम सभी को आगे बढक़र पहल करने की जरूरत है। महात्मा जोतिराव फुले और सावित्री बाई फुले ने द्वारा लड़कियों की शिक्षा को लेकर उठाये गए कष्टों को याद कर हमें लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अति दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है लेकिन साथ ही साथ समाज को भी इसे अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। स्कूली शिक्षा मंत्री के रूप में मैं जब ग्रामीण भागों के दौरे पर जाती हूँ, वंहा इस बात को जरूर देखती हूँ कि स्कूली छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं। कुछ कमी दिखाई देती है तो मैं उसे दूर करने पर बल देती हूँ। लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनके परिजनों में जागरूकता बढाने की भी जरूरत है और इसके लिए जो आवश्यक हैं वे उपाय किये जायेंगें।

हिंगणघाट में हुई घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं हो इसके लिए विद्यार्थियों को मूलभूत शिक्षा के अलावा एक सजग नागरिक बनाने की भी शिक्षा देने की जरूरत है। लड़कियों को शिक्षा देते समय उनमें सुरक्षा की भावना भी विकसित होना जरूरी है, इसके लिए गुड़ टच -बेड टच जैसी बातें बताना भी आवश्यक है। यही नहीं लड़कों को 'नहीं' सुनने की आदत डलवाना भी जरूरी है।

संस्कृति व संस्कार

विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के भविष्य हैं, यह केवक शिक्षा मंत्री नहीं अपितु एक शिक्षिका के रूप में भी विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास है। बच्चों के साथ साथ उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने की भी जरूरत है। केवल किताबी ज्ञान न देकर प्रायोगिक पद्धति से बच्चों को सिखाना चाहिए। सक्षम पीढी के निर्माण के लिए बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देते समय ही अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। आर्थिक परिस्थितियों की वजह से कोई विद्यालय नहीं जा पाए इस पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है और यह अग्रणी ही रहना चाहिए इसके लिए हम सब को मिलकर प्रयास किये जाने चाहिए।

विद्यावाहिनी

स्कूली विद्यार्थियों को सीधे घर में शैक्षणिक मार्गदर्शन मिले इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग टेलीविजन पर डीटीएच के माध्यम से एक श्रृंखला विद्यावाहिनी शुरु करने वाली है। बदलते तकनीक के अनुसार महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति महामण्डल अर्थात बाल भारती इस दिशा में प्रयास कर रही है। बाल भारती ई लर्निंग साहित्य के निर्माण के साथ -साथ ई बाल भारती प्रकल्प के तहत राज्य के ७२५ विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की योजना क्रियान्वित करने जा रही है। इसका दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। इस प्रकल्प को अमल में लाने के लिए वैल्युएबल ग्रुप या वी सैट आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से किसी एक नहीं सभी विषयों पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा।

शैक्षणिक योजना

सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। उपस्थिति भत्ता, सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, निशुल्क गणवेश, निशुल्क पुस्तक, सावित्रीबाई फुले पिछड़ा वर्ग छात्रवृति योजना, विद्या वेतन, सककूल आने -जाने के लिए राजमाता जिजाऊ निशुल्क साइकल योजना, एसटी से निशुल्क यात्रा करने के लिए अहिल्याबाई होल्कर योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका निवास विद्यालय, मानव विकास योजना। इसी तरह से बच्चे बचाओ -बच्चे पढ.ाओ योजना क्रियान्वित की गयी हैं।

- **१२ वीं तक निशुल्क शिक्षा :** इस योजना का लाभ १२ वीं तक शिक्षा हांसिल करने वाली लड़कियों को मिलता है। अनुदानित तथा गैर अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयों व कनिष्ठ महाविद्यालयों में शिक्षा हांसिल करने वाली हर वर्ग की लड़कियों के लिए यह योजना लागू है।
- **निशुल्क पास योजनाः** ग्रामीण क्षेत्रों में जंहा स्कूल नहीं होने की वजह से लड़कियां पढाई नहीं कर पाती हैं उन्हें समीप के गांव जाकर पढाई करने के लिए एसटी की बसों से निशुल्क यात्रा करने के लिए पास दिया जाता है। यह पास ५ वीं से १२ वीं तक की शिक्षा हांसिल करने वाली लड़कियों को मिलता है।
- **सावित्रीबाई फुले छात्रवृति योजनाः** पांचवीं से सातवीं तक की अन्य वपिछडा,

विमुक्त जाति, भटकन्तु जाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग की छात्राओं के लिए यह योजना है। इस योजना का लाभ लेने वाली छात्राओं को पांचवीं से सातवीं की नियमित पढाई करना आवश्यक है। छात्रा को हर माह ६० रुपये, १० महीनों के लिए कुल ६०० रुपये की छात्रवृति दी जाती है।

■ **स्कूल छूटने से रोकने के उपाय:** माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा हांसिल करने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग, विभाभज व विमाप्र की लड़कियों के शिक्षा बीच में छोड़कर जाने पर अंकुश लगाने के लिए आठवीं से दसवीं तक नियमित पढाई करने वाली छात्राओं को हर माह **१००** रुपये यानी दस महीने के **१०००** रुपये की छात्रवृति प्रदान की जाती है।

■ **पांचवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति**: पांचवीं से सातवीं तक की दो गुणवत्ताधारी पिछड़े वर्ग की छात्राओं को आठवीं से दसवीं तक शिक्षा हांसिल करने वाली पहली दो पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृति पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम ५० % अंक या उससे अधिक अंक हांसिल करने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में पहला और दूसरा क्रमांक हांसिल करने गुणवत्ताधारी विद्यार्थियों को दी जाती है। इस छात्रवृति में आय की कोई शर्त नहीं होती है। पांचवीं से सातवीं के विद्यार्थियों को हर माह ५० रुपये (१० महीने के ५०० रूपये) तथा आठवीं से दसवीं के विद्यार्थियों को हर माह १०० रुपये (दस महीने के १००० रुपये) प्रदान किये जाते हैं।

■ **नवीं से दसवीं के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति:** अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्कूल की पढाई बीच में छूटने पर रोक लगाने के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने नवीं और दसवीं की पढाई करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना शुरु की गयी है। इस छात्रवृति योजना के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय की अधिकतम सीमा २ लाख तक की शर्त नहीं है। इस योजना का लाभ वे विद्यार्थी ही ले सकते हैं जिन्हें केंद्र सरकार की माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो। राज्य सरकार की अनुसूचित जाति प्रवर्ग की आठवीं से दसवीं की सभी लड़कियों के लिए यह योजना वर्तमान में लागू है। इस योजना के तहत अभिभावकों की आय की सीमा की शर्त नहीं है। केवल केंद्र सरकार की नवीं व दसवीं में पढाई कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भारत सरकार की मैट्रिक पूर्व छात्रवृति योजना में दो लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों का समावेश होगा। इसकी वजह से अनुसूचित जाति प्रवर्ग के की आठवीं की लड़कियों और दो लाख से ज्यादा आय वाले अभिभावकों के नवीं और दसवीं की पढाई कर रही लड़कियों को वर्तमान में लागू सावित्रीबाई फुले छात्रवृति योजना आगे भी चालू रहेगी। केवल इतना रहेगा कि एक ही लाभार्थी दोनों योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा।

निशुल्क साइकल वितरण

ग्रामीण भाग व ठ क ठ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा बीच में छोड़ देने की संख्या को कम करने के लिए इस योजना के तहत माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा हांसिल करने वाली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आठवीं कक्षा में पढ. ाई करने वाली लड़कियों के लिए यह योजना शुरु है। योजना के तहत सातवीं में ४५ % अंक हांसिल करना तथा सरकार से मान्यता प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा हांसिल करना जरूरी है। योजना के लाभार्थियों का चयन करते समय अति दुर्गम भाग शहरी क्षेत्र के झौपड पट्टी भाग, गंदी बस्तियों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।

छात्रावास में रहने वालों को हर माह ३५० रूपये(१० महीनों के लिए), पुस्तक व पाठ्य सामग्री संबंधित तदर्थ अनुदान वार्षिक १००० रुपये, छात्रावास में नहीं रहने वालों को हर महीने १५० रुपये (दस महीनों के लिए) पुस्तक व तदर्थ अनुदान ७५० रुपये वार्षिक, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हर महीने १६० रुपये, मतिमंद विद्यार्थियों के लिए हर महीने २४० रुपये दिए जाते हैं।

■ **मॉडल स्कूल लड़कियों का छात्रावास**: केंद्र सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं की संख्या बढे तथा छात्राओं द्वारा बीच में ही पढाई छोड़ देने की संख्या में कमी आये, इस लिए प्रदेश के दस जिलों के अकक्लकुवा, धडगांव, तलोदा, शहादा, नंदूरबार, नवापुर, गेवराई, वडवणी, धारूर, हिंगोली, परभणी, गंगाखेड, जितूर, पूर्णा, पाथरी, सेलू, मानवत, भोकरदन, परतूर, मंठा, घनसांगवी, अंबड, जालना, बदनापुर, डहाणू, तलावरी, विक्रमगड, मोखाडा, जव्हार, गगनबावडा, पेठ, सुरगाणा, मुखेर, उमरी, धर्माबाद, बिलोली, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा जैसे ४३ स्थानों पर मॉडल स्कूल और लड़कियों के छात्रावास की योजना लागू की है।

■ **राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज छात्रवृति:**विमुक्त जाति और भटकन्तु जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के लडके -लड़कियों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तथा उनकी गुणवत्ता बढाने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के तहत विद्यार्थी ११ वीं व १२ वीं या कनिष्ठ महाविद्यालय में पढाई करने वाला होना चाहिए। आय की सीमा की कोई शर्त नहीं है। विद्यार्थी दसवीं में ७५ % या उससे अधिक अंक हांसिल करने वाला होना चाहिए। इस योजना के तहत विद्यार्थी को प्रतिमाह ३०० रुपये, दस माह के लिए दिए जाते हैं।

शब्दांकन : वर्षा फड़के –आंधळे
विभागीय संपर्क अधिकारी

समय कम -ज्यादा लगता है लेकिन सरकार के स्तर पर किये गए निर्णयों को प्रशासन के माध्यम से अमल में लाया जाता है। सरकार से हटकर हमें यानी हर नागरिक को दिव्यांग, बेसहारा, माता -बहनों को मानवता की नजर से तथा वे भी हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं यह सोचकर ध्यान देना चाहिए। हर जगह पर उन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए।

बेसहारों को सहारा

ओमप्रकाश उर्फ़ बच्चू कडु
राज्यमंत्री, मैला व बालविकास

वंचित वर्ग को न्याय देने में हमें प्रधानता देनी चाहिए। यह उनका हक है, इस बात का विचार हम सभी को करना चाहिए। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पंहुचाने की जवाबदारी सरकार के साथ -साथ हम सबकी है। विशेषतः महिला व बाल विकास विभाग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की यह जवाबदारी है। इस विभाग के राज्यमंत्री की हैसियत से काम करते हुए मैं विभाग के हर व्यक्ति को यह कहना चाहता हूँ कि हमें विभाग का काम करते हुए आप विधवा, परित्यक्ता, तलाक शुदा, दिव्यांग और बेसहारा वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दें। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा, राज्य निवृति वेतन योजना, विधवा, परित्यकता और तलाकशुदा स्वयंरोजगार योजना पर जी लगाकर काम करना है।

हमसे ज्यादा समझदार

हमें दिव्यांग माता -बहनों तथा उनकी सुविधाओं के लिए काम करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लोग शारीरिक तौर पर दिव्यांग जरूर हैं लेकिन बौद्धिक तौर पर हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। एक दृष्टिहीन बहन ने जिलाधिकारी बनकर इस बात को हमारे सामने सिद्ध भी कर दिया है। एसटी महामण्डल में दिव्यांगों के लिए कुछ सुविधाएं हैं, वे उन्हें मिलनी चाहिए। उनको मिलने वाले दोयम दर्जे के नजरिये पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। उन्हें प्राकृतिक रूप से न्याय देने का प्रयास हमें करना चाहिए। उनको मिलने वाले हक, सुविधाएं, सहूलियतें यह आप नहीं देते सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। आप केवल सरकार की उन योजनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए उसे प्रामाणिक तौर पर करें। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा दिव्यांग लोगों को परेशान किये जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

दिव्यांगों के लिए बनाये जाने वाले शौचालयों के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। इस सुविधा की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसे तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

परित्यकता, विधवा माता -बहनें सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग हैं यह सोचते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी समस्याएं बहुत गंभीर है। शहरों में रहने वालों को वे समझ में नहीं आ पाती हैं, लेकिन जब हम गावों में घूमते हैं, उस समय हमें उनके सवालों की समझ आती है। अल्प संख्यक समाज हो या कोई और समाज इस प्रकार की समस्याएं सही मायने में बहुत गंभीर हैं। हतोत्साहित होने की वजह से वे अपनी समस्या को सही तरह से बता नहीं सकतीं। इसलिए हमें उनके साथ खड़ा होकर उनके नजरिये से समस्याओं को समझना होगा ऐसा मेरा मानना है ।

आत्मविश्वास बढाने की जरूरत

मेरे अधीनस्थ विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मेरा यही कहना है कि आप इन पर गंभीरता के साथ ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आपको बड़ा काम जरूरत है। उनका आत्म विश्वास बढाना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता का विकास, उनका संगठन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर उनकी पात्रता को स्थापित करने जैसे बहुत से काम हैं जिन पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। इन सब कामों में अपने आप को झोंक देने की जरूरत है। दिव्यांगों को आधार देना -यही सही मायने में मानवता है।

शब्दांकन : डॉ. राजू पाटोदकर

महिला और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए महिला व बाल विकास विभाग केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से विविध योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस विभाग के माध्यम से माता व बच्चों के कुपोषण के प्रमाण को कम करने के लिए विविध उपक्रम चलाये जाते हैं।

सक्षम माता, सुदृढ़ बालक...

आई.ए. कुंदन, सचिव, महिला व बाल विकास

राज्यातील राज्य में महिला व बाल विकास विभाग महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विविध योजनाए चला रहा है जिनके माध्यम से समाज के निचले और पिछड़े वर्ग की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। माता यही सभी तरह से सक्षम होगी तभी सुदृढ.बच्चा होता है। इसके लिए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति करना इस विभाग का उद्देश्य है और इसी को ध्यान में रख विविध योजनाएं चलाई जा रहीं हैं जि-नका सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है।

प्रभावी अमल

महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए विभाग वचनबद्ध है। हमारा मुख्य कार्य नीति और कार्यक्रमों को विकसित करना और राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना है। बालक और महिला के हक के अनुसार हम अनेक क़ानून और योजनाओं को प्रभावी तरह से लागू कर रहे हैं। 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट २०१२' और 'प्रोटेक्शन ऑफ़ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट २००५' को प्रभावी तरह से अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा 'महिला आर्थिक महामण्डल' (माविम) के तहत महिलाओं को कौशल्य प्रदान कर उन्हें उद्यम प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन तथा जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

आधुनिक तकनीक का प्रयोग

बच्चों और माताओं की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें इसलिए राज्य सरकार की तरफ से चलाये जाने वाले पोषण अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इस अभियान में आईसीडीएस कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, जन आंदोलन, समुदाय आधारित कार्यक्रम कजैसे नए उपक्रमों का समावेश है। आईसीडीएस कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के तहत सभी आंगनवाडी सेविकाओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से अनेक सूचनाएं अब डिजिटल स्वरुप में उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा समुदाय आधारित कार्यक्रम की वजह से समुदाय के लोगों के बोलचाल के तरीके में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। राज्य हमेशा ही कुपोषण के लहिलाफ संघर्ष करने को तत्पर है और इसके लिए २०२२ तक पोषण अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति को साधने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। महिलाओं व बच्चों को पूर्ण पोषण की जवाबदारी हम सबको मिलकर पूरी करनी है, आइये इस अवसर पर हम यह संकल्प लें।

माता व बच्चों को पौष्टिक आहार

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के द्वारा समाधान कारक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। राज्य में करीब १०६००० आंगनवाडी केंद्र हैं। शहरी, ग्रामीण और आदिवासी भागों की गर्भवती महिलाओं, शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं व शून्य से ६ वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत पौष्टिक आहार दिया जाता है। पोशनाभियाँ के अंतर्गत उम्र के हिसाब से ऊंचाई होने (स्टंटिंग), उम्र के हिसाब से कम वजन होने (अंडरवेट), जन्म से कम वजन होने (लो बर्थ वेट) तथा ऊंचाई के हिसाब से कम वजन होने के प्रमाण को प्रतिवर्ष दो प्रतिशत कम करने तथा शून्य से ६ वर्ष के बालकों व १५ से ४९ वर्ष की महिलाओं में रक्तक्षय के प्रमाण को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की दर से कम करने का लक्ष्य निधारित किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने में केन्द्र सरकार द्वारा साल २०१८ में शुरु किया गया पोषण अभियान मुख्य घटक है। साल २०२२ तक इस उद्देश्य को पूरा कर लिया जायेगा।

अल्प संख्यक समाज के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सक्षमीकरण के लिए इन योजनाओं का लाभ हो रहा है।

अल्प संख्यक महिलाओं की उन्नति

राज्य सरकार अल्प संख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। अल्प संख्यक समुदाय की लड़कियों व महिलाओं की प्रगति के लिए राज्य सरकार विविध योजनाएं चला रही है।

२१ स्थान पर छात्रावास शुरु

राज्य में अल्प संख्यक समाज की उच्च शिक्षा हांसिल करने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना प्रभावी तरह से लागू की जा रही है। राज्य में कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्व विद्यालय (जलगांव), घनसावंगी (जालना), सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (पनवेल), राजाराम महाविद्यालय (कोल्हापुर), सरकारी विज्ञान संस्था (औरंगाबाद), सरकारी विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (अमरावती), डॉ. बाबा साहब आंबेडकर मराठवाडा विश्व विद्यालय (औरंगाबाद), स्वामी रामनंद तीर्थ मराठवाडा विश्व विद्यालय (नांदेड़), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश विद्यालय (अकोला), सरकारी अभियांत्रिकीय महाविद्यालय (जलगांव), सरकारी तंत्र निकेतन (सोलापुर, हिंगोली, वाशिम और जिन्तूर (परभणी), परभणी जिला में परभणी पूर्णा, गंगाखेड, सेलु, पाथरी, चंद्रपुर (चंद्रपुर) और वसमत (हिंगोली) स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) इन २१ स्थानों पर अल्प संख्यक समाज की लड़कियों के लिए छात्रावास चलाये जा रहे हैं। इन छात्रावासों की क्षमता १६१० की है। इन छात्रावासों में अल्प संख्यक समाज की ७० % तथा गैर अल्प संख्यक समाज की ३०% छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

शिक्षा कर्ज योजना

अल्प संख्यक समाज के छात्र -छात्राओं को शिक्षा हांसिल करने में आसानी हो इसके लिए मौलाना आजाद अल्प संख्यक आर्थिक विकास महामण्डल के माध्यम से शिक्षा कर्ज योजना चलाई जाती है। उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए इस योजना के तहत कर्ज प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा कर्ज का लाभ लेकर लड़कियां उच्च शिक्षा पूर्ण कर सकती हैं। महामण्डल के माध्यम से अल्प संख्यक समाज के बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए कर्ज भी दिया जाता है। बेरोजगार लड़कियां और महिलायें इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरु कर सकती हैं। इस योजना की अधिक जानकारी महामण्डल की mdd.maharashtra.gov.in नामक वेबसाइट पर दी गयी है।

> “न्यायाधीश सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य में २००८ से स्वतंत्र अल्प संख्यक विभाग की स्थापना की गयी है। उसके बाद से अल्प संख्यक समाज के हितों के लिए विविध योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख और पारसी समुदायों को अल्प संख्यक में शामिल किया गया है। इस समाज की लड़कियां और महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए विभाग के माध्यम से अनेक उपाय किये जा रहे हैं।
>
> **–श्री. नवाब मलिक, मंत्री, अल्प संख्यक विकास विभाग**”

विविध योजनाएं

अल्प संख्यकों के लिए ४१ आईटीआई में दूसरी व तीसरी पारी तथा १५ सरकारी तंत्र निकेतन में दूसरी पारी में कक्षाएं ली जाती है। उच्च व्यावसायिक तथा १२ वीं के बाद सभी पाठ्यक्रमों में शिक्षा हांसिल करने वाले अल्प संख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना चलाई जाती है। मैट्रिक पूर्व / मैट्रिकोत्तर छात्रवृति का लाभ दिया जाता है। अल्प संख्यक समाज की लड़कियां इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं।

- आर्थिक कारणों की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाने वाली अल्प संख्यक समाज की छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना चलाई जाती है। स्कूल, महाविद्यालय की फीस, पुस्तकें व पाठ्यसामग्री, उपकरणों की खरीदी, निवास व भोजन व्यवस्था के खर्च के लिए यह योजना है। केंद्र सरकार के मौलाना आजाद शिक्षण प्रतिष्ठान के माध्यम से यह योजना चलाई जाती है। इस योजना की अधिक जानकारी www.maef.nic.in नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- अल्प संख्यक समाज की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए 'नई रोशनी ' नामक योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत अल्प संख्यक समाज की महिलाओं को सरकारी प्रणाली, बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ काम काज के तरीकों विषयक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अल्प संख्यक समाज की महिलाओं को साधन और तकनीकी जानकारी देकर उन्हें सक्षम बनाया जाता है, उनमें विश्वास जगाया जाता है। इस योजना के विषय में अधिक जानकारी www.minorityaffairs.gov.in नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शब्दांकन : इरशाद बागवान
विभागीय संपर्क अधिकारी

प्रेरणा के आदर्श

महिलायें हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरें इसके लिए सरकार प्रयास करती रहती है। लेकिन ऊंची उड़ान भरने की प्रवृति कुछ ही महिलाओं में निर्माण होती है। जबकि कुछ महिलायें जिद्द और कठोर परिश्रम के दम पर स्वयं की एक पहचान बनाकर सामान्य महिलाओं के समक्ष एक आदर्श निर्माण करती हैं। अपने काम की वजह से वे समाज में अने-कों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं।

हम सक्षम...

पारम्परिक व्यवसाय के साथ -साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण रख औरंगाबाद जिले के भडजी (तालुका -खुलताबाद) स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला बचत समूह की महिलाओं ने नए व्यवसाय के द्वार खोले हैं। रत्ना धनसिंग पुसे इस बचत समूह की प्रमुख हैं। आस-पास की दस महिलाओं को साथ लेकर कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। और इसी सोच से उन्होंने बचत समूह स्थापित किया। इस बचत समूह के माध्यम से उन्होंने पौष्टिक चिक्की बनाकर बेचना तय किया। बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से कर्ज लिया। इस बचत समूह के माध्यम से मूंगफली, राजगिरा, तिल, खोबरा की चिक्की हाथ से बनायी जाती है। चिक्की घर में ही बनायी जाती है इसलिए जगह का भाड़ा भी नहीं देना पड़ता है। मूंगफली, राजगिरा, तिल, खोबरा से बनायी गयी चिक्की बिक्री के लिए वेरूळ लेणी, खुलताबाद स्थित भद्रा मारुती मंदिर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई व दिल्ली जैसे शहरों में भेजी जाती है। मुंबई में बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एमएमआरडीए के मैदान में आयोजित श्री महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी में इस बचत समूह की महिलाओं ने १२ दिन में साढे.चार लाख रुपये की ग्यारह क्विंटल चिक्की बिक्री की. इसमें उन्हें खर्च निकालकर कुल दो लाख रुपये का नफा हुआ।

-विजय चौधरी

बीजमाता

देसी नस्ल की सही ताकत किसी ने पहचानी है तो वो हैं कोभांलणे नामक एक छोटे से गांव में रहने वाली राहीबाई ने। अहमदनगर जिले के अकोले तालुका के अति दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली राहीबाई सोमा पोपेरे को आज सारा महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा देश 'बीजमाता ' के रूप में पहचानता है। राहीबाई ने अपने पास सभी प्रकार की पुरानी पत्तेदार व अन्य सब्जियों के बीजों का जतन किया हुआ है। उन्होंने सब्जियों के अलावा चावल, गेंहू, बाजरा, दलहन की फसलों के करीब ११२ प्रकार के बीज अपने पास रखे हैं। उन्होंने महिला किसान समूहों की स्थापना की है जिसके माध्यम से पुराने नस्लों के बीजों का उत्पादन किया जाता है। आजतक उनके पास से उनके द्वारा तैयार किये बीज

करीब एक लाख लोगों ने लिए हैं। देश भर से कृषि विज्ञान को सीखने वाले विद्यार्थी उनके इस प्रोजेक्ट को देखने आते हैं। राहीबाई ने पुरानी परंपरा को पुनजीर्वित किया है। उनके इस कार्य को राज्य के किसानों तक पंहुचाने के लिए कृषि विभाग सहयोग करेगा। मानवी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त स्थानीय नस्लों के संवर्धन को बढावा देते हुए उनके बीज उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय देसी बीजों की नस्ल का जतन करने का अमूल्य कार्य वे कर रही हैं इसलिए उनके इस कार्य को राज्य के किसानों तक पंहुचाने के लिए कृषि विभाग सहयोग करेगा।

राहीबाई पोपेरे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 'पद्मश्री पुरस्कार ' द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान पर कृषिमंत्री दादाजी भुसे ने उनका साड़ी चोली देकर सत्कार किया।

राहीबाई द्वारा किये जा रहे कामों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष पेश करने की बात उनका सम्मान करते समय कृषि मंत्री ने कही। उनके द्वारा किये जा रहे काम को बड़ा स्वरुप दिया जाएगा। उनके पुरानी नस्लों के संवर्धन का काम किसानों के लिए मार्गदर्शक है। स्थानीय नस्ल के प्रसार को मदद देते हुए यह संकल्पना किसानों तक पंहुचायी जाएगी इस बात का भरोसा भी कृषि मंत्री ने इस अवसर पर दिया।

ध्येय संशोधन का

नम्रता अंकुश गिरी

कंद मूल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी पौषक होते हैं। उनमे रतालू एक विशेष कंद मूल है जिसका सेवन हम उपवास के दौरान करते हैं लेकिन यह इतना पौष्टिक है कि सिर्फ उपवास में ही नहीं इसे हर रोज खाना चाहिए। रतालू को लेकर गोलटगांव (औरंगाबाद) में नम्रता अंकुश गिरी संशोधन कर रहीं हैं। वे केरल स्थित तिरुअनंतपुरम केंद्रीय कंद मूल फसल संशोधन संस्था में कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। रतालू से बनाये जाने वाले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हैं इसको लेकर वे अपना खोज कार्य कर रही हैं।

श्रीमती गिरी ने परभणी स्थित वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विश्विद्यालय से बी. टेक की फ़ूड टेक्नोलॉजी में डिग्री हांसिल की है। उनके पति एडवोकेट दुर्गेश शंकर पुरी का उन्हें सहयोग मिला और उन्होंने . फ़ूड टेक्नोलॉजी में एम.टेक की पढाई पूर्ण की। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने नयी दिल्ली में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की तरफ से ली जाने वाली यूपीएससी की पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण किया। और इसकी वजह से उनका चयन कृषि वैज्ञानिक (अन्न तकनीक) के रूप में हुआ। वे इस चयन के लिए महाराष्ट्र की पहली उम्मीदवार हैं। इस परीक्षा में महाराष्ट्र में उन्हें पहला तथा देश में आठवां क्रमांक हांसिल हुआ था। केरल स्थित तिरुअनंतपुरम केंद्रीय कंद मूल फसल संशोधन संस्था में कृषि वैज्ञानिक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। २०१४ से वे वंहा कार्यरत हैं।

मैदा की बजाय कंद मूल का आटा प्रयोग कर स्वास्थ्यवर्धक डायबेटिक फ्रेंडली बेकरी उत्पाद कैसे बनाये जाएँ इस विषय पर उनका संशोधन चालू है। बिस्किट, केक, कुकीज, पास्ता, सेवई, रेडी तू ईट प्रोडक्ट, न्यूट्रीबार आदि पदार्थ रतालू से बनाये जा सकते हैं। इसी तरह रतालू से उपवास के दौरान खाया जाने वाला पास्ता, नूडल्स बनाने के बारे में भी उनका संशोधन शुरु है। इस कार्य में उन्हें बहुत कुछ सफलता भी मिली है। रतालू से स्टार्च और आटा (पावडर) प्रक्रिया कर किसानों को रोजगार के अवसर और आर्थिक फायदा मिल सकता है। इसकी वजह से पौष्टिक खाद्यान्न भी लोगों तक पंहुच सकता है। श्रीमती गिरी का कहना है कि रतालू में कैरोटीन, एंथोसायनिक, स्टार्च, प्रथिने (जीवन सत्व - विटामिन), विटामिन -बी और खनिज बड़े पैमाने में होते हैं। इसी प्रकार रतालू के सेवन से विटामिन ए की कमी पूरी की जा सकती है। वे कहती हैं कि किसान और उद्योगपति एक साथ आएं तो कंद फल के मूल्य संवर्धन का फायदा होगा। मूल्य संवर्धन की वजह से रतालू की मांग बढेग़ी और इसका फायदा किसान और उद्यमियों दोनों को होगा।

–संतोष देशमुख

अपनी कमाई की नयी पहचान....

वर्धा जिले के करंजी काजी में स्नेहलता सावरकर प्राकृतिक खेती पद्धति से मशरूम का उत्पादन करती हैं। वे फ्रेस मशरूम, ड्राई मशरूम पावडर, मशरूम अचार, चटनी, मशरूम की मूंगवडी, मुरब्बा आदि विविध प्रकार के उत्पाद बनाती हैं। प्राकृतिक पद्धति से उपजाए गए मशरूम की मांग ग्राहकों में बहुत अधिक है। श्रीमती सावरकर ने बताया कि नाबार्ड के माध्यम से उन्हें 'अपनी कमाई से अपनी पहचान ' मिलने का अभिमान है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और उत्कर्ष फाउंडेशन की तरफ से महिला बचत समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी नागपुर में आयोजित की गयी थी। महिला बचत समूहों के माध्यम से महिलाओं के सक्षमीकरण का काम प्रदेश में शुरु है। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिला है और कुछ महिलायें बड़ी उद्योगपति भी बनी हैं। बचत समूहों के माध्यम से महिलायें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन रहीं हैं। लेकिन ग्रामीण भागों में महिलायें माकेर्टिंग को लेकर कुछ पीछे हैं। उन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन दुनिया के सामने रखने का अवसर मिलता है। ग्राहकों को सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। नाबार्ड के माधयम से समाज की गरीबी निर्मूलन में भी सहयोग मिलता है और महिलाओं के सक्षमीकरण को मुख्य रूप से ग्रामीण भागों में गति भी मिल रही है। इस प्रदर्शनी में राज्य के १५ जिलों के महिला बचत समूहों ने हिस्सा लिया। इसमें जिले की ५० तथा अन्य जिलों के ३५ महिला बचत समूहों ने अपनी स्टाल्स लगाई। प्रदर्शनी में करीब ६० प्रकार की वस्तुओं का समावेश था।

अपर्णा यावलकर –डांगोरे
विभागीय सूचना कार्यालय, नागपुर

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में कुछ आदिवासियों की बस्तियां हैं। उनके छोटे -छोटे घर हैं। जंगल ही उनका घर और गांव है। यातायात के कोई साधन नहीं है। लेकिन इन घने जंगलों में रोजाना चार घंटे की पैदल चल कर दो आंगनवाड़ी सेविकाएं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वंहा के बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की जवाबदारी त्रिभा रही हैं। अंजलि किशन जाधव और सोनल संजाव बराप नामक ये दो कर्तव्य दक्ष सेविकाएं हैं। ये दोनों महिला आंगनवाड़ी के बच्चों का ध्यान रखती हैं। उनका वजन और ऊंचाई मापकर उनके विकास का ध्यान रखती हैं। इन आदिवासी परिवार के लोगों को घर पर पौष्टिक आहार देती हैं। इनका यह कार्य यंहा के अनेक परिवारों को लाभ पंहुचाने वाला है। यही वजह है ये आदिवासी इन दोनों का स्वागत हमेशा हँसते हुए करते हैं। इस अपनापन का अनुभव इन दोनों आँगनवाड़ी सेविकाओं को रोजाना चार घंटे की पैदल यात्रा के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति देता है।

उसकी हिम्मत को सरकार का साथ

औरंगाबाद जिले की तिड़ी /मकरमतपुर वाडी (तालुका -वैजापुर) गांव की रहने वाली श्रीमती सोनू बंसी सोळसे (26 वर्ष) शादी के बाद पति की नशे की आदत से परेशान हो अपने बच्चों के साथ माता -पिता के साथ रहने लगी। माता -पिता को परेशानी नहीं हो इसलिए भूमिहीन श्रीमती सोनू ने जीविकोपार्जन के लिए गांव के स्कूल में साफ़ सफाई, खेत में मजदूरी, बर्तन धोने का काम कर पेट भरने का इंतजाम तो क्र लिया लेकिन सिर पर छत नहीं थी। जीवन जीने के उसके इस संघर्ष को देख ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर उसके नाम की शिफारिस रमाई आवास योजना के लिए की। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसका घर मंजूर होने की बात जब उसे बतायी गयी तो, उसे स्वयं का घर होने की कल्पना मात्र से ही खुशी आकाश को छूने लगी। उसी समय उसने निधार्रित किया कि सरकार की आर्थिक मदद के अतिरिक्त अपनी बचत के पैसे से उसे अपने घर को साफ़ सुथरा बनाना है।

घर बनाने के लिए जमीन की अड़चन थी। पिता ने घर बनाने के लिए जमीन दी। रमाई आवास योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त मिलती गयी और वैसे -वैसे उसका घर बनता गया। क्षेत्रीय विकास अधिकारी अजय सिंह पवार, ग्रामसेवक व ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता के मार्गदर्शन में घर बन गया। घर मिलने के बाद उसे जीवन जीने की नयी ऊर्जा मिली। जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की प्रकल्प संचालक श्रीमती संगीता देवी पाटिल ने उनके घर का निरीक्षण किया तथा घर के सामने पांच वृक्ष लगाने तथा महिलाओं को एकत्र कर बचत समूह तैयार कर लघु उद्योग शुरु करने के लिए प्रोत्साहित किया।

घर का स्वप्न पूर्ण हो जाने से उसके जीवन में बदलाव आया। समाज में उसके प्रति देखने का नजरिया भी बदला। बारिश में कच्चे घर में पानी भी आता था और सांप -बिच्छू भी निकलते थे जिनकी वजह से जान को खतरा बना रहता था। अब पक्के घर में रहने से बारिश और गर्मी की परेशानी नहीं। साथ ही घर में शौचालय होने की वजह से किसी भी प्रकार के संसर्गजन्य बीमारियों की चपेट में आने का खतरा भी नहीं।

गणेश माधवराव चुकेवाड, **विस्तार अधिकारी, पंचायत समिति, वैजापुर**

महिला आर्थिक विकास महामण्डल के वर्धापन दिन के अवसर पर 'तेजश्री फाइनेंसियल सर्विसेस ' योजना का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर विधानपरिषद की उप सभापति डॉ. नीलम गोल्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमति ठाकुर (सोनावणे) उपस्थित थीं।

महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहे महिला आर्थिक विकास महामण्डल अर्थात माविम महाराष्ट्र की ग्रामीण व शहरी महिलाओं के विकास में अग्रणी बन रहा है। महिलाओं के संगठन। उनकी क्षमताओं का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में माविम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महिलायें विकास में अग्रणी

महाराष्ट्र का आर्थिक विकास ग्रामीण विकास पर आधारित है। विशेषत: खेती पर आधारित इस अर्थ व्यवस्था को अलग ही दिशा देने की जरूरत को समझ कर सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं उसमें माविम का महत्व अधिक है। स्वयं सहायता के माध्यम से महिलाओं को आत्म निर्भर करने के उद्देश्य से शुरु हुए इस उपक्रम में पिछले चार दशकों से यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्यरत है। माविम को देश और अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पुरस्कार ही यह सिद्ध करते हैं कि माविम, राज्य

"राज्य में प्लास्टिक बंदी के दौर में महिला आर्थिक विकास महामण्डल ने कागज और कपडे की थैलियां बनाने की जिम्मेदारी को उत्तम तरीके से निभाया। निरंतर विकास के उद्देश्य व महिला सक्षमीकरण में करीबी नाता है, यह बात अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। 'माविम ' और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सक्षमीकरण के लिए सरकार नियमित ही प्रयत्नशील रहती है। महिला बचत समूहों का काम करते ग्राम विकास, नगर विकास विभाग के भी बचत समूह हैं। इनके साथ साथ माविम के महिला बचत समूह भी आगे बढ.रहे हैं व अपने नए -नए उत्पादन भी बाजार में ला रहे हैं। भविष्य में भी माविम की प्रगति की तरफ ऐसी ही चाल बनी रहेगी।"

-डॉ. नीलम गोल्हे, उप सभापति, विधान परिषद

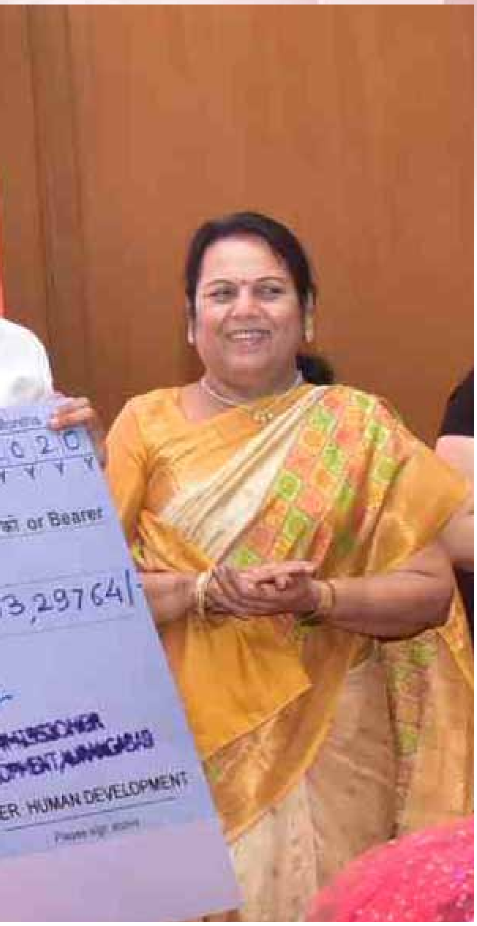

की महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहा है।

विकास की सतत प्रक्रिया से महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किये गए महिला आर्थिक विकास महामण्डल (माविम), राज्य सरकार का उपक्रम है। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के निमित्त २४ फरवरी १९७५ को इस महामण्डल की स्थापना की गयी थी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास का महत्व व महामण्डल के कार्यों में विशेषता को ध्यान में रख राज्य सरकार ने महामण्डल को महिलाओं के विकास की राज्य स्तरीय 'शिखर संस्था ' घोषित किया गया है। इस वजह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत महिलाओं के विकास के लिए विविध विकासात्मक योजनाएं राज्य में कायान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य इसका ही है। स्वयं सहाय बचत समूह, वित्तीय संस्था। स्वयं सेवी संस्था व सरकार से सम्बंधित विभागों में समन्वय साधने का महत्वपूर्ण कार्य भी माविम कर रहा है।

माविम का विस्तार

सम्पूर्ण राज्य में अपना कार्य विस्तार करने वाले माविम का कार्यालय मुंबई में बांद्रा में है। माविम के मुंबई सहित ग्रामीण भाग में 36 जिला कार्यालय हैं। माविम के माध्यम से चलाये जानी वाली हर योजना माविम के जिला कार्यालयों के द्वारा की चलाई जाती है। महिलाओं की आर्थिक जरूरतों, उनकी क्षमताओं को पहचान कर आवश्यक मदद करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी वर्ग तत्पर रहता है।

> “ महिला आर्थिक विकास महामण्डल (माविम) के शहरी व ग्रामीण भाग में महिलाओं का काम उत्कृष्ट है। चंहुमुखी विकास की दिशा में महाराष्ट्र निरंतर आगे बढ.रहा है। महिलाओं के मन को जानकर उन्हें सही दिशा दी तो निश्चित ही वह अपने क्षेत्रों में प्रगति कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी तरह का सहयोग किया जाएगा। महिला आर्थिक विकास महामण्डल के महिला बचत समूहों का काम प्रेरणादायी है। महामण्डल के भविष्य की प्रगति के लिए ये काम महत्वपूर्ण हैं। ”
>
> **–श्री. उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री**

ींशीशषश्रश उश्शुक्ष ैशषभ्गाशच्धीउश

- जिला स्तर पर महिलाओं की विकासात्मक योजना व कार्यक्रम की सुनियोजित पद्धति को अमल में लाना।
- लाभार्थियों की आवश्यकतानुसार उपक्रमों का नियोजन व अनुदान पर अवलंबन कम करने पर बल।
- नियोजन में निचले स्तर से लाभार्थियों की सहभागिता।
- कार्य क्षेत्र की वास्तविकता पर आधारित प्रक्रिया और नीति को लचीली पद्धति से अमल कराना।

विविध कार्यक्रमों का परिणाम

- माविम ने स्थापित किये ३६१ लोक संचालित साधन केन्द्रो में से (सीएमआरसी) ८०% सीएमआरसी अपने बल पर कार्यरत हैं।
- स्वयं सहाय बचत समूहों की महिलाओं को दो से तीन स्थायी आय के स्रोत मिले।
- ६१८० माइक्रो लाइवलीहुड प्लॉन में (सूक्ष्म उदर निर्वाह योजना) १५१०५९ महिलाओं की सहभागिता।
- माइक्रो लाइवलीहुड प्लॉन में शामिल महिलाओं की आय ५००० से २०००० रुपये तक बढी।
- विविध बैंकों ने स्वयं सहाय बचत समूहों की महिलाओं को (२८३६.३८ करोड़ रुपये) का कर्ज उपलब्ध कराया है।
- विविध विभागों के साथ समन्वय बनाकर ४४ करोड़ रुपये का (वित्त वर्ष २०१८-१९) लाभ महिलाओं को देने में सफलता मिली।
- महिलाओं की संपत्ति में मालकियत, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता व पंचायतराज संस्थाओं में महिलाओं को स्थान दिलाने में सफलता।
- कृषि पद्धति में तकनीक का इस्तेमाल कर महिलाओं के परिश्रम में कमी करने का प्रयास।

- प्रभावी प्रबंधन व कार्य संघ भावना की मदद से अधिकारी और कर्मचारी में स्थिरता।
- एक हाथ सत्ता या एकाधिकार शाही पर अंकुश लगाने के लिए योग्य प्रतिबंधक उपाय करना।
- गरीब से गरीब लाभार्थी चुनने के लिए स्मार्ट संसाधनों का उपयोग।
- सूक्ष्म निरीक्षण कर सापेक्ष गरीबी को संबोधित करना।

"महिला आर्थिक विकास महामण्डल नियोजन विभाग की तरफ से वित्त वर्ष २०१८-१९ में ३१ करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई। इसका महामण्डल ने उपयोग कर अपने विविध उपक्रमों के माध्यम से नाम बढाया। राज्य सरकार के विविध विभागों को जो -जो चीजें लगती हैं उन उन वस्तुओं का उत्पादन महामण्डल करे। महिला महामंडल पर विश्वास है, उनको सरकार की तरफ से जो कर्ज दिया जाता है उसको समय से उनके द्वारा लौटाया जाता है।

-श्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री"

माविम के काम की रणनीति बनाते समय स्वयं सहाय बचत समूहों के आधारित कार्यक्रम /प्रकल्प को निम्न चार प्रमुख घटकों पर बल दिया जाता है।

संस्था निर्माण और उनको बल देना

माविम का विश्वास है कि संस्था निर्माण व उनको मजबूत बनाने की प्रक्रिया, महिलाओं के सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्था निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं सहाय बचत समूहों के फेडरेशन अर्थात लोक संचालित साधन केंद्र (सीएमआरसी) का समावेश होता है। महामण्डल द्वारा बनायी गयी संस्थाओं ने सामाजिक पूंजी, लोकतांत्रिक गवर्नेंस, सदस्यों के विविध कार्यक्रम और सेवा देने के लिए प्रशासकीय प्रणाली विकसित की है। इसके साथ साथ सोशल इंटरप्राइज डवलपमेंट जैसे उपक्रम लेने व विविध भागीदारों से संसाधन एकत्र करने पर बल दिया है।

सूक्ष्म वित्त सेवा

इस घटक के तहत • अंतर्गत बचत और कर्ज देना • बड़ा कर्ज लेने के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं को भागीदार बनाना • स्वयं सहाय बचत समूहों की महिलाओं को बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा कंपनियों से जोड़ना।

आजीविका व उद्योजकता विकास

महिलाओं को आय के स्रोत उपलब्ध करा कर देने के लिए महिलाओं के कौशल्य को विकसित करना। उपलब्ध प्रगतिशील तकनीकी ज्ञान व श्रम की बचत करने वाले मूलभूत सुविधाओं से महिलाओं को परिचित कराना जिसकी वजह से उनका उद्योजकता के विकास में सहभागिता बढाया जा सके। बचत समूह द्वारा उत्पादित किये गए माल को बाजार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहयोग करना।

स्वास्थ्य

महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत संवेदनशील विषय है। महिलाओं को स्वास्थ्य ठीक रहे तथा उनमें स्वच्छता के विषय में जन जागृति बढे इसके लिए बाहरी संस्थाओं से भागीदारी की जा रही है।

अल्प संख्यक महिलाओं का सक्षमीकरण

महाराष्ट्र सरकार के अल्प संख्यक विभाग व अल्प संख्यक आयोग की मदद से कुल १० अल्प संख्यक बहुल शहरों में (मुंबई -धारावी, चांदिवली, ट्रॉम्बे, ठाणे -भिवंडी, मुम्ब्रा - कौसा, नाशिक -मालेगांव, औरंगाबाद -परभणी, नांदेड़, वाशिम -कारंजा, नागपुर, पुणे व सांगली -मिरज) में महिला सक्षमीकरण के उपक्रम चलाये जा रहे हैं।

कृषि विकास प्रकल्प

विदर्भ के अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा और वर्धा जैसे प्रमुख ६ जिलों में किसानों की आत्महत्या की संख्या

महिला बचत समूहों का यह अभियान बहुत पुराना है लेकिन आज ये बड़ी संख्या में प्रगति कर रहे हैं। महिला जैसे परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकतीं हैं वैसे ही वे देश को भी ठीक तरह से चला सकती हैं। समाज के उत्पादन की जरूरत को समझकर विविध उपक्रम चलाकर महामण्डल का उत्पादन बया जाय, इसके लिए महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराये जायेंगें।

–श्री बालासाहब थोरात, राजस्व मंत्री

ज्यादा होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार और आईफैड के सहयोग से कृषि समृद्धि समन्वित कृषि विकास प्रकल्प २००६ से कायार्न्वित किया गया है। यह कार्यक्रम जून २०१९ में पूर्ण हो गया।

अंत्योदय योजना

महिला आर्थिक विकास महामण्डल इस प्रकल्प में संसाधन संस्था की भूमिका निभाता है। यह प्रकल्प राज्य के ३४ जिलों के २५० शहरों में चलाया जा रहा है। यह प्रकल्प सितम्बर २०१७ से ३० मार्च २०२४ तक चालू रहेगा। इस प्रकल्प में शहरों के गरीब और उनकी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने व उनकी क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देने की भूमिका माविम की रहती है।

ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के अंतर्गत ठाणे (भिवंडी -शाहपुर), सोलापुर (माळशिरस, मोहोळ) व गोंदिया (सालेकसा, तिरोडा) इन तीन जिलों के ६ तालुकाओं में तीन साल के लिए तकनीकी तज्ञ और क्रियान्वित करने वाली संस्था के रूप में चयन किया गया है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति मार्च २०२३ तक रहेगी।

अन्य उपक्रम

माविम के माध्यम से विविध उद्योगों का प्रशिक्षण देकर महिलाओं की उद्यमशीलत

बढाने का उपक्रम नियमित रूप से चलाया जाता है। इसके तहत विविध कार्यशाला, प्रशिक्षण वर्ग किये जाते हैं। इसके साथ साथ कृषि आधारित व्यवसाय के लिए और कृषि किफायती खर्च में कैसे की जाय इस दृष्टिकोण से उपक्रम चलाये जाते हैं। विशेषतः प्रशिक्षण और यंत्रों का इस्तेमाल कर कम परिश्रम में ज्यादा उत्पादन लेने पर बल दिया जाता है।

टीम लोकराज्य

महिला आर्थिक विकास महामण्डल (माविम) यह महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम है तथा वह स्वयं सहाय बचत समूहों के माध्यम से महिला सक्षमीकरण का काम भले ही करता हो, फिर भी राज्य की प्रत्येक महिला के सर्वांगीण विकास के महिलाओं की शिक्षार संस्था के रूप में 'माविम' कटिबद्ध है।

–श्रीमती ज्योति ठाकरे,
अध्यक्ष, माविम

तेजश्री फाइनेंसियल सर्विसेस

महिला आर्थिक विकास महामण्डल का हाल ही में 45 वान स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 'माविम ' द्वारा स्थापित बचत समूहों की महिलाओं की प्रेरणादायी कन्याओं को प्रोत्साहन देने के लिए 'तेजस्विनी कन्या' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक क्षेत्रों में स्त्री सक्षमीकरण के लिए योगदान देने वाली कर्तृत्वान महिलाओं को सम्मानित किया गया। माविम के स्थापना दिवस पर 'तेजश्री फाइनेंसियल सर्विसेस 'नामक महिलाओं के लिए योजना का शुभारम्भ भी किया गया। इसके लिए माविम को 68.58 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गयी है। इसमें से चालू वित्त वर्ष की पहली 31 करोड़ 3 लाख रुपये की किश्त हस्तांतरित भी की जा चुकी है।

तेजस्विनी कन्या पुरस्कारः नेहा गजभिये -नागपुर, संध्या हटकर -नांदेड, जयश्री आहेर -नाशिक, प्रतीक्षा निमकर -अमरावती, प्रियंका लोखंडे -पुणे, माधवी पाटिल -पालघर, माविम द्वारा स्थापित बचत समूहों की इन महिलाओं की प्रेरणादायी कन्याओं को 'तेजस्विनी कन्या ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में स्त्री सक्षमीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कर्तृत्वान महिला चित्र उबाले -डिक्की, ज्योति म्हापसेकर -स्त्री मुक्ति संगठन, रुबीना शाह, स्वाति वैद्य, रेवती निकम को भी सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान का नामकरण ' उम्मीद ' किया गया है। उम्मीद इस शब्द में ही इस योजना का सारा सार समाहित है। उम्मीद, कार्य और कर्तृत्व को गति देने वाली, मन को उभार देने वाली बात है। उम्मीद है तो व्यक्ति पुनः -पुनः खड़ा हो सकता है। इसी उम्मीद ने लाखों स्त्रियों को स्वयं रोजगार की राह दिखाई है। उनके अंदर के कौशल्य को नए पंख दिए हैं।

कौशल्य को नए पंख

इरशाद बागवान

ग्रामीण ग्रामीण भागों में गरीबी के निर्मूलन करने के लिए ग्राम विकास विभाग के तहत उम्मीद अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें गरीबी निर्मूलन के समग्र विचार के साथ साथ सामुदायिक विकास के माध्यम से शाश्वत आजीविका निर्माण करने तक की सभी बातों का समावेश है। सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समावेश के साथ -साथ सार्वजनिक सेवा की उपलब्धता और विविध योजनाओं का लाभ, उम्मीद के आधार स्तम्भ हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र के गरीब और जोखिम प्रवण परिवारों को समृद्ध, आत्म सम्मान के साथ और सुरक्षित जीवन मिले इसके लिए उम्मीद के तहत एकात्मिक प्रयत्न किये जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा, बचत समूहों द्वारा स्त्रियों के संगठन बनाकर उनके उद्योग और व्यवसाय को गति दी जाती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संघ तथा जिला परिषद स्तर पर प्रभाग संघ तैयार किया जाता है। इन संस्थाओं के माध्यम से गरीबों के अधिकार, हक, वित्तीय सेवा तथा शाश्वत आजीविका के अवसर प्राप्त होने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है।

गांव स्तर तक उम्मीद

'उम्मीद' अभियान को राज्य के ३४ जिलों और ३५१ तालुकों में इंटेंसिव पद्धति से किया लागू किया जा रहा है। इंटेंसिव पद्धति से लागू करते हुए जिला स्तर पर जिला अभियान प्रबंधन कक्ष तथा तालुका स्तर पर तालुका अभियान प्रबंधन कक्ष की स्थापना की गयी है। इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक स्वतंत्र, समर्पित और संवेदनशील मनुष्य बलों और यंत्रणा का निर्माण किया गया है। अभियान को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए समुदाय संसाधन व्यक्तियों की भारी श्रृंखला गांव स्तर तक खड़ी की गयी है। व्यक्तियों के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वयं सहाय समूहों में शामिल करने का मूल्यवान काम किया जाता है। समुदाय संसाधन व्यक्ति या स्त्री, उस समुदाय संस्था का एक भाग बनकर काम करते हैं।

बचत समूहों को कर्ज वितरण

उम्मीद अभियान के अंतर्गत महिलाओं के ४.२३ लाख स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गयी है। इनके माध्यम से ४५ लाख परिवार इस अभियान से जोड़े गए हैं। अभियान के माध्यम से करीब ८२३ करोड़ रुपये की समुदाय निधि तथा बैंकों के माध्यम से ६६०० करोड़ रुपये का कर्ज इन समूहों को उपलब्ध कराया गया है।

अभियान के अंतर्गत १०.८३ लाख परिवारों को आजीविका के विविध स्रोत निर्माण किये गए हैं जिनके माध्यम से १ हजार ७० करोड़ रुपये की आय निर्माण हुई है। गांव स्तर पर करीब ४० हजार प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

कौशल्य वृद्धि और क्षमता निर्माण

राज्य में उम्मीद के तहत महिला बचत समूह स्थापित किये जाते हैं। अभियान का निर्माण करते समय स्त्रियों को केंद्र बिंदु में रखा गया है, जिसकी वजह से अभियान में शामिल सभी उपक्रम स्त्रियों के लिए हैं। स्त्रियों के स्वयं सहायता समूह निर्माण होने के बाद और उन्हें तीन महीने पूर्ण हो जाने पर चल निधि (आरएफ) दी जाती है।

अभियान के १० सूत्र

इस अभियान में १० सूत्री संकल्पना स्वीकार की गयी है। समुदाय संस्था में वित्तीय अनुशासन के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना ही दस सूत्री का मुख्य उद्देश्य है। ये हैं दस सूत्र : १. नियमित बैठक २. नियमित बचत ३.नियमित अंतर्गत कर्ज व्यवहार ४. नियमित कर्ज लौटाना ५. नियमित दस्तावेजों को ठीक रखना ६. स्वास्थ्य और स्वच्छता ७. शिक्षा ८. पंचायत राज संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी ९. सरकारी योजनाओं का लाभ १०। शाश्वत आजीविका के उपाय करना

इन दस सूत्रों का पालन करने से बचत समूह के सदस्यों के आत्म विश्वास बढाने में मदद होती है तथा उन्हें बैंकों से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होती है।

इसका उपयोग समूह की महिलायें अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने या व्यवसाय के लिए कर सकती हैं।

समूह के ६ महीने हो जाने के बाद इस समूह के हर सदस्य का सूक्ष्म निवेश प्लान तैयार किया जाता है और उस समूह को समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) दी जाती है। बैंक के माध्यम से समूह को कर्ज दिया जाता है। इस निधि से स्त्रियां अपने कौशल्य, संसाधन व इच्छा सभी पहलुओं पर विचार कर व्यवसाय का चयन करती हैं। स्त्रियों को उनके कौशल्य वृद्धि व क्षमता निर्माण के लिए उम्मीद के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अभियान का लाभ गांव की सभी गरीब महिलायें ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह या बचत समूह में सहभागी होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण

बचत समूह की सदस्य महिला के परिवार के युवक, युवती को प्रशिक्षण देकर विविध कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए अभियान में माध्यम से प्रकल्प अमल करने वाली संस्था की भी नियुक्ति की गयी है। स्वरोजगार करने की इच्छा रखने वाली युवक -युवतियों को जिला स्तर पर लीड बैंक के माध्यम से आरईएसटीआई योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक के माध्यम से उन्हें कर्ज उपलब्ध कराकर स्वरोजगार करने में मदद की जाती है। अभियान में वर्धिनी, प्ररिका, पशु सखी, कृषि सखी, कृति संगम सखी आदि पद्धति से समुदाय संसाधन व्यक्ति के रूप में काम करने के अवसर भी दिए गए हैं। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। इस माध्यम से प्रशिक्षित और कौशल्य विकसित हुए समुदाय संसाधन व्यक्तियों की एक श्रृंखला निर्माण होती है।

बचत समूहों के उत्पादों को

बाजार

अभियान में जिला, विभाग व राज्य स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित कर स्त्रियों के बचत समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। मुंबई में आयोजित होने वाली महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी लोकप्रिय साबित हुई है। इस प्रदर्शनी में महिला बचत समूहों ने पिछले साल १५ करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस बार प्रदर्शनी में ५०० से अधिक बचत समूह शामिल हुए थे। ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन जिला और विभाग स्तर पर भी किया जाता है।

अस्मिता योजना

ग्रामीण भागों में लड़कियों व महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का उपयोग करने का प्रमाणकम है। इस बात को ध्यान में रख उम्मीद अभियान के बचत समूहों के माध्यम से राज्य में 'अस्मिता ' योजना शुरु की गयी है। इस योजना के तहत स्कूली छात्रों को मात्र ५ रूपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को भी सस्ते दर में पैड उपलब्ध कराये जाते हैं। httpëwww. umed.in नामक वेबसाइट पर जाकर आप इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी हांसिल कर सकते हैं। इस अभियान में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय विकास अधिकारी पंचायत समिति से संपर्क करें।

"उम्मीद अभियान के तहत चलाये जा रहे बचत समूह आंदोलन से राज्य में एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो रही है। महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में सहभाग बढ.रहा है। बचत समूह की महिलायें बड़ी मेहनत और प्रमाणिकता से उत्पादों का निर्माण करती हैं इस वजह से उपभोक्ताओं को भी उनके उत्पादों पर विश्वास हो रहा है। उम्मीद अभियान और उसके अंतर्गत चलाये जाने वाले विविध उपक्रम, महालक्ष्मी सरस जैसी प्रदर्शनी, अन्य विभाग स्तरीय और जिला स्तरीय प्रदर्शनी की वजह से बचत समूह की महिलाओं को बाजार उपलब्ध हो रहा है जिसकी वजह से गावों की महिलाओं के जीवन में गरीबी कम होने में मदद मिल रही है। मुंबई जैसे बड़े शहर में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार मिल रहा है।"

–हसन मुश्रीफ, मंत्री, ग्राम विकास

विभागीय संपर्क अधिकारी

हक़ और अधिकार

भारत के संविधान ने भले ही स्त्री –पुरुष समानता समानता को अंगीकार किया है लेकिन जाति आधारित वर्ग, भाषा, संस्कृति और उसके आधार पर आने वाले बदलावों की वजह से संवैधानिक प्रावधानों का अधिक लाभ महिलाओं तक पंहुचा नहीं है। समान अवसर और एक नागरिक के रूप में जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन संविधान में प्रदत्त हक और अधिकार का लाभ लेने के लिए क़ानून की जानकारी होना आवश्यक है। अन्याय और अत्याचार सहन करने के पीछे क़ानून के प्रावधानों की अनभिज्ञता एक प्रमुख कारण होता है। महिलाओं में क़ानून के बारे जन जागृति के लिए सरकार, विविध सामाजिक संगठन, व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे हैं फिर भी महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए समाज को स्वस्फूर्त रूप से आगे आना जरूरी है।

एडवोकेट प्रिया देशपांडे

संविधान के शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने भारतीय स्त्रियों पर अनेक उपकार किये हैं। भारतीय स्त्रियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हिन्दू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के पावों में परंपराओं की बेड़ियों को तोडा। परंपरा ने महिलाओं पर लादी दोयम दर्जे को उन्होंने अमान्य कर महिला -पुरुषों में समानता की दिशा के लिए उन्होंने कानूनी प्रावधान किये। आज अपने हक की जानकारी वाला एक बड़ा वर्ग है फिर भी शिक्षा और माध्यमों के अभाव के कारण क़ानून के बारे में कम जानकारी की वजह से महिलायें अन्याय सहन कर रही हैं। इन घटक पर होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए उनके अंदर के ज्ञान को जगाने के साथ साथ उन्हें क़ानून विषयक जानकारी होना आवश्यक है।

दहेज.विरोधी क़ानून

१९६१ के क़ानून के अनुसार दहेज. मांगना और दहेज.देना दोनों गुनाह है। इस क़ानून को अधिक प्रभावी करने के लिए भारतीय दंड संहिता में ३०४ (बी) और ४९८ (क) की नयी धाराओं को अंतर्भूत किया। कोई भी दहेज.की मांग करे तो संबंधित महिला, उसके रिश्तेदार पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में दहेज.विरोधी अधिकारी की नियुक्ति, जिला तथा तालुका स्तर पर समितियों की स्थापना इस क़ानून के अंतर्गत की गयी है।

अश्लीलता विरोधी क़ानून

भादस की धारा २९२ से २९४ में महिलाओं से अश्लील हरकत करने वाले को सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से विज्ञापन, पुस्तक, चित्र आदि के माध्यम से महिलाओं का अपमान करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर छेड़, अश्लील हावभाव, फिरके बाजी करना भी दंडनीय है।

छेडछाड करना गुनाह

स्त्री की इज्जत लूटने, हाथ पकड़ना, उसके कपड़ों में हाथ डालना और इस प्रकार से उसकी विनय भंग करने के लिए जैसे सजा के प्रावधान है वैसे ही छेड़छाड़ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा ५०९ के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

बाल विवाह विरोधी क़ानून

बाल विवाह की प्रथा बंद करने के लिए 'बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा एक्ट)' १९२९ में सुधार किया गया है। लड़की की उम्र कम से कम १८ साल और लडके की उम्र २१ साल से कम होने पर सजा का प्रावधान है। यह क़ानून सभी जाति धर्म के लोगों पर एक समान लागू होता है।

परिवार अदालत

दाम्पत्य व पारिवारिक कलह के प्रकरण

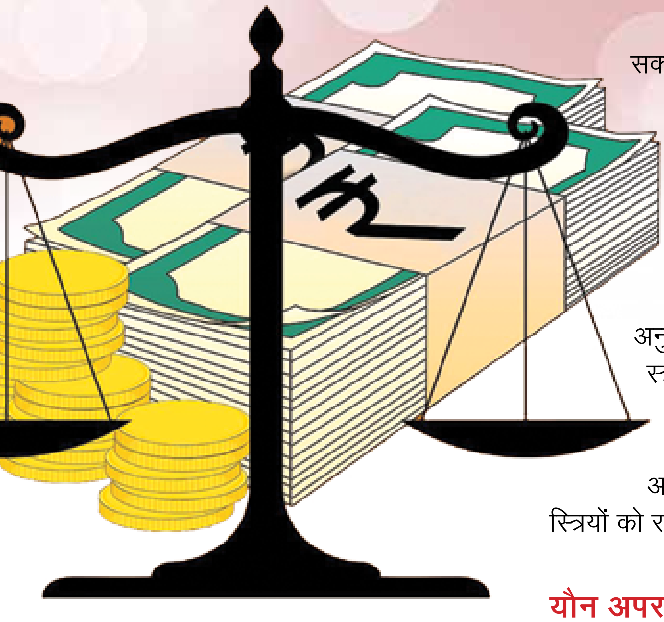

एक जगह पर सुलझाने के लिए परिवार अधिनियम १९८४ लागू किया गया। जंहा पर परिवार अदालत नहीं हैं वंहा जिला अदालत को परिवार अदालत का दर्जा दिया गया है।

बच्चे पर हक

किसी स्त्री का तलाक हो जाने पर वह अपने पांच साल के बच्चे को अपने पास रख सकती है। मात्र पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को रखने के बारे में अधिकार न्यायालय के निर्णय के अधीन है।

सामान वेतन क़ानून

समान वेतन क़ानून के अनुसार सामान काम के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। विशिष्ट कार्य क्षेत्र में नौकरी छोड़ अन्य स्थानों पर रात की पारी में स्त्रियों को रात में बुलाया नहीं जा सकता।

यौन अपराध

यौन अपराधों के संबंध में भादस की धारा ३७५ व ३७३ के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। यौन अपराध के प्रकरण की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में होती है।

हिन्दू उत्तराधिकार

१९५६ में बनाये गए हिन्दू उत्तराधिकारी क़ानून के तहत महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान किये गए। इसकी वजह से स्त्री धन का उपभोग करने व धन खर्च करने का अबाधित अधिकार स्त्रियों को मिला। हिन्दू स्त्री संयुक्त परिवार में भी संपत्ति मांग सकती है। स्त्री धन मिले इसके लिए स्त्री अदालत में मुक़दमा भी दायर कर सकती है। स्त्री को बच्चों की तरह ही पैतृक संपत्ति में समान हक दिया गया है।

हिन्दू विवाह अधिनियम

भादस की धरा १२५ के अनुसार गुजर बसर का खर्च स्त्री को खर्च माँगने का अधिकार है। पति -पत्नी के विवाद का फैसला आने तक बीच के समय में पत्नी के गुजर बसर के लिए खर्च देने का क़ानून में प्रावधान किया गया है।

प्रसूति सुविधा क़ानून

नौकरी पेशा महिलाओं को प्रसूति व नवजात बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टी का प्रावधान है। इस समय में एक विशेष अवधि के लिए उसे वैतनिक अवकाश मिलता है। क़ानून के अनुसार ये छुट्टियां और उससे जुड़े अन्य फायदे केवल दो बच्चों के जन्म के लिए ही मिलते हैं। गर्भपात होने पर भी स्त्री को वैतनिक अवकाश

स्त्री संपत्ति मिलने का मार्ग

कमाने वाली स्त्री स्वयं की नौकरी -व्यवसाय से मिलने वाला वेतन, उसको मिलने वाला मानधन, व्यवसाय से मिलने वाला नफा यह उसकी स्वअर्जित यानी स्वयं कमाई हुई संपत्ति है।

फिर भी अगर परिवार के पारंपरिक, सामाजिक व्यवसाय में स्त्री ने सहयोग किया है वह भी उसकी आय का स्रोत है। उस व्यवसाय से होने वाली आय में से उसे अपने लिए पैसे माँगने का अधिकार है। इसके अलावा जन्म दिन, सगाई, शादी, शादी के बाद के पहले बारह त्यौहार, शादी की सालगिरह, बच्चे के जन्म, उत्सव त्यौहार, गृह प्रवेश, दूसरों के विवाह समारोह जैसे अनेक अवसरों पर महिलाओं को अनेक बार मूल्यवान वस्तुएं, उपहार आदि मिलते हैं, इसके अलावा मायके या ससुराल से मिलने वाले जेवरात यह उसके स्वामित्व की चीजे हैं।

इच्छा पत्र या मृत्यु पत्र (विल) या बक्षीस पत्र या दान पत्र (गिफ्ट डीड) किसी ने भी कोई एकाध चीज स्त्री को दी तो वह संपत्ति उस स्त्री की मालकियत की संपत्ति होगी। स्त्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, ससुर की संपत्ति में भी कुछ परिस्थितियों में हिस्सा मिलता है।तलाक होने पर भरण पोषण के लिए एकमुश्त रकम भी मिल सकती है। यह सभी संपत्ति उसके मालकियत की होती है।

अनेक स्त्रियों को कुछ कारण से तलाक लेकर अलग -अलग रहना पड़ता है। अनेक बार हर महीने के भरण पोषण की राशि लेने के बजाय पति से एकमुश्त राशि लेने के लिए पति -पत्नी दोनों के लिए आसान होता है। कुछ परिवारों में एक मुश्त रकम की बजाय कृषि जमीन का हिस्सा, निवासी घर, दूकान जैसी स्थायी संपत्ति में पत्नी को हिस्सा दिया जाता है। इस प्राकर से मिलने वाला हिस्सा वह उसकी निजी मालकियत की संपत्ति माना जाता है। इस प्रकार की संपति के प्रयोग, खरीदी -बिक्री, उससे आने वाली आय पर सिर्फ उसका ही अधिकार रहता है। शादी में किया गया खर्च, दिया हुआ दहेज, शादी के समय लड़की के शरीर पर पहने हुए जेवरात, उसकी शिक्षा के लिए किया गया खर्च ऐसे अनेक बहाने बनाकर लड़की को मायके की संपत्ति में हिस्सा देने से टाला जाता है। यह क़ानून सम्मत नहीं है। ऊपर लिखी हुई परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन उसे मायके की संपत्ति में मिलने वाला हक अबाधित रहता है।

मिलने का प्रावधान है।

विशेष विवाह अधिनियम

विशेष विवाह अधिनियम १९५४ के प्रावधानों के अनुसार सक्षम और १८ साल पूर्ण हो चुकी स्त्री प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती है।

महिला की गिरफ्तारी के संबंध में

महिला को केवल महिला पुलिस सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। परिवार के सदस्यों की उपस्थिति व योग्य कारण हों तभी स्त्री को पुलिस स्टेशन में पूछताछ या जांच के लिए बुलाया जा सकता है। स्त्री को गिरफ्तार करने के बाद उसे सिर्फ महिला कक्ष में ही रखा जा सकता है।

हक छोड़ पत्र

मायके की संपत्ति में हिस्सा माँगा तो ऐसा लगता है कि भाई -भाभी और अन्य बहनों से रिश्ते खराब होते हैं और नहीं मांगे तो ससुराल पक्ष के लोग नाराज होता है, ऐसी उलझन में कुछ स्त्रियां दिखाई देती हैं। मायके का आधार टिकाने के लिए कुछ स्त्रियां ऐसी परिस्थिति में मायके की संपत्ति पर हक छोड़ देती हैं। तो कभी भाई से संपत्ति का हक पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संपत्ति के बारे में कोई भी निर्णय वकील की सलाह से समज बूझ कर लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। स्वयं की संपत्ति के बारे में, हक छोड़ पत्र, कुलमुख्त्यार पत्र या पॉवर ऑफ़ एटॉर्नी ऐसे कोई भी दस्तावेज पंजीकृत कराते समय योग्य सलाह लें। अपने कानूनी अधिकार समझे बिना ऐसे किसी भी कागजात पर दस्तखत नहीं करें।

घर दोनों का

पति -पत्नी में झगड़ा या नहीं जमने की स्थिति में सहज तरीके से पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्य तौर पर सभी जगह यह तस्वीर नजर आती है। लेकिन इस स्थिति को बदलने के लिए १० अक्टूबर १९९४ को सरकार ने नए नियम बनाये हैं।

महत्वपूर्ण प्रावधान

जमीन का पट्टा, घर और प्लॉट अब दोनों की बराबरी मालकियत के होंगे। झौपडपट्टी वासियों को दिया जाने वाला पहचान पत्र के पहले पन्ने पर पति और पत्नी दोनों के ही फोटो होंगे। नया फ्लैट या प्लॉट लेने के बाद उसके संबंध में कागजात तैयार करते समय दोनों के नाम किये जाने चाहिए। ऐसे ही कागजातों का पंजीयन करना आवश्यक है। इंदिरा आवास योजना के तहत बनाये गए घर को पति और पत्नी दोनों का नाम करें।

ध्यान दें

घर या संपत्ति पंजीयन कराते समय व्यक्ति अविवाहित है तो शादी के बाद अपने आप घर या संपत्ति पत्नी के नाम पर हो जाएगी, ऐसी शर्त है।

मुस्लिम स्त्रियाँ

इस्लामिक क़ानून के अनुसार मुस्लिम स्त्री को भी पारिवारिक संपत्ति में वारिस का अधिकार है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

विधवा के हक: प्रत्येक विधवा को उसके पति की संपत्ति पर हक है। यदि मृत पति के बच्चे नहीं है तो भी उस महिला को संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा मिलेगा। यदि बच्चे हैं तो १/८ वां हिस्सा मिलेगा। मृत पति के पीछे एक से अधिक विधवाएं हैं तो विधवा के हक का बंटवारा कर १/१६ वां हिस्सा दिया जाता है।

लड़की का हक: लड़की, पिता की संपत्ति की वारिसदार समझी जाती है। यदि लड़का नहीं है तो लड़की को पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है।

मां का हक: संतान के बाद उनकी संपत्ति में माँ का हिस्सा रहता है। मृत बच्चों के संतान यानी स्त्री के नाती -पोते नहीं हैं तो उसे उसकी मृत्यु के बाद बच्चों की संपत्ति में १/३ मिलता है लेकिन यदि नाती -पोते हैं तो स्त्री के हिस्से का बंटवारा किया जाता है और उसे १/६ हिस्सा मिलता है।

नानी व दादी का हक: नानी को नाती की संपत्ति में से १/ ६ हिस्सा मिलता है बशर्ते नाती की नाती के मां -बाप या माँ जीवित नहीं रहे तो ही दादी को नाती की संपत्ति में हिस्सा मिलता है।

कोई भी मुस्लिम अपनी संतान में किसी को १/३ संपत्ति का इच्छा पत्र या मृत्यु पत्र लिख सकता है। बाल बच्चे नहीं होने वाला व्यक्ति मात्र अपने जोड़ीदार को मात्र २/३

संपत्ति ही इच्छा पत्र के माध्यम से दे सकता है।

मुस्लिम स्त्री को संपत्ति में लड़की, विधवा, मां, दादी ऐसे विविध माध्यमों से संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। जिनके पास से स्त्री को संपत्ति की विरासत मिल सकती है, उसके अतिरिक्त के रिश्तेदारों से भी स्त्री को भेंट दी गयी संपत्ति लेने के लिए स्वतंत्र है। अविवाहित लड़की, माँ-बाप के घर में रहने और उनसे भरण पोषण का हक लेने का अधिकार है। विवाह के बाद तलाक हो जाने तथा तीन महीने की इद्दत कालावधि समाप्त हो जाने के बाद स्त्री के पालन पोषण की जवाबदारी उसे पालकों की है। इसी प्रकार माँ-बाप के पश्चात् स्त्री को संभालने की जिम्मेदारी उसके कमाऊ बच्चों की है।

मेहर

मेहर प्रत्येक मुस्लिम स्त्री का हक है। मेहर का मतलब शादी के समय पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली संपत्ति। एक मेहर शादी के समय में पत्नी के कब्जे में दी जाने वाली संपत्ति तथा दूसरी प्रकार की वैवाहिक रिश्ता खत्म करते समय यानी तलाक के समय दी जाने वाली या पति के निधन के बाद पत्नी के कब्जे में दी जाने वाली संपत्ति। मेहर की यह रकम विवाह के समय ही पति द्वारा निश्चित कराई जाती है और पत्नी या उसके रिश्तेदारों को यह रकम मान्य होने के बाद ही विवाह होता है। मुस्लिम धर्म में स्त्री धन की संकल्पना नहीं है मात्र मेहर का हक है।

ईसाई स्त्रियां

मृत्यु पत्र नहीं किये जाने की स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तो उसकी संपत्ति पति, पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदारों में विभक्त की जाती है। बाल बच्चे या अन्य रिश्तेदार नहीं हों तो सम्पूर्ण संपत्ति पत्नी को मिलती है। सभी बच्चों को संपत्ति में सामान हक है। बीटा या बेटी जीवित नहीं रहे तो उनके बेटे -बेटियों को समान रूप से हिस्सा बांटा जाता है। ईसाई स्त्रियों में स्वयं की कमाई हुई संपत्ति उसकी स्वयं की होती है। मृत्यु पत्र या इच्छा पत्र द्वारा उस संपत्ति को बांटने का अधिकार स्त्री को है।

विशाखा मार्गदर्शिका

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण नहीं हो इसके लिए राज्य में विशाखा मार्गदर्शिका को अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए राज्य भर में शिकायत निवारण समितियां बनायी गयी हैं। इसके अलावा भी महिला, लड़की और बच्चों का अवैध रूप से मानव व्यापार रोकने के लिए राज्य कृति दल की स्थापना भी की गयी है।

कार्य स्थल

कार्यालय में महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों या शोषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शक बिन्दु निधारिंत किये हैं। निजी, सार्वजनिक तथा अन्य संस्थाओं में भी वे लागू हैं। यौन व्यवहार या शोषण तथा शिकायतें रोकने की जवाबदारी सम्बंधित संस्था तथा वंहा के कर्मचारियों की है। इस शिकायतों के झटपट निवारण के लिए प्रत्येक विभाग में महिला अध्यक्ष सहित आधी से ज्यादा महिलाओं को लेकर समिति स्थापन करने का प्रबंध किया गया है।

पारिवारिक हिंसा संरक्षण क़ानून

स्त्रियों को मिलने वाले हक या संरक्षण को अधिक सक्षम बनाने के लिए पारिवारिक हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण क़ानून २००५ मंजूर किया गया। अत्याचार से पीड़ित स्त्री को शीघ्र न्याय मिले इसके लिए इस क़ानून में विशेष प्रावधान किये गए हैं। इस क़ानून में पीड़ित स्त्री को सहायता देने के लिए कार्य प्रणाली निधार्रित की गयी है। इसके अलावा पीड़ित स्त्री को उसके हक हांसिल करने के लिए अलग -अलग क़ानून के तहत अलग-अलग दावे करने की जरूरत नहीं रह जाती है।

देवदासी प्रतिबंधक क़ानून

देवदासियों और उनके बच्चों के पुनर्वसन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के दृष्टि से यह क़ानून उपयुक्त साबित होता है। इस सभी कार्य के लिए महिला व बाल विकास विभाग की स्वतंत्र योजना कार्यरत है।

लेखिका कानूनविद हैं

इंटरनेट पर एक काल्पनिक दुनिया हमारे समाज के लोगों ने निर्माण कर ली है। समाज में जैसे कुछ लोग सही बोलने वाले होते हैं वैसे ही कुछ लोग समाज कंटक भी होते हैं। इंटरनेट या महानेट पर भी इसे प्रकार से कुछ समाज कंटक अपनी विकृत मानसिकता लिए सक्रिय रहते हैं। इस माध्यम का उपयोग कर महिलाओं का शोषण करने वाले सायबर गुनाहों की उपस्थिति घबराकर छोड़ने वाली यदि महिलायें अधिक जागरूकता के साथ इस माध्यम का उपयोग करने

एडवोकेट प्रशांत माळी

इंटरनेट पर जालसाजी से सावधानी

स्त्रियों की तरफ देखने का कुछ लोगों का नजरिया मात्र उपभोग का साधन बन गया है। हर दिन आने वाली बलात्कार की खबरें मन को सुन्न कर देती हैं। भौतिक जगत में महिलाओं का होने वाला शोषण यह डिजिटल दुनिया में भी हो रहा है यह बात बहुत भयानक है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अनेक स्त्रियां नेटवर्किंग, व्यवसाय या अभिव्यक्ति के लिए करती हैं, परन्तु उसके साथ साथ उनके सायबर पीड़ित होने का प्रमाण भी बढ.रहा है। सायबर अपराध से पीड़ित महिलाएं कंहा जाएँ ? क्या करें व स्वयं की मानसिकता कैसे संभालें ? यह तीन बड़े सवाल आज समाज के सामने हैं।

'सायबर स्पेस ' मानव विकास के मार्ग में सबसे बड़ा साधन साबित हुआ है। इंटरनेट की वजह से दुनिया सिमट सी गयी है। विभिन्न सोशल मीडिया और इंटरनेट की सुविधा ने समाजीकरण का एक नया दायरा तैयार किया है। इस दायरे में शामिल होना सबके लिए खुला होने की वजह से स्त्रियां इस मुक्तता का भरपूर और आनंद के साथ फ़ायदा उठाती दिखती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से नेट बैंकिंग, टिकट से लेकर ऑनलाइन टैक्स भरने इस सोशल नेटवर्किंग के मंच ने भारतीय महिलाओं का जीवन बहुत सुखद कर दिया है। ऑनलाइन की दुनिया में स्त्रियां अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा कर सकती हैं। सोशल नेटवर्किंग के इस फायदे की वजह से महिलायें अपनी सफलता की कहानी से लेकर अपने जीवन में आने वाली अड़चनों तक को साझा करती रहती हैं और यह सोशल मीडिया पर दिखाई भी पड़ रहा है।

काल्पनिक दुनिया

लेकिन इस सोशल मीडिया की वजह से जो काल्पनिक दुनिया बन रही है उसके कारण सायबर अपराधों की वजह से स्त्रियों का जीवन भी अतिशय असुरक्षित होने लगा है। इंटरनेट की इस दुनिया का हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एक चुनौती सा बनता जा रहा है।

सायबर पोर्नोग्राफी

स्त्री के अश्लील चित्र वेब साईट पर प्रदर्शित करने को सायबर पोर्नोग्राफी कहते हैं। महिलाओं के लिए यह एक अलग ही समस्या है। कौनसी कृति कब किस प्रकार से रिकार्ड कर ली जाती है और बाद में वह इंटरनेट पर किस प्रकार से प्रदर्शित होती है बहुत सी बार यह बात महिलाओं के धायण में ही नहीं आती है। सायबर अपराध की तुलना में सायबर पोर्नोग्राफी को असाधारण अपराध कह सकते हैं। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा 67 के साथ

सायबर स्टॉकिंग

सायबर स्टॉकिंग यानी विविध ऑनलाइन माध्यमों से किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध निरंतर पीछा करना तथा उसका मानसिक छल करना। किसी महिला के मन के विरुद्ध लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उससे मैत्री की मांग करना, मैसेज का उत्तर नहीं देने पर भी उसे कुछ न कुछ सन्देश, स्माइलीज भेजना। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट पर सतत परेशान करने जैसी प्रतिक्रिया देना. ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से उससे मिलने की मांग करना। मोबाईल पर जवाब नहीं मिले तो वेबसाइट, चैट रूम्स, ऑनलाइन चर्चा मंच आदि माध्यमों से सतत उससे संपर्क करते रहना और उसे परेशान करना। सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा ७२ ऐसे आरोपी के खिलाफ गोपनीयत भंग करने का मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा ५०१ और ४४१ के अनुसार उसे सजा हो सकती है।

साथ भारतीय दंड संहिता की धारा २९०, २९२, २९२ अ, २९३, २९४ और ५०९ के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

ऑनलाइन बदनामी

बदनामी और मानहानि से संबंधित बातें छापना, सायबर अपराध में महिलाओं के खिलाफ होने वाला एक और आम अपराध है। कम्प्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर की जाने वाली बदनामी को ऑनलाइन बदनामी कहते हैं।

मॉर्फिंग

मॉर्फिंग का मतलब मूल छायाचित्र के साथ छेड़छाड़ करना तथा उसे इस प्रकार से बदलना कि उसका अर्थ बदल जाय और उस चित्र को देख कुछ अलग ही निष्कर्ष निकाला जाय। सामान्य तौर पर सायबर अपराध लड़कियों के फोटो सोशल मीडिया से डाउनलोड करते हैं और उनको अलग छायाचित्र में रूपांतरित कर देते हैं। यह रूपांतर ऐसे किया जाता है जैसे वह स्त्री किसी कृत्य में स्वयं शामिल थी। इन रूपांतरित चित्र के माध्यम से ये अपराधी लड़कियों और महिलाओं को धमकी देते हैं और उनसे पैसे की वसूली करते हैं।

ईमेल स्पूफ़िंग

इस अपराध के तहत ईमेल भेजने वाले की जानकारी, ईमेल के फुटर अन्य बातों को जानबूझकर बदलकर अपराधी अपनी पहचान छुपाते हैं। इससे लगता है कि वह ईमेल अमुक व्यक्ति ने भेजा है। यह करने वालों का मकसद महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना होता है। इसकी सहायता से वे उसके गोपनीय छायाचित्र आदि निकाल कर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तथा स्त्री को ब्लैक मेल करते हैं।

बेनामी पन का स्वांग

सायबर स्पेस में स्त्री हक के सम्बन्ध में समस्या बढ़ने के पीछे स्त्री -पुरुष समानता को अनुसरण कर सरकार कदम उठा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून एकदम स्पष्ट उद्देश्य के लिए प्रभाव में लाया गया है। इसका मकसद ई कॉमर्स मंच तथा उससे सम्बंधित व्यावसायिक व आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाना है। लेकिन इस क़ानून का मसौदा तैयार करते समय इंटरनेट और उसके उपयोग के संबंध में सुरक्षितता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया दिखता है। सायबर क़ानून में वर्तमान परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रावधानों की जरूरत है, जिसकी वजह से अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। इसकी वजह से इस क़ानून को अन्य क़ानून का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट के संदिग्ध रहने के गुणधर्म यदि बढ़ते सायबर अपराध का एक कारण है तो सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा ७५ भारत के बाहर होने वाले सायबर अपराधों के संबंध में सजा का प्रावधान बताती है। लेकिन सायबर स्पेस में हुए अपराध किसके अधिकार क्षेत्र में दर्ज किया जाएगा और कैसे दर्ज किया जाएगा इस बात का प्रावधान नहीं है।

सायबर कायदा आणि सुरक्षा तज्ज्ञ

स्त्रियां किसी बात को ठान लेती हैं तो उसे पूर्णता की तरफ ले जाती हैं। लेकिन उसको तय करना उतना ही पक्का होना चाहिए। इसका उदाहरण महाकाव्य -महाकथाओं के महिला पात्रों से आधुनिक महिलाओं के कर्तृत्व में दिखाई देता है। देश की राजधानी में हमारी कार्य कुशल महिलाओं ने एक विशेष छाप छोड़ी है।

दिल्ली में 'मराठी नारी शक्ति'

अंजू निमसरकर

देश में महाराष्ट्र की पहचान एक प्रगतिशील राज्य की है। यह पहचान स्त्री -पुरुषों में समानता की वजह से ही बन सकी है। स्त्रियों के लिए यह राह थोड़ी मुश्किल होती है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि स्त्री जब पत्नी और मां की भूमिका में जाती है तो उसे स्वयं को सिद्ध करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अपने गांव, जिले और राज्य को छोड़कर आने के बाद दिल्ली जैसे शहर में स्वयं को सिद्ध करना यह अधिक कठिन हो जाता है। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाली महिलाओं में कुछ शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ आयी हैं, तो कुछ नौकरी के लिए और कुछ अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए। घर और कार्यालय में अपनी भूमिका को निभाते हुए पहचान निर्माण करने के लिए उन्हें सतत प्रयास करते रहना पड़ता है। ऐसी ही कुछ महिलाओं ने राजधानी में महाराष्ट्र का मान ऊँचा रखा है।

पत्रकार, संपादक, लेखिका

नमिता भंडारे

नमिता भंडारे, पत्रकारिता क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। उनका जन्म मुंबई में एक अमराठी परिवार में हुआ लेकिन शादी मराठी परिवार में हुई। पत्रकारिता क्षेत्र में जिस दौर में बहुत कम महिलायें हुआ करती थी, उस दौर में उन्होंने इसकी शुरुवात की थी। रिपोर्टर से लेकर संपादक तक की उनकी यात्रा राजधानी में ही हुई। देश के पहले 'जेंडर एडिटर' के रूप में उन्होंने मिंट नामक समाचार पत्र में काम किया। आज वे विभिन्न अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में लिंग समानता और जागरुकता के विषय पर स्तंभ लिखती हैं।

निवेदिता मदाणे

अन्तरराष्ट्रीय मीडिया में भी मराठी महिलाओं की एक धमक है। कनाडा के दूतावास में मीडिया कोर्डिनेटर (माध्यम समन्वयक) के पद पर कार्य करने वाली अर्चना मिरजकर मूलतः कोल्हापुर की हैं। वे लेखिका भी हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में एक और नाम जिसने दिल्ली में अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया वे हैं निवेदिता वैशंपायन -मदाने वे नाशिक की हैं। बच्चों को मां -बाप दोनों मिले इसके लिए वे नाशिक छोड़कर दिल्ली आयीं यंहा आकर उन्होंने लेखन शुरु किया। 'द कोर' नामक मराठी मासिक की संपादक के रूप में उन्होंने काम किया।

अर्चना मिरजकर

समुपदेशक

मूलतः नाशिक की रहने वाली एडवोकेट ऋचा माई ने क़ानून की पढाई की है। लेकिन आज एक ब्लॉगर के रूप में उनकी स्वतंत्र पहचान है। लेखन के माध्यम से कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समुपदेशन (काउंसलिंग) करना उनका उद्देश्य रहता है।

ॲड. रुचा माई

सामाजिक कार्य

२०१६ में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने वाली टीना डाबी की मां हिमाली डाबी कांबले का जन्म नागपुर का है। वे भारतीय दूरसंचार सेवा में अधिकारी थी। अपनी बेटी को यूपीएससी की परीक्षा के बारे में प्रशिक्षण देते -देते उन्होंने स्वयं इतनी पढाई कर ली कि आज वे अनेक निजी क्लासेस में सामान्य ज्ञान पढाती हैं। उस्मानाबाद जिले की शारदा डोलारे ने दिल्ली में अपना स्कूल शुरु किया है। उनके स्कूल का नाम मॉर्डन पब्लिक स्कूल है जंहा पर पहली से दसवीं तक की पढाई कराई जाती है। इस विद्यालय में बहुत किफायती शुल्क लिया जाता है। दिल्ली में अनेक नयी -पुरानी मराठी संस्था हैं। इनमें से एक ऑल इण्डिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर है। यह संस्था ४५ साल पुरानी है। इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष होने का सम्मान परभणी निवासी सुजाता अंबोरे को मिला। श्रीमती अंबोरे की अध्यक्षता में इस संस्था की सकारात्मक प्रगति चल रही है। नांदेड की रहने वाली डॉ.संगीता कस्तुरे वर्तमान में भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में जैव तकनीक विभाग में वैज्ञानिक और नीति अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ग्रामीण भागों में २४ घंटे बिजली मिले इसके लिए उनके प्रयास रहते हैं। चावल व गेंहू के पूस, कपास की डंडियों, गन्ने ी खोई इत्यादि कृषि

अवशेषों का उपयोग कर जैव ईंधन तैयार किया जाता है। डॉ. संगीता खोज करने वाले विश्विद्यालयों, संस्थाओ, महाविद्यालयों स्वयंसेवी संस्थाओं को मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं। पिछले १० सालों से केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने एक हजार से अधिक वैज्ञानिकों को जोड़ा है।

सांस्कृतिक छाप

दिल्ली कला नगरी है। मंडी हाउस नाटक वालों का केंद्र है। यंहा नाटक क्षेत्र को समृद्ध करने में वर्धा की गौरी देवल अपनी भूमिका निभा रही हैं। पिछले 15 सालों से विविध नाटकों में अभिनय कर उन्होंने दर्शकों पर एक अमित छाप छोड़ी है। उनके द्वारा निभायी गयी भूमिका में 'लीला', 'रूप स्वरूप', 'आफ्टर थर्ड बेल' नामक नाटक काफी प्रसिद्द हुए। चित्रकला क्षेत्र में योगदान देने का काम मूलतः सातारा की रहने वाली माया कारंजकर कर रहीं हैं। वे अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाती हैं।

माया कारंजकर

उपहार गृह

राजधानी दिल्ली में मराठी व्यंजनों के स्वाद को याद दिलाने का कार्य विभा चिपलुणकर के ' महाराष्ट्र फ़ूड ' के द्वारा किया जा रहा है। आईएनए स्थित 'दिल्ली हाट' में पिछले २५ सालों से उनका उपहार गृह खवैयों का पसंदीदा ठिकाना है। चंद्रपुर की रहने वाली डॉ. जाया सूर्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद की ज्येष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस पद पर कार्य करते हुए उनके ५० से अधिक शोध पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. जाया सूर्या देश की पहली मृदा सर्वेक्षक (सॉइल पेडोलॉजी) हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। लेह लद्दाख क्षेत्र में भी उन्होंने शोध की है। उन्होंने 'लेह बेरी' नामक वनस्पति की खोज की है।

विभा चिपळूणकर

स्वास्थ्य

डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में परिचारिका उप अधीक्षक पद पर पंहुचने वाली प्रथम मराठी महिला लीला भटकर हैं। जब दो साल की थीं उसी समय पिता का स्वर्गवास हो गया था। मां ने मेहनत और जिद से अपने बच्चों को पढा -लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। उनके माता-पिता वर्धा जिले के हैं। इसी चिकित्सालय में वरिष्ठ परिचारिका अधिकारी के रूप में काम करने वाली सुजाता नंदेश्वर बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदद के लिए वे हमेशा तत्पर रहती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी वे इसी प्रकार सक्रिय रहती हैं। मराठी परिचारिकाओं को लेकर उन्होंने 'रमाई' नाम से एक संस्था बनाई है। नीलिमा शिंगाडे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में परिचारिका हैं। वे महिलाओं को होने वाले कर्क रोग (कैंसर) के प्रतिबंधक उपायों के बारे में जान जागृति फैलाने का काम करती हैं। कर्क रोग के बारे में काउंसलिंग करने वाली अनेक संस्थाओं से वे सम्बद्ध हैं।

लीला भटकर

सुजाता नंदेश्वर

नागपुर में जन्मी हेमांगी सिन्हा भिसे दिल्ली में 'अर्जुन फाउंडेशन' के माध्यम से गरीब लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जागृत करती हैं। लडके -लड़कियों को एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान करने चाहिए इस सम्बन्ध में वे काउंसलिंग का कार्य भी करती हैं।

निलिमा शिंगाडे

मूलतः मुंबई की रहने वाली श्वेता राणा करंदीकर दिल्ली में नागालैंड के 'एलिजर बालगृह ठ के लिए निस्वार्थ भाव से निधि उपलब्ध कराने का काम करतीं हैं। इस बाल गृह में ५ लड़कियां और चार लडके हैं। इन सभी को एक परिवार के सदस्य के रुपये में खाने -पीने और रहने को मिले, उनकी शिक्षा योग्य तरीके से हो इसके लिए टिनू मेरेन वोजूकूम और ओसेनला नामक दम्पति काम कर रहे हैं। श्रीमती श्वेता राणा करंदीकर ने अब तक विविध माध्यमों का उपयोग कर अब तक इस बालगृह को एक लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराई है। लातूर के उदगीर में जन्मी शांता वाघ दिल्ली में झौपडपट्टी में रहने वाले लोगों को ठीक ठाक सुविधाएं मिलें इसके लिए पिछले २५-३० साल से कार्यरत हैं। वे यंहा भूमि आवास संगठन में समन्वयक के रूप में कार्य करती हैं।

श्वेता राणा-करंदीकर

शांता वाघ

सूचना अधिकारी,
महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नयी दिल्ली

महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक बंधन और जवाबदारियों की चादर ओढक़र स्वयं का क्षितिज बड़ा करना होता है। यह करते समय उसे यदि परिवार का साथ मिल जाए तो सफलता के शिक्षार जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। बुलडाणा के एक सामान्य से परिवार की अर्चना वानखेडे ने विवाह के बाद एक अच्छे खासे वेतन वाली नौकरी छोड़कर आईएएस होने का स्वप्न देखा और उसे पूरा भी किया। इस सफलता को हांसिल करने के लिए उनकी यात्रा भी उतनी ही मुश्किलों से भरी थी।

जिद को सफलता की चमक

यूपीएससी यूपीएससी परीक्षा वास्तव में दिव्य ही है। लेकिन इस दिव्य से मैं कोसों दूर थी। मेरा मूल गांव डोंगरशेवली (बुलडाणा). पिता राज्य परिवहन मंडल में लिपिक के पद पर कार्यरत थे, जिसकी वजह से हम लोग बुलडाणा में ही रहते थे। १२ वीं तक पढाई भी यहीं हुई। इसके आगे चिखली स्थित अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय से स्नातक तथा पुणे स्थित विश्वकर्मा अभियांत्रिकी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण की।

टर्निंग पॉइंट

पिता लिपिक की नौकरी करते थे लेकिन मूलतः वे किसान ही थे। गांव में थोड़ी जमीन थी जिससे हमारा शुरुवाती दौर में गुजारा होता था। खेती की जमीन की वजह से गांव से नाता जुड़ा हुआ रहा। इसके कारण किसान परिवार और मजदूर कैसे कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करते हैं इस बात का अनुभव बहुत करीब से मिला। उनकी समस्याओं को भी जाना था। यह सब देखकर गरीब और मेहनती लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ऐसी बात मन में एक जगह बना चुकी थी। अपनी शिक्षा से इन लोगों को फायदा मिलना चाहिए ऐसा लगता था। शुरुवात के कुछ सालों तक इस बात को विशेष बल नहीं मिला। उसके बाद शादी हुई, एक बेटी पैदा हो गयी। मैं मुंबई में सोमैया कॉलेज में प्राध्यापक के तौर पर नौकरी करने लगी। मेरी नौकरी स्थायी थी और पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्य करते थे लिहाजा परिवार में

अर्चना पंढरी नाथ वानखेडे,
भा. प्र. से. २०१८

आर्थिक स्थिरता थी। लेकिन हमेशा मन यह बात आती थी कि यह अपना काम नहीं है। मैं सामान्य लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ इस बात को सोच मन में एक अपराध बोध होता था। यह अपराध बोध बढता गया और मैंने तय कि यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में जाना है।

यश प्राप्त

यूपीएससी परीक्षा देने का निश्चय कर लेने के बाद पढाई शुरु कर दी। २०११ में पहला प्रयास किया। इस प्रयास के परिणाम से बहुत नाउम्मीदी मिली। साल २०१३ में बेटी पैदा हुई। बेटी जब दो साल की हुई तो २०१५ में फिर से एक बार पढाई शुरु की लेकिन चौथे प्रयास तक पूर्व परीक्षा ही पास नहीं कर सकी। यह ध्यान में आया कि पढ. ाई के लिए समय नहीं दे पाने में कंही न कंही गलती हो रही है। इसके बाद बेटी को मुंबई में ससुराल में छोड़कर २०१७ में यशदा में प्रवेश लिया। यंहा मेरी तैयारियों को नया बल मिला। २०१७ में ५ वे प्रयास में पूर्व परीक्षा पास करने के साथ साथ मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में भी सफलता मिली लेकिन सिर्फ आठ अंकों से यश नहीं मिल सका। इस परीक्षा में यश मिलने की आशा थी। छठे प्रयास के लिए परीक्षा में सिर्फ २० – २५ दिन ही शेष रह गए थे। इस समय मेरे भाई बड़ा सहारा दिया। वह भी एसआईएसी संस्था की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है । २०१८ में इस संस्था से मैं जुडी और वंहा भी अच्छा मार्गदर्शन मिला। पुणे में रहते प्रवीण चव्हाण ने बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। फिर से जोश के साथ तैयारी में जुट गयी और २०१८ की परीक्षा में आईएएस होने का स्वप्न पूर्ण हुआ। बुलडाणा जिले की पहली महिला आईएएस होने का गौरव मुझे मिला।

परिवार का साथ

पिता पंढरीनाथ व माँ लक्ष्मी सदैव हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे। हम चारों भाई -बहन इंजीनियर बन सके। पिता ने बेटा -बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर कर्ज निकालकर हमें पढाया .माँ ने हमारी पढ. ाई को हमेशा प्राथमिकता दी। परिवार की जवाबदारी निभाने के लिए उसने शिक्षक और लिपिक पद के अवसर छोड़े। बाद में नर्स बनने का अवसर आया तो उसने इसे भी मेरे खातिर छोड़ दिया व एक गृहणी के रूप में रही। सास -ससुर व पति का भी साथ मिला। बेटी भी वैसी ही समझदार होने की वजह से मुझे एक भावनात्मक बल

सफलता के सूत्र

- एनसीआरटी की पुस्तकें पढक़र याद करें
- जो विषय अध्ययन करना है उस विषय अध्ययन परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर करें। मुख्य परीक्षा के लिए यही पद्धति को अपनाएं। इस वजह से वह विषय कैसे पढऩा है इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी और तैयारी को दिशा।
- अध्ययन के सन्दर्भ में पुस्तकें मयार्दित रखें। यह परीक्षा भले ही व्यापक होती है लेकिन तैयारी के लिए हमारे पास समय सीमित रहता है। हर विषय की तैयारी के लिए हम किताबों का ढेर लेकर पढऩे बैठ जायेंगें तो निश्चित ही समय कम पड़ जाएगा। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लें।
- अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का यूट्यूब पर वीडियो देखकर अध्ययन की बुक लिस्ट पहले से ही बना लें और उसी के अनुसार पढाई करें।
- की गयी पढाई की पुनरावृति बहुत जरूरी है। परीक्षा से पहले जब तक विश्वास नहीं हो जाय अध्ययन को दोहराते रहना जरूरी है।
- आत्म विश्वास हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तभी इस परीक्षा के लिए उत्तम तैयारी कर सकेंगे।
- हमेशा सकारात्मक वातावरण में रहें, नकारात्मक विचार वालों लोगों से दूर रह, सकारात्मक विचार वाले मित्रों की संख्या बढाएं और उनके साथ अधिक समय बिताएं . प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान आप जितने सकारात्मक वातावरण में रहेंगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी व आप निराशा से दूर रहेंगे।
- त्याग करने की तैयारी रखें क्योंकि त्याग के बिना कोई भी बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। जितना बड़ा यश आपको चाहिए उतने ही ज्यादा त्याग आपकी होनी चाहिए। इसी से जुडी हुई एक बात यह है कि यूपीएससी की पढाई करते समय आपको अन्य सेवा या राज्य सेवा से किसी नौकरी मिल जाती है तो यह आपको एक बड़ी सफलता से भटकाने वाला एक सम्मोहन है। प्लान बी के रूप में कोई एक नौकरी लेना निराशा को टालने के लिए ठीक है लेकिन सही मौका आने पर उसका त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए।
- हम ग्रामीण भाग से हैं। अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते. अब मेरी शादी हो गयी है, या नौकरी करना जरूरी है ये सब बातें इस परीक्षा की तैयारी के दौरान गौण होती हैं। आपने ठान लिया तो आप अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए सफलता हांसिल कर सकते हैं। केवल आप में जिद होनी चाहिए। परिश्रम करने और त्याग करने की तैयारी होनी चाहिए सफलता हांसिल करने में कोई परेशानी नहीं है।
- ऑनलाइन माध्यमों का तैयारी के दौरान प्रभावी तरीके से प्रयोग करें।
- किसी भी प्रकार की शिकायत न करते, कारण न बताते, मेरे को सही तरह से तैयारी करनी है ऐसी मन को गाँठ बाँध लेनी चाहिए।

मिला। उससे मिलने के लिए मैं बीच -बीच में आती रहती थी। परीक्षा के आखिरी प्रयास के दौरान पति नौकरी के गए थे इस दौरान बेटी को माँ -पिता ने ही संभाला। उसके लिए उन्होंने अपनी जमीन भी पड़त छोड़ दी थी। परिवार के सहयोग के बिना यह सफलता मेरे लिए तो बहुत मुश्किल ही थी।

समूह चर्चा

यशदा में हमारा पांच छह लोगों का एक समूह था। और हम नाश्ते व चाय के दौरान पढाई को लेकर आपस में चर्चा करते थे। शाम को खाने के बाद वर्तमान घटनाक्रम पर चर्चा करते थे। ऐसे सकारात्मक माहौल में हम एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। अन एकेडमिक, स्टडी आई क्यू जैसे प्लेटफॉर्म का भी मैंने इस्तेमाल किया। जब समय व्यतीत करना होता था उस समय राज्यसभा टीवी की चर्चा, किसी टॉपिक विशेष पर यूट्यूब पर वीडियो देखकर तैयारी में चैतन्यता रखी और समय का अपव्यय रोका।

साक्षात्कार

परीक्षा का आवेदन भरते समय (डिटेल एप्लिकेशन फॉर्म) उसमें उल्लेख की गयी बातें जैसे जन्म स्थान, उस स्थान का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, वंहा की समस्याएं आदि के बारे में सवाल साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ ज्वलंत मुद्दों व घटनाक्रम से सम्बंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। यशदा एसआईएसी व महाराष्ट्र सदन में हुई परिसर साक्षात्कार का मुझे अच्छा फायदा हुआ।

आदर्श

विल स्मिथ का कथन ठ आई वांट टू रिप्रेजेन्ट पॉसिबिलिटीज ठ का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। कोई असंभव सी दिखने वाली बात जब हम कर देते हैं तो वह अन्य लोगों के लिए एक नया आदर्श बन जाती है, इस बात का मुझे अहसास था। इसलिए जब अनेक समस्याएं सामने आती थी तो मुझे उन पर मात कर एक मील का पत्थर स्थापित करना था। इसके लिए मेहनत करने की तैयारी रखी और सफलता मिली। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम संभावनाओं का विचार करते हुए आगे जाते हैं बड़ी सफलता मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।

शब्दांकन : राजाराम देवकर

किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बदलाव की प्रक्रिया में 'सहकार और विपणन ' विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। किसानों को कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक का सुखद अनुभव देने के लिए सरकार ने सहज -सुलभ और न्यूनतम कागज.पत्रों की खानापूर्ति करने वाली कार्य प्रणाली लागू की है।

किसानों के हित के लिए

बालासाहब पाटिल
मंत्री, सहकार व विपणन

राज्य राज्य जो आर्थिक दृष्टी से मजबूत बनाना है तो किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव लाना जरूरी है। सहकार और विपणन विभाग यह सीधा किसानों से जुड़ा होने के नाते किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा निधारिंत किये गए पैमानों पर प्रयास कर रहा है। पिछले चार सालों से किसान कर्ज के दुष्चक्र में उलझे हुए हैं। इसलिए किसानों के प्रत्यक्ष कर्ज माफ़ कर सहज, सरल और पारदर्शी महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना घोषित कर उनकी सूची प्रकाशित की जा रही है।

कर्ज मुक्ति

किसानों का अवलम्बन खेती पर होने की वजह से उन्हें कृषि के लिए जिला मध्यवर्ती बैंक, सहकारी बैंक या व्यावसायिक बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना जाहिर की है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान का दो लाख रुपये का कृषि कर्ज और अल्प अवधि का फसल पुनर्गठित कर्ज माफ़ होगा। यह कर्ज माफी की योजना सहज, सरल और पारदर्शक है और इससे किसानों को किसी भी बात की परेशानी नहीं हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है और बकाया राशि भरने की भी शर्त नहीं है।

विपणन विभाग को मजबूती

विपणन विभाग का किसानों से सीधा सरोकार है। किसानों को उनकी उपज बिक्री के लिए जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं लगती है उसे वह उपलब्ध कराता है। कृषि उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के गोदाम, सड़कें, नीलामी गृह, नीलामी के ओटे इनके लिए अनुदान देने का काम विपणन विभाग करता है। किसानों की फसल को योग्य कीमत दिलाने ततः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धात्मक मूलभूत सुविधाओं से सुसज्ज और संगठित विपणन का जाल विआकसित करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। किसान जब अपनी कृषि उपज बाजार समिति में लेकर आता है, उस समय मार्केट कमिटी किसान की उपज को योग्य भाव उपलब्ध कराने के साथ साथ उसे एक आधार और विश्वास भी दिलाती है। इस प्रकार ग्रामीण विकास को गति देते हुए किसान को केंद्र बिंदु में रखकर दुनिया को पालने वाल किसान अधिक समृद्ध होना चाहिए, किसान भाई आर्थिक रूप से सक्षम हों यही मेरी प्रमुख भूमिका है।

बाळासाहेब पाटील

पुनगर्ठित कर्ज

इस योजना में १ अप्रैल २०१५ से ३१ मार्च २०१९ की कालावधि में लिए गए कर्ज व ३० सितम्बर २०१९ तक बकाया अल्प अवधी के फसल कर्ज और पुनगर्ठित फसल कर्ज माफ़ किये जायेंगें .राष्ट्रीयकृत बैंक,, व्यावसायिक बैंक, जिला मध्यवर्ती, सहकारी व ग्रामीण बैंक तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं से किसानों द्वारा लिया गया फसल कर्ज मा. फ किया जाएगा। इसकी वजह से किसान साल २०२० की खरीफ की फसल के लिए कर्ज लेने के लिए पात्र हो जायेंगें . बैंकों ने कम्प्यूटरीकृत पोर्टल पर कर्ज खातों की जानकारी अपलोड करना शुरु कर दी है। किसानों की यह सूची प्रत्येक गांव के हिसाब से गांव में ग्राम पंचायत में जाहिर की जाएगी। इस सूची में जिन किसानों के नाम प्रकाशित हों उन्हें समीप के सरकार सेवा केंद्र या बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराना होगा। प्रमाणीकरण करते समय जो किसान अपने आधार क्रमांक व कर्ज खाते की रकम मान्य करेंगें ऐसे किसानों को त्वरित इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और जिन किसानों को अपना आधार क्रमांक या कर्ज खाते की रकम मान्य नहीं वे पोर्टल द्वारा जिला स्तरीय समिति को अपनी शिकायत दर्ज कराएं .जिला स्तरीय समिति इस बारे में निर्णय कर किसान को सूचना देगी।

इनको लाभ नहीं

वर्तमान /पूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा /राज्यसभा सदस्य, विधानसभा

चीनी मीलों की परेशानी

राज्य में सहकारी कारखानों की वजह से उनके क्षेत्रों में कुछ पैमानों में विकास, स्थानीय रोजगार निर्माण और किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव होने में मदद मिली है। चीनी मिलें और गणना उत्पादक किसान एक चक्र हैं। गन्ने की उपज का प्रमाण कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। प्राकृतिक संकट आते जाते रहते हैं। पिछले साल पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अति वृष्टि हुई। सांगली/कोल्हापुर के इलाके बाधित हुए जिसकी वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ऐसे समय में चीनी मिलें और किसान अड़चन में आ जाते हैं। अड़चन में आयी चीनी मिलों और किसानों की मदद करना जरूरी है। ऐसे समय में बकाया कर्ज नहीं भर पाने की वजह से किसान अड़चन में आता है।

/विधान परिषद सदस्य, केंद्र व राज्य सरकार के सभी अधिकारी /कर्मचारी (जिनका कुल वेतन २५००० रुपये से ज्यादा है, मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर), राज्य के सर्वाजनिक उपक्रम, उदाहरण : महावितरण, एसटी महामण्डल आदि) व अनुदानित संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी, पेंशनधारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, सहकारी चीनी मिल, सहकारी सूत गिरणी, नागरी सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व सहकारी दूध संघ के अधिकारी पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडल) जिनकी मासिक पेंशन २५००० रुपये से अधिक है (पूर्व सैनिक छोड़कर), कृषि उपज से अतिरिक्त आय पर आयकर भरने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कपास को १८०० करोड़ की गारंटी

कपास विपणन महासंघ की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने १८०० करोड़ रुपये की गारंटी मान्य की है। राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ की तरफ से साल २०१९-२० में किसान को खरीदी मूल्य की गारंटी दी गयी है। कपास के इस मूल्य के भुगतान के लिए तथा किसानों को समय पर पैसा मिले, महासंघ ने बैंक ऑ. फ इण्डिया से ७.७५% की दर से ब्याज पर कर्ज उठाया है। इस १८०० करोड़ के कर्ज को सरकार की तरफ से गारंटी दी गयी है। सरकार की इस गारंटी से महासंघ का काम आसान हो जाएगा। सरकार ने इस मामले में गारंटी शुल्क भी माफ़ कर दिया है। साल २०१९-२० की फसल के लिए कपास विपणन महासंघ की तरफ से कपास खरीदे जाने की शुरुवात हो चुकी है। वर्तमान में हर दिन ६० से ७० हजार क्विंटल कपास खरीदा जा रहा है। महासंघ द्वारा इस उपज के दौरान ३० से ३५ लाख क्विंटल कपास खरीदे जाने की अपेक्षा है। इसके लिए १८०० करोड़ रुपये लगने वाले हैं। किसानों को परेशानी नहीं हो, उन्हें समय पर पैसा मिले इसके लिए यह निर्णय किया गया।

किसान क्या करें

जिन किसानों के नाम इस सूची में हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आधार क्रमांक बैंक खाते से संलग्न करा लें। इस योजना का लाभ केवल जरूरतमंद किसानों को मिलना ही अपेक्षित है, इसलिए जो किसान पात्र हैं वे ही बैंक खाते से अपना आधार क्रमांक संलग्न कराएं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने की वजह से किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक के चक्कर नहीं मारने पड़ेंगें। इस कर्जमुक्ति की वजह से किसानों के सिर का भार कम होगा और वे फिर से कर्ज उठाने के लिए पात्र हो जायेंगें, इसकी वजह से उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा।

सहकार क्षेत्र में प्रोत्साहन

राज्य के विकास में सहकार क्षेत्र का बड़ा योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थवाहिनी के रूप में सहकार क्षेत्र की तरफ देखा जाता है। सहकार के माधयम से विकास सोसायटी, विविध कार्यकारी सोसायटी, बैंक, पट संस्था, चीनी मिलें अथवा सहकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ है। किसानों को परेशानी के समय आर्थिक मदद देना का कार्य यह संस्था करती रहती है। इसकी वजह से कुछ पैमाने पर साहूकारी पद्धति नष्ट भी हुई है। सहकार क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

कृषि प्रसंस्करण उद्योग

भारत में क्षेत्रवार फसलों की विविधता होने की वजह से कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सहज तरीके से हो सकती है। इसलिए किसानों को कृषि उपज प्रसंस्करण उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। गन्ना उत्पादक किसान, चीनी मिलों को गन्ना देते हैं और चीनी मिल का मूल काम ही चीनी बनाना है ऐसे में आज जब एथेनॉल की बड़े पैमाने पर जरूरत महसूस की जा रही है तो इस विकल्प पर भी सोचना चाहिए। आज केंद्र सरकार की तरफ से एथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अनेक स्थानों पर प्रोजेक्ट्स शुरु हो गए हैं, लेकिन उसका प्रमाण अभी भी कम है। ऐसे में चीनी मिलों को एथेनॉ ल निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए.कुछ इलाकों में प्राकृतिक तरीके से गुड तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक पद्धति से गन्ने की फसल उगाई जा रही है। इस प्रकार के कृषि प्रसंस्करण उद्योग की तरफ किसानों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

शब्दांकन : काशीबाई थोरात
विभागीय संपर्क अधिकारी

राज्य के हितों से जुड़े अनेक निर्णयों को मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता दी जाती है,
ऐसे ही कुछ निर्णयों की एक रिपोर्ट...

मंत्रिमंडल में तय हुआ

महाराष्ट्र का हीरक महोत्सव

सरकार ने महाराष्ट्र राज्य का हीरक महोत्सवी वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर साल भर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें। यह हीरक महोत्स्व वर्ष १ मई २०२० से शुरु होगा, इस दौरान राज्य भर में कार्यक्रमों की शुरुवात करने को मंजूरी दी गयी। राज्य के सांस्कृतिक

कार्य विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र राज्य के हीरक महोत्सवी वर्ष के निमित्त 'हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, मराठी नाटक, मराठी चित्रपट, लोककला, गड -किलों पर वीर रस युक्त कार्यक्रम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित कार्यक्रम, का महाराष्ट्र, राष्ट्र में महाराष्ट्र, विश्व में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव, आदिवासी संस्कृति महोत्सव, क्लिक महाराष्ट्र, कृषि संस्कृति, लोक वाद्य महोत्सव, लोक कलाकारों का सम्मेलन, कव्वाली महोत्सव, दुर्गा महोत्सव, मराठी चैत्रपात के 100 वर्षों की यात्रा आदि विषयों को शामिल कर विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

इसी तरह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की वृहद व्याख्या करने वाले कार्यक्रम,संयुक्त महाराष्ट्र के शहीदों तथा राज्य की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताओं को सम्पूर्ण जानकारी देने वाली सचित्र पुस्तिका (कॉफी टेबल बुक) प्रकाशित करना, प्रदेश में महाराष्ट्रियन की सहभागिता वाले कार्यक्रमों का आयोजन, महाराष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का बखान करने वाले सूचना फलकों का निर्माण, राज्य की विविध पहलुओं पर प्रगति के, संस्कृति के चैतरण करने वाले विज्ञापनों के निर्माण कर विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन करने, हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र की संकल्पना पर आधारित दर्जेदार दृश्य -श्रव्य आशय गीत (थीम सांग) निर्माण करना ऐसे विविधांगी कार्यक्रमों का आयोजन इस अवसर पर किया जाएगा, इस बात का निर्णय बैठक में किया गया। इसी के आधार पर प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र इस संकल्पना पर आधारित कम से कम एक योजना या उपक्रम तैयार कर हीरक महोत्सवी वर्ष में उसे प्रभावी तरीके से लागू करनी है, इस बात के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

प्रदूषित जल का संशोधन

राज्य के शहरी भागों में निर्माण होने वाले प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करने के लिए तैयार किये गए पहले चरण की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गयी।

राज्य में ३९१ स्थानीय निकाय संस्थाओं में ९७५८.५३ एमएलडी प्रदूषित जल निकलता है। इस जल के शुद्धिकरण या उसके उपचार करने की ७७४७.२४ एमएलडी की क्षमता निर्माण हो चुकी है तथा नए सिरे से २०११.९१ एमएलडी की क्षमता निर्माण करनी है। प्रदूषित जल का उपचार करने की मांग क्षमता के अनुसार यह क्षमता करीब ७० % है जो कि एक समाधानकारक आंकड़ा है। इतना होने के बावजूद नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार २०११ एमएलडी की मलनिःसारण क्षमता बनाना आवश्यक है। इसके अनुसार राज्य के महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्र में प्रथम चरण में कम पड़ रही मलनिःसारण क्षमता को निर्माण करने के लिए आवश्यक २८२० करोड़ रुपये की निधि केंद्र सरकार द्वारा संचालित अमृत अभियान -दो, या राज्य सरकार द्वारा संचालित महाराष्ट्र सुवर्ण जयन्ती नगरोत्थान महाअभियान से एकत्र की जाएगी।

कंपनी विलीनीकरण पंजीयन

कंपनी विलीनीकरण या पुनर्रचना सम्बंधित पंजीयन के लिए लिया जाने वाला मुद्रांक शुल्क पर निधार्रित की गयी सीमा २५ करोड़ से बढाकर ५० करोड़ तक कर दी गयी है। कंपनी विलीनीकरण या पुनर्रचना सम्बन्धी पंजीयन पर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची -१ के अनुच्छेद २५ पार नीचे देय मुद्रांक शुल्क पर ६ मई २००२ को आदेशित की गयी अधिकतम सीमा २५ करोड़ रुपये से ५० करोड़ रुपये तक बढाने का निर्णय किया गया है।

पांच दिन का सप्ताह

राज्य के सरकारी कार्यालयों के लिए पांच दिन के सप्ताह को लागू करने का निर्णय किया गया। अब केंद्र की तरह ही राज्य के सरकारी कार्यालयों के हर महीने में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों को हर दिन ४५ मिनट अतिरिक्त काम करना होगा। इस निर्णय पर अमल २९ फरवरी से हो गया है।

सभी कार्यालयों के लिए एक ही समय

वर्तमान में बृहन्मुंबई में कार्यालयों के कामकाज का समय सुबह ९.४५ से शाम ५.३० तक है। अब यह समय सुबह ९.४५ से शाम ६. १५ तक होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह समय सुबह ९.३० से शाम ६.३० तक होगा। बृहन्मुम्बई के बाहर के सरकारी कार्यालयों का समय भी सुबह ९.४५ से शाम ६.१५ तक होगा। वर्तमान में बृहन्मुम्बई के बाहर के सरकारी कार्यालयों का समय सुबह १०.०० से शाम ५.४५ बजे तक है। लेकिन अब पांच दिन का सप्ताह करने की वजह से मुंबई और मुंबई के बाहर सभी कार्यालयों में कार्य का समय एक ही कर दिया गया है। वर्तमान के कार्यालयीन समय में दोपहर १ से २ भोजनावकाश का समय था जिसे घटाकर ज्यादा से ज्यादा आधा घण्टा कर दिया जाएगा।

इन पर लागू नहीं

जिन सरकारी कार्यालयों में कारखाना अधिनियम या औद्योगिक विवाद लागू है, या जिनकी सेवाएं अत्यावश्यक समझी जाती हैं ऐसे कार्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, तंत्र निकेतन, स्कूल, पुलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कर्मचारी को पांच दिन का सप्ताह लागू नहीं होगा। जिन कार्यालयों में पांच दिन का सप्ताह लागू नहीं होगा उनके नाम इस प्रकार हैं।

अत्यावश्यक सेवा : सरकारी चिकित्सालय, चिकित्सालय, पुलिस, कारागृह, पेयजल आपूर्ति प्रकल्प, अग्निशमन दल, सफाई कर्मचारी,

शैक्षणिक संस्था : सरकारी महाविद्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, स्कूल, तंत्र निकेतन

जल संपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व् नांदेड स्थित कर्मशाला .नागपुर, भंडारा स्थित मध्यवर्ती कर्मशाला, इसी प्रकार जलसंपदा व सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कामों पर व प्रकल्पों पर नियमित आस्थापना, स्थायी, अस्थायी आस्थापना व दिहाड़ी काम पर रखे गए क्षेत्रीय कामगार व कर्मचारी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग : वैक्सीन इंस्टीट्यूट नागपुर।

राजस्व व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू स्थित एकात्मिक घटक, अलापल्ली स्थि शॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी के अधीनस्थ परतवाडा और बल्लारशा स्थित वर्कशॉप, सरकारी छायाचित्र पंजीयन कार्यालय पुणे।

सामान्य प्रशासन विभाग :सरकारी परिवहन सेवा का कारखाना विभाग

कृषि विभाग : दुग्धशाला विकास विभाग के तहत दुग्ध योजना

उद्योग ऊर्जा व श्रम विभाग : सरकारी मुद्रणालय

कौशल्य व उद्योग विभाग :सभी आईटीआई .

केंद्र सरकार की तरह राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी पांच दिन का सप्ताह लागू है। वर्तमान में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। पांच दिन के सप्ताह के प्रस्ताव की वजह से सरकारी कार्यालयों में बिजली, पानी, वाहन, डीजल, पेट्रोल का खर्च बचेगा। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी अपने परिवार को समय दे सकेंगें जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा होगा।

प्रतिवर्ष काम के घंटे बढेंगें

वर्तमान में कार्यालयीन समय की वजह से वर्ष में औसत कार्य के दिवस २८८ होते हैं। भोजनावकाश के ३० मिनट छोड़कर प्रतिदिन ७ घंटे १५ मिनट कार्य का समय होता है। इसकी वजह से एक महीने में काम के घंटे १७४ तथा एक साल में २०८८ होते हैं। पांच दिन का सप्ताह होने की वजह से औसत कार्यालयीन दिवस २६४ होते हैं लेकिन प्रतिदिन काम के घंटे 8 होते हैं। परिणामतः एक महीने में काम के घंटे १७६ तथा वर्ष में काम के घंटे २११२ होते हैं। यानी प्रतिदिन ४५ मिनट प्रति महीना २ घंटे और प्रति साल २४ घंटे काम का समय बढता है।

बालकों के कल्याण के लिए न्याय निधि

बाल संस्थाओं में बच्चों के कल्याण और पुनर्वसन के लिए राज्य बाल निधि निर्माण करने के लिए २ करोड़ रुपये की निधि के प्रावधान को मान्यता दी गयी।

बाल न्याय (बच्चों का ध्यान और संरक्षण) अधिनियम २०१५ की धरा १०५ के अनुसार राज्य सरकार बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों के कल्याण व पुनर्वसन के लिए राज्य को जो भी योगय लगे उस नाम से निधि निर्माण करने का प्रावधान है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ के नियम ८५ के अनुसार राज्य सरकार 'राज्य बाल निधि' नाम से निधि निर्माण करेगी ऐसा प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का विनियोग बाल न्याय (बच्चों का ध्यान व संरक्षण) नियम २०१८ में बालकों के कल्याण के लिए विविध प्रयोजनों पर किया जा सकेगा।

वर्तमान में ५६० से ज्यादा बाल ग्रहों में २१ हजार १७८ बच्चे रहते हैं। इन बच्चों की बड़ी बीमारियों के लिए सहायता, कौशल्य विकास प्रशिक्षण या व्यवसाय प्रशिक्षण, इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना संभव हो सकेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का नाम अब बहुजन कल्याण विभाग

निरा दाएं -बाएं नहर से सामान पानी वितरण

निरा देवधर व गुंजवणी बाँध की नहरें कायार्न्वित नहीं होने की वजह से उपयोग में नहीं आने वाले पानी को बराबर के अधिकार पर अस्थायी रूप से निरा दाएं -बाएं नहर में लाभ क्षेत्र को वितरित करने का निर्णय किया गया है। इसका फायदा नहर के दोनों तरफ हुए शहरीकरण, औद्योगीकरण, कृषि आधारित उद्योग, चीनी मिलों, फल बागों को होगा। इस निर्णय की अधिक जानकारी इस प्रकार है। निरा देवधर बाँध का काम २००७ में पूरा हो गया और इसमें ११.७३ टीएमसी जल संग्रहण क्षमता विकसित हुई। गुंजवणी बाँध २०१८ में बना और इसकी जल संग्रहण क्षमता ३.६९ टीएमसी हुई। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के नहरों का काम अधूरा है जिसकी वजह से लाभ क्षेत्र के लिए नियोजित पानी का लाभ उपयोग में आ नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पानी का उपयोग किये जाने की दृष्टी से दोनों ही बांधों का पानी मूल प्रकल्प की जरूरत को पूर्ण करने के बाद शेष बचे हुए पानी को निरा दाएं -बाएं नहर में सामान अधिकार के सिद्धांत पर वितरित करने का निर्णय किया गया। यह वितरण निरा बाएं नहर को ५५ % तथा निरा दाएं नहर को ४५ % रहेगा।

इस निर्णय की वजह से दोनों ही नहरों के लाभ क्षेत्र सामान अधिकार सिद्धांत पर २४२७ हेक्टेयर ? टीएमसी के हिसाब से पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। निरा बाएं नहर का लाभ क्षेत्र पुरंदर व बारामती, इंदापुर तालुका की ३७०७० हेक्टेयर लाभ क्षेत्र को व निरा दाएं नहर से खंडाला, फलटण, माळशिरस, पंढरपुर, सांगोला तालुका के ६५५०६ हेक्टेयर लाभ क्षेत्र को फायदा होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा प्रवर्ग, विमुक्त जाति, भटकन्तु जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग का नाम अब बदलकर बहुजन कल्याण विभाग करने को मंत्रिमण्डल की बैठक में मान्यता दी गयी है। विभाग का वर्तमान नाम बहुत बड़ा है। इस विभाग को सौंपी गयी योजनाएं व विभाग द्वारा शुरु की गयी नयी योजना, इसी प्रकार तकनीकी शिक्षण विभाग के द्वारा इस विभाग को हस्तांतरित की गयी योजनाओं का स्वरुप देखते हुए विभाग का नाम संक्षिप्त हो इस बात पर सहमति बनी।

स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क चष्मे

सभी सरकारी व अनुदानित विद्यालयों में ६ से १८ वर्ष तक के बच्चों में दृष्टिदोष निवारण के लिए उन्हें निशुल्क चष्मे उपलब्ध कराने को मान्यता दी गयी। इस योजना के लिए करीब २० करोड़ रुपये का अनावर्ती और ५ करोड़ रुपये का आवर्ती खर्च अपेक्षित है। वर्तमान में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती है। साल में ११९५ वैद्यकीय पथक इस काम के लिए कार्यरत रहते हैं। इनकी जांच में यह पता चला है कि बच्चों में दृष्टिदोष का प्रमाण बढ.रहा है। स्कूलों में अभी 1 करोड़ २१ लाख ६७ हजार ५८५ बच्चे पढ.रहे हैं। इन बच्चों को चष्में उपलब्ध कराये गए तो उनकी शिक्षा में सुधार होगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दृष्टिदोष से ग्रस्त पाए गए बच्चों को निश्चित कर उनके घर अथवा विद्यालय में चष्में पंहुचाये जायेंगें।

किसान कर्ज मुक्ति योजना

महात्मा जोतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना को लागू करने के लिए १० हजार करोड़ रुपये की निधि आकस्मिक निधि द्वारा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्णय को मंत्रिमंडल में मान्यता दी गयी। इस सम्बन्ध में अध्यादेश विधि व न्याय विभाग की सलाह तथा राज्यपाल की मान्यता से निगर्मित किया जाएगा।

वर्तमान में आकस्मिकता निधि की सीमा १५० करोड़ है। इस निधि में १० हजार करोड़ की परिस्थिति अनुरूप बढाकर इसे १०१५० करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सरकार ने २२ फरवरी २०२० से इस योजना को कायार्न्वित करने का निधार्रित किया था। ५ मार्च तक इस योजना के लिए १० हजार करोड़ की आवश्यकता होने की वजह से आकस्मिकता निधि में से अग्रिम लेने का निर्णय किया गया।

नगरपरिषद महानिदेशालय

नगरपरिषद प्रशासन महानिदेशालय का आकृति बंध (सेवा नियम) में सुधार कर इन्हें और मजबूत बनाने के निर्णय किया गया है। इसके अनुसार महानिदेशालय के २७४ पदों को प्रचलित सेवा नियमों में १३८ पद निरसित कर ५५० पदों को सुधारित सेवा नियमों मान्यता दी गयी। इसके अनुसार १०८ पद मुख्यालय स्तर पर, ११७ पद विभागीय स्तर पर और ३२५ पद जिला स्तर पर रहेंगें। श आयुक्त व उपायुक्त या वरिष्ठ पदों पर महानिदेशालय व मुख्याधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति दी जाएगी।

फरवरी २०२० के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की रिपोर्ट

म्हाडा बनाएगी 5 लाख घर

आने वाले तीन सालों में म्हाडा की तरफ से पांच लाख घर बनाये जायेंगें .इनमें से ५० हजार घर पुलिसकर्मियों व ५० हजार घर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराये जायेंगें .यह जानकारी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी।

ठाणे महानगरपालिका की हद में म्हाडा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व राज्य सरकार की जीमेनों के बारे में रिपोर्ट तथा ठाणे स्थित सरकारी जमीन पर महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से सर्व समावेशक प्रकल्प शुरु करने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में आव्हाड ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया सरकार के पास वर्त्तमान में १० हजार घर हैं। इनमें से १०% घर पुलिसकर्मियों व १० % घर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जायेंगें, इस बारे में सरकार ने निर्णय किया है। आने वाले दो महीनों में लॉटरी निकालकर एक-एक हजार घर पुलिस कर्मियों व चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों को वितरित कर दिए जायेंगें .इसके अलावा गरीबों के लिए किफायती घर सरकार के लिए अलग और बिल्डर के लिए अलग नहीं बनाकर एकत्र बनाये जायेंगें और उनकी लॉटरी भी एकत्र निकाली जाएगी।

ठाणे के वर्तक नगर क्षेत्र में म्हाडा के दर्शनी भाग में इमारतों का पुनर्विकास हुआ। सामान न्याय के सिद्धांत पर म्हाडा इमारतों का पुनर्विकास करते समय सम्प्पोर्ण लेआउट का एकत्र रूप से पुनर्विकास किया जाएगा। कलवा में ७२ एकड़, उत्तर शिव व मोघरपाडा में करीब १०० एकड़ जमीन पर नए गृह प्रकल्प आने की जानकारी भी जितेंद्र आव्हाड ने दी।

नयी ऊर्जा नीति

राज्य में कृषि बिजली ग्राहकों के बकाया और उद्योग की वृद्धि के लिए नयी ऊर्जा नीति बनायी जाएगी, यह जानकारी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राऊत ने दी। उन्होंने कहा कि किसान महत्वपूर्ण घटक है और उसके हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा विभाग को कार्य करना है। किसानों पर बिजली के बकाया बिलों की राशि कम से कम हो सके इस प्रकार की नीति बनाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्राम स्तर पर बनाये गए ऊर्जा मित्रों के माध्यम से बिजली के बिल सीधे किसानों के हाथों में पंहुचाने के प्रयास होंगे। उनके ऊपर बकाया राशि व उन्हें मिली सहूलियत के सन्दर्भ में ऊर्जा मित्र, किसानों से चर्चा करेंगें। उन्होंने कहा कि नयी नीति में इस प्रकार के प्रावधान किये जायेंगें। राज्य में उद्योगों को मिलने वाली बिजली और उसकी दर के सन्दर्भ पुनर्विचार किया जाएगा। राज्य में उद्योगपति आएं, उद्योगों को बढावा मिले इसके लिए उद्योगपूरक नयी ऊर्जा नीति बनायी जाएगी।

मेट्रो -3 के भूमिगत मार्ग का २५ वां चरण पूर्ण

कुलाबा -बांद्रा -सीप्ज, मेट्रो -३ के भूमिगत मार्ग का २५ वैन चरण वरळी में पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में पूर्ण हुआ। कुल ७ पॅकेज वाले इस मार्ग के पॅकेज ३ का यह पहला भूमिगत चरण था। मेट्रो ३ के इस मार्ग में पॅकेज तीन सबसे लंबा पॅकेज है जिसके तहत मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी, साइंस म्यूजियम, आचार्य अत्रे चौक व वरळी स्थानकों का समवेश है।

पॅकेज -३ के टनल बोरिंग मशीन 'तानसा -१' साइंस म्यूजियम के उत्तर दिशा से २७ सितम्बर २०१८ को कायार्न्वित हुई थी। अनेक भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए उप लाइन सुरंग जो कि २ हजार ७३ मीटर है का भूमिगत कार्य पूर्ण किया। इस भूमिगत सुरंग बनाने में १ हजार ३८१ सेगमेंट रिंग का प्रयोग किया गया। कुल १७ टीबीएम वर्तमान में ३३.५ किलोमीटर लम्बे मार्ग पर कार्यरत हैं। यातायात की दृष्टि से कुलाबा -बांद्रा -सीप्ज मेट्रो मार्ग -३ महत्वपूर्ण प्रकल्प है। इसकी वजह से मुंबई के लोगों की रोजाना की यात्रा की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब ७८ %भूमिगत और ५० % से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

महाराष्ट्र को जीएसटी का हिस्सा दो

वास्तु व सेवाकर (जीएसटी) में का महाराष्ट्र का हिस्सा जल्दी वापस दिया जाय ताकि वह फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिल सके, उक्त अपील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की।

मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने ७ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। इस भेट के बाद उन्होंने सांसद संजय राऊत के १५ सफदरजंग स्थित आवास पर पत्रकार परिशद में यह जानकारी दी। इस अवसर पर पर्यावरण तथा राज्य शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, सांसद हेमंत पाटिल भी भी उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने कहा कि जीएसटी में राज्य का हिस्सा उसे वापस मिले इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पहले भी एक पत्र लिखा था, उसके बाद राज्य को उसके हिस्से की राशि मिली थी। उन्होंने कहा कि यह राशि जल्दी मिले ऐसी अपील उन्होंने प्रधानमंत्री से की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इस बारे में राज्य का पूर्ण सहयोग करेंगें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिले इस बारे में भी चर्चा हुई। वर्तमान में राज्य के १० जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिए कंपनियां नहीं आने की वजह से किसानों के सामने अड़चन आ रही है, इस बात की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गयी। श्री ठाकरे ने कहा कि इस भेंट के दौरान प्रधानमंत्री सही मोदी से केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।

ग्राम पंचायत की नियुक्ति

बिजली बिल वसूली के सन्दर्भ में जिस प्रकार से विविध निजी कंपनियां नियुक्त की जाती हैं, उसी तरह से राज्य के ६ विभागों की एक -एक ग्राम पंचायत को प्रायोगिक तौर पर बिजली के बिल वसूलने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

कर्ण बधिरों के लिए स्वतंत्र सूचना कक्ष

कर्ण बधिरों की परेशानियां दूर करने के लिए तथा सरकार द्वारा उनके लिए लिए गए निर्णय की जानकारी उन्हें देने को सांकेतिक भाषा के जानकारों से युक्त स्वतंत्र सूचना कक्ष मंत्रालय में स्थापित किये जाने की जानकारी सामाजिक न्याय और विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने दी। कर्ण बधिर एसोसिएशन की मांगों पर मंत्रालय में आयोजित की गयी बैठक में श्री मुंडे ने यह जानकारी दी।

कर्ण बधिर विद्यार्थियों तथा उच्च शिक्षण लेने वाले सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्णय किया जाना है। विद्यालयों का दर्जा बढाया जाएगा। इन विद्यार्थियों के लिए आईटीआई की तरह प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से चर्चा कर निर्णय किया जाएगा। सांकेतिक भाषा के डिग्री (स्नातक) पाठ्यक्रम को शुरु करने के लिए भी सरकार सकारात्मक है तथा दिव्यांगों से सम्बंधित निगर्मित किये जाने वाले सरकार के निर्णयों की प्रति भी कर्ण बधिर विद्यालयों व उनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को भेजी जायेंगी। कर्ण बधिर विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जायेंगी तथा उन्हें भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बहुजन कल्याण विभाग की तरफ से 16 नए शुल्कों का अनुदान

विमुक्त जाति, भटकन्तु जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रवर्ग व विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के विद्यार्थियों को अब १६ अन्य शुल्कों की वापसी मिलेगी। उनका अनुदान, अनुदानित व गैर अनुदानित, कायम बिना अनुदानित महाविद्यालयों में व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगी यह जानकारी बहुजन कल्याण विभाग के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी। २००५–०६ से महाविद्यालयों के माध्यम से चलाई जाने वाले विविध उपक्रमों की वजह से अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में हुई बड़ी बढोत्तरी की वजह से यह निर्णय किया गया है। आज तक यह लाभ केवल अनुदानित व गैर अनुदानित महाविद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों में शिक्षा हांसिल कर रहे अभ्यासक्रमों में विजाभज, इमाव व विमाप्र के विद्यार्थियों को मिलता था, परन्तु यह लाभ अनुदानित, बिना अनुदानित और हमेशा के लिए बिना अनुदानित महाविद्यालयों में व्यावसायिक अभ्यासक्रमों को नहीं मिलता था। इसमें प्रवेश फीस, विविध गन दर्शन उपक्रम शुल्क, विश्वविद्यालय विकास निधि, विश्वविद्यालय विद्यार्थी सहायता

निधि /कल्याण निधि, प्रयोगशाला शुल्क, कॉलेज मैगजीन शुल्क, विश्वविद्यालय खेल निधि, विश्वविद्यालय विद्यार्थी बीमा निधि, पुस्तकालय शुल्क, कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क, विश्वविद्यालय अश्वमेध निधि, यूथ फेस्टिवल निधि, जिमखाना शुल्क, पंजीयन शुल्क, विश्वविद्यालय वैद्यकीय मदद निधि, विद्यार्थी पहचान पत्र शुल्क ऐसे १६ शुल्कों का समावेश है।

प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण योजना

यूपीएससी के माध्यम से चयन होने वाली केंद्रीय प्रशासकीय सेवा में अल्प संख्यक समाज का प्रतिनिधित्व बढे इसके लिए अल्प संख्यक आयोग के माध्यम से वर्तमान में पांच जिलों में चलाई जा रही प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण योजना अब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश अल्प संख्यक विकास विभाग को दिए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में इस प्रशिक्षण योजना में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का मासिक विद्या वेतन जो दो हजार रुपये था उसे बढाकर ४ हजार रुपये करने का भी निर्णय किया गया है। वैसे ही सम्बंधित प्रशिक्षण संस्था को दी जा रही निधि की राशि भी अब बढाकर ५० हजार रुपये तक करने का निर्णय किया गया है। इस बात की जानकारी अल्प संख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने दी। अल्प संख्यक समाज का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढे इसके लिए अल्प संख्यक आयोग के माध्यम से केंद्रीय लोकसेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण योजना चलाई जाती है। राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद स्थित केंद्र तथा पुणे के यशदा केंद्र में चुने गए अल्प संख्यक विद्यार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक केंद्र में १० विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। अब इस योजना का विस्तार राज्य के अन्य जिलों में भी किये जाने की तैयारी चल रही है।

शिवभोजन योजना : थालियों की संख्या दोगुना

शिवभोजन योजना को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिलता देख इस योजना के विस्तार के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग को दिए थे। उसके अनुसार इस योजना के तहत थालियों की संख्या बढाकर दोगुना कर दी गयी थी। अब ये थालियां १८ हजार से बढक़र ३६ हजार हो गयी हैं। अन्न व नागरी आपूर्ति तथा उपभोकता संरक्षण विभाग ने इस सम्बन्ध में सरकार का आदेश निर्गमित किया है। इस निर्णय के अनुसार अब हर शिवभोजन केंद्र की लिए कम से कम ७५ व अधिकतम १५० थाली को मांग के अनुसार बढाकर कम से कम ७५ और अधिकतम २०० तक कर दिया गया है।

योजना को भरपूर प्रतिसाद: गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिवभोजन योजना की शुरुवात की गयी थी। और पहले दिन से ही

कृषि मंत्री एक दिन खेतों में

किसानों की समस्याओं को समझने के लिए 'कृषि मंत्री एक दिन खेतों में' इस उपक्रम को चलाने की घोषणा कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने ७ फरवरी को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से की थी। इस घोषणा को उन्होंने एक सप्ताह में ही अमल में लाया। श्री भुसे ने मालेगांव तालुका के वळवाडे, अजंग -वडेल, झोडगे और माळमाथा क्षेत्र के किसानों के खेत में जाकर उनकी समस्याओं को जाना। गांव में कृषि अधिकारी, कृषि सहायक आते हैं क्या, इस बारे में उन्होंने किसानों से पूछा। किसानों को कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देते समय उनकी समस्या जानने के लिए कृषि मंत्री श्री भुसे ने एक दिन खेतों पर का यह उपक्रम भले ही शुरु किया, लेकिन उन्होंने कृषि सचिव, आयुक्त को १५ दिन में एक बार, जिला कृषि अधिकारी को सप्ताह में एक बार किसानों के खेतों पर जाकर उनसे चर्चा करने का निर्देश दिया। इस भेंट के दौरान फसल के नियोजन, उत्पादन, क्षमता जैसे पहलुओं पर चर्चा करते हुए कृषि उपज का उपलब्ध बाजार भाव तथा विविध कृषि योजनाओं की जानकारी भी किसानों को देने के निर्देश भी कृषि मंत्री ने दिए। मालेगांव तालुका के वळवाडे में शांताराम गवळी नामक किसान के खेत पर जाकर कृषि मंत्री ने संवाद किया तथा उनकी समस्या जानी। फसल बीमा योजना तथा प्याज के उत्पादन को लेकर उन्होंने किसानों से चर्चा की।

पुणे मेट्रो : सहयोग समझौता

पुणे मेट्रो प्रकल्प के लिए युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ६०० दशलक्ष (मिलियन) यूरो (करीब ४८०० करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। इसमें पहली किश्त २०० दशलक्ष (मिलियन) यूरो (करीब १६०० करोड़ रुपये) देने के लिए सहयोग करार पुणे मेट्रो और युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में हुआ। युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से पुणे मेट्रो के इस प्रकल्प को गति मिलेगी।

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पुणे मेट्रो के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित व बैंक के उपाध्यक्ष एंड्रू मैक्डॉवेल ने इस करार पर हस्ताक्षर किये। युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से हुए इस करार की वजह से पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम को गति मिलेगी और उसे शीघ्र कायान्वित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकल्प की वजह से पुणे व आसपास के क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था में प्रभावी तरीके से सुधार होगा व पुणे के विकास में योगदान मिलेगा। पुणे मेट्रो की वर्तमान में भौतिक प्रगति करीब ३७% तथा आर्थिक प्रगति करीब २६.५३% हो चुकी है। बैंक द्वारा दी जाने वाली निधि का प्रयोग मेट्रो के भूमिगत मार्ग, डिपो से सहित अन्य कामों पर किया जाएगा। युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का महाराष्ट्र के विविध क्षेत्रों में निवेश का विकास आशादायक है। पुणे मेट्रो के साथ साथ नाशिक मेट्रो व पर्यावरण संवर्धन के प्रकल्पों में आर्थिक सहायता करने की अपील भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर की।

पुणे मेट्रो प्रकल्प के लिए युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ हुए समझौते के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, पुणे मेट्रो के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित व बैंक के उपाध्यक्ष एंड्रू मैक्डॉवेल।

पुणे मेट्रो संक्षेप में: ● पुणे मेट्रो रेल प्रकल्प एक महत्वाकांक्षी शहरी यातायात की सुविधा का प्रकल्प है। ● महामेट्रो के माध्यम से ५०:५०% केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त भागीदारी में यह प्रकल्प बनाया जा रहा है। ● २३ जनवरी २०१७ को इस प्रकल्प का काम शुरु हुआ ● यह प्रकल्प ३२.५ किलोमीटर का है और इसमें ३० स्टेशन हैं। ● प्रकल्प पर कुल खर्च ११,४२० करोड़ रूपये अपेक्षित है। ● केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एएफडी फ़्रांस व युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से प्रकल्प को आर्थिक कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना को राज्य के लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिला था।

केंद्र का चयन पहले की पद्धति से ही: अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग ने १ जनवरी २०२० के सरकार के निर्णय के अनुसार केंद्रों की चयन प्रक्रिया निश्चित की थी। इसी प्रक्रिया के तहत आगे भी केंद्रों का चयन होने की जानकारी सरकार के निरनय के अनुसार ही होगी। अब केंद्र में प्रतिदिन थाली की संख्या आवश्यकता अनुसार २०० तक बढाए जाने की सीमा निधारित की गयी है।

शिवभोजन केंद्रों पर भेंट: अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त तहसीलदार, क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा उनके समकक्ष अधिकारियों के माध्यम से शिवभोजन केंद्र भेंट व जांच किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस भेंट इ दौरान शिवभोजन केंद्र की स्वच्छता, अन्न की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले चरण में केवल सरकारी कार्यालयों, चिकित्सालयों, बीएस और रेल्वे स्थानकों, बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर यह योजना भले ही चलाई जा रही है लेकिन आने वाले समय में इस योजना को और अधिक विस्तार किया जाना है।

दिशा क़ानून की जानकारी

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर पाबंदी लगाने के दृष्टिकोण से कठोर क़ानून लाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसी सिलसिले में आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा अपने प्रदेश में लाये गए दिशा क़ानून की जानकारी लेने के लिए प्रदेश के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आंध्रप्रदेश का दौरा किया। उन्होंने वंहा मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी और गृह मंत्री श्रीमती मेखाथोटी सुचरिता तथा पुलिस महानिदेशक से चर्चा कर दिशा क़ानून के बारे में जानकारी ली। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की त्वरित कार्रवाई कर शीघ्र उनका फैसला करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार ने दिशा क़ानून बनाया है। यौन उत्पीड़न के

लिए अलग से मामला चलाने, २१ दिनों में फैसला देना और अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान इस क़ानून में है। इस प्रकार ऐसे कानूनों से इस प्रकार के अपराधों पर बड़ी रोक होने की संभावना है।

महीने का पहला सोमवार शिक्षण दिन

शाला न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आने वाली शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए वर्तमान में कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं होने है। इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण तत्काल हो, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने विद्यालय, जिला और विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। हर विद्यालय में शिकायत पेटी लगाई जाएगी और इन शिकायतों को तत्काल निवारण करने के लिए लोकशाही दिन की तरह से हर महीने के पहले सोमवार को शिक्षण दिन का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। वर्तमान में विद्यालयों में असुविधा से लेकर विविध प्रशासनिक कामों के बारे में शिकायत निवारण के लिए कोई भी यंत्रणा अस्तित्व में नहीं है। इसलिए अनेक बार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को शहर में आकर शिकायत करनी पड़ती है। इसके साथ ही अनेक बार शिकायत का निवारण नहीं होने के कारण अनेक समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है। अब शिकायतों का निवारण समय पर हो सके इसके लिए शिकायत पेटी की यह योजना शुरु की जा रही है। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक और शिक्षक का समावेश शिकायत निवारण समिति में होगा। जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति में जिला शिक्षा अधिकारी /शिक्षा निरीक्षक, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी कार्यरत रहेंगें।

विभाग स्तर पर उप संचालक की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व संस्था की शिकायतों के निराकरण करने के लिए विभागीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष, विभागीय शिक्षा उपसंचालक, शिक्षा उप निरीक्षक की एक समिति रहेगी। समितियों के माध्यम से विद्यार्थी व अभिभावकों को बताई गयी गणवेश नहीं मिलना, किसी भी प्रकार का शोषण, शिक्षा के अधिकार का क़ानून का उल्लंघन जैसी किसी भी प्रकार शिकायत तत्काल निवारण की जा सकती है। यही नहीं संस्था चालक भी संस्थात्मक वाद को लेकर शिकायत कर सकते हैं। अंक तालिका (मार्क सीट) के अंकों को लेकर शिकायत जैसे वाद भी इस माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। शिकायत करने के लिए हर बार शिक्षा अधिकारी के कार्यालय न जाकर उसे स्थानीय स्तर पर सुलझाने की यंत्रणा तैयार की गयी है।

महाराष्ट्र 'स्टेट ऑफ़ ईयर' पुरस्कार का सम्मान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के हाथों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में महाराष्ट्र राज्य को 'स्टेट ऑफ़ द ईयर ' पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने ग्रहण किया। सीएनबीसी टीवी १८ इण्डिया द्वारा आयोजित इंडियन

बिजनेस लीडर कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन, पर्यावरण तथ राज शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगपति मुकेश अंबानी आदि उपस्थित थे।

माणगांव परिषद का शताब्दी महोत्सव

राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की उपस्थिति में भारत रत्न डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की अध्यक्षता में माणगांव (तालुका हातकणंगले) में २१ और २२ मार्च १९२० को पहली ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का शताब्दी महोत्सव समारोह २१ मार्च २०२० को माणगांव में आयोजित किया जाएगा, इस बात की जानकारी सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के मंत्री धंनजय मुंडे ने दी। माणगांव परिषद के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रख सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग व बार्टी के माध्यम से माणगांव परिषद के शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके यि माणगांव परिषद शताब्दी समिति के माध्यम से विविध कार्यक्रम व उपक्रम का आयोजन किया

मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे का नाशिक विभाग का दौरा स्मरणीय और सुखद अनुभव देने वाला साबित हुआ। उनके रूप में अपने लोगों के समाधान में आनंद ढूंढने वाले परिवार प्रमुख का दर्शन नागरिकों को मिला। एक शांत, संयमी और उतने ही संवेदनशील व्यक्तित्व को करीब से देखने का अनुभव मिला।

ाशिक जिलाधिकारी कार्यालय में विभाग के जिलों की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री

परिवार प्रमुख के सुखद दर्शन

डॉ. किरण मोघे

नाशिक जिलाधिकारी के कार्यालय में विभाग के प्रत्येक जिले की समीक्षा बैठक अलग -अलग की गयी। इन बैठकों में जिले के विधानसभा सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हर विधायक के विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी ली गयी तथा उनका तत्काल बैठक में ही हल निकालने का निर्णय किया गया। बैठक में उपस्थिति विधायकों ने मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कहा हमारी बातें शांतिपूर्वक ध्यान से सुनी और उस पर त्वरित निर्णय करना, यह हमने पहली बार देखा है, इसके लिए आपको मनपूर्वक धन्यवाद।

एक के बाद एक समस्या बतायी जा रही थी। हर विधायक को बोलने का अवसर। सवाल सामने आते ही.... इस पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सवाल अधिकारियों से... प्रशासनके सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित होने की वजह से तत्काल निर्णय और सवाल का समापन करते हुए दो तीन मिनट के भाषण में निर्णयों की जानकारी.... साथ ही यह संवाद ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा, आपकी सूचनाएं देते रहिये ऐसा भरोसा भी दिया.... बैठक से निकलने वाले जन प्रतिनिधियों के चेहरे पर समाधान की खुशी स्पष्ट नजर आ रही थी।

मुंबई -पुणे -नाशिक स्वर्ण त्रिकोण

नाशिक जिले की बैठक में मुंबई -पुणे -नाशिक स्वर्ण त्रिकोण (गोल्डन ट्राई एंगल) के संबंध में कार्यवाही करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। साथ ही मालेगांव के विकास पर भी बल दिया। कृषि पम्पों को बिजली की आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों के लिए बालू आपूर्ति, पर्यटन विकास, निफाड़ में ड्राई पोर्ट, नदी जोड़ परियोजना, मनमाड के पानी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय किये।

निळवंडे बाँध का काम दो साल में

अहमदनगर जिले की बैठक में निळवंडे बाँध का काम दो साल में पूरा करने तथा उसके लिए ११०० करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की बात श्री ठाकरे ने कही। पश्चिम वाहिनी नदियों का पानी गोदावरी बेसिन में लाना, अहमदनगर एमआईडीसी का विस्तार, सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के अहमदनगर और नाशिक में उपकेंद्र, शिर्डी हवाई अड्डे का विकास, श्रीरामपुर में विद्युत उपकेंद्र शुरु करना तथा कोपरगाँव में न्यायालय की इमारत आदि के बारे में इस अवसर पर निर्णय किया गया।

कृषि पम्पों को दिन में बिजली

कृषि पम्पों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की मांग जलगांव जिले के किसानों ने की थी। इस मांग के संबंध में वंहा के विधायकों के कहने पर उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग को इसके सम्बन्ध में नियोजन करने के निर्देश दिए। जिले के अधूरे पड़े सिंचाई प्रकल्प को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की बात भी उन्होंने कही। जिला क्रीड़ा संकुल के लिए निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। चालीसगांव -मालेगांव सड़क को दुरुस्त करना, चालीसगांव में प्रशासकीय इमारत, अमळनेर में चिकित्सालय का दर्जा ऊँचा करना धानोरा में सब स्टेशन बनाने का

भी निर्णय किया गया।

धुळे –मालेगांव रोड पर उडान पुल

धुळे की यातायात समस्या को सुलझाने के लिए मालेगांव रोड पर उडान पुल तैयार करने के लिए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने अधिकारियों को दिए। जलयुक्त शिवार योजना के शुरु किये काम पूर्ण किये जायेंगें, यह भी उन्होंने बताया। शिरपुर में स्वास्थ्य केंद्र की समस्या के समाधान करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। आदिवासी आश्रम शाळा व छात्रावास के निर्माण, जिला चिकित्सालय में १०० शय्याओं (बेड्स) की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पद, ग्रामीण चिकित्सालय के सम्बन्ध में भी मुख्यमंत्री ने सकारात्मक निर्णय किया।

नंदुरबार सौंदर्य सौंदर्य से भरपूर जिला

नंदुरबार जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा कि यही सुंदरता इस परिसर का आकर्षण है। कार्य की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र में आने के लिए समय भले ही कम मिलता है लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सुसरी प्रकल्प के लिए १.७५ करोड़ व धनपुर प्रकल्प के लिए १.५ करोड़ रुपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से क्षेत्र की जनता खुश हो गयी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि इस दुर्गम क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क के लिए वे केंद्र सरकार से चर्चा करेंगें।

न्यायाधीध बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय

महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद की तरफ से आयोजित 'वकील परिषद २०२०' में मुख्यमंत्री उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जिला न्यायालय की नयी इमारत का भूमिपूजन समारोह भी हुआ। इस अवसर पर उन्होंने जिला न्यायालय की हेरिटेज गैलेरी का अवलोकन भी किया। परिषद में 'शीघ्र व आधुनिक न्याय की दिशा' विषय पर चर्चा सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि समय के अनुसार समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ब्रिटिश कालीन कानूनों को बदलने की जरूरत है। न्यायाधीश बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाने के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। जनता को कम समय में न्याय मिलने के लिए अच्छे न्यायाधीशों की परंपरा को आगे बढाने वाले न्यायाधीश बने और रामशास्त्री प्रभुणे जैसे न्यायाधीश इस विश्वविद्यालय से तैयार हों ऐसी अपेक्षा मुख्यमंत्री ने व्यक्त की।

संतुष्ट हैं ना !

मुख्यमंत्री ने वडाला नाका परिसर स्थित द्वारका माई बचत समूह द्वारा चलाये जा रहे शिवभोजन केंद्र का दौरा किया और वंहा लाभार्थियों से चर्चा भी की । शिवभोजन थाली से आप संतुष्ट हैं क्या ? मुख्यमंत्री के इस सवाल पर तुकाराम नाडे नामक लाभार्थी की आँखों में पानी आ गया।मुख्यमंत्री जिस आस्था से पूछ रहे थे यह उनके और अन्य लोगों के लिए एक सुखद अनुभव ही था । 'शांति से भोजन कीजिये, खाना अच्छा है ना ' ऐसा पारिवारिक आत्मीयता भरा संवाद लाभार्थियों के लिए खाने से ज्यादा मिठास देने वाला सिद्ध हुआ ।

किसान महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जलगांव दौरे के दौरान जैन इरिगेशन लिमिटेड की तरफ से दिए जाने वाले पद्मश्री डॉ. अप्पासाहब पवार आधुनिक कृषि उच्च तंत्र पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, श्रम मंत्री दिलीप वळसे पाटिल, कृषि मंत्री दादाजी भुसे, जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु है। किसानों को कर्ज के जाल से निकालने के लिए महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना प्रथमोपचार है। किसानों के बीज, पानी और कृषि उपज को उचित भाव दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। श्री ठाकरे के हाथों जैन हिल्स स्थित कृषि जैव तकनीक संशोधन व विकास केंद्र का उद्घाटन भी किया गया।

मुख्यमंत्री पद की बड़ी जवाबदारी

मुक्ताईनगर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए। श्री ठाकरे ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री पद की बड़ी जवाबदारी मिली है और इस जवाबदारी को निभाते समय किसान, बेरोजगार, युवाओं, महिलाओं के काम करने की शुरुवात राज्य सरकार ने कर दी है।

प्र. उप संचालक (सूचना), नाशिक

निसर्गरम्य गणपतीपुळे

आपकी सरकार आंकड़े बताने से ज्यादा कार्य को महत्व देती है। कोकण के विकास के लिए निधि कम पड़ने नहीं दी जाएगी। गणपतिपुळे ही नहीं कोकण के साथ साथ नया महाराष्ट्र निर्माण करने का काम हम सब मिलकर करेंगें, उक्त बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोकण दौरे के दौरान कही।

नया कोकण नया महाराष्ट्र बनाएंगे

सिंधुदुर्ग जिले के विविध कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सविस्तार से की। तिलारी प्रकल्प क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए वन क्षेत्र आरक्षित कर पर्यटन की सुविधा विकसित करने के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार किया जाय .एलईडी मछली मारने के खिलाफ कठोर क़ानून बनाया जाएगा। जिले के सभी रिक्त पड़े सरकारी पदों की समीक्षा कर उनके भरने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही शुरु की जाय, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए।

कबुलायतदार गांवकार प्रकरण में जिले में महाराष्ट्र सरकार के नाम दर्ज ६५८ हेक्टेयर जमीन के बारे में एकत्रित बैठक लेकर निर्णय किया जाएगा। जिले में बनाये जाने वाले धूप प्रतिबंधक बाँध, पत्थर से बनाये जाएँ, इस सम्बन्ध में विभाग प्रस्ताव पेश करे। समुद्री महामार्ग को कांक्रीट का बनाने की बजाय कम खर्च में टिकाऊ सड़क बनाने के लिए बैच मिक्स का इस्तेमाल किया जाय . रेडी व आरोंदा बंदरगाह फिर से सरकार लेने का विचार करेगी। पनडुब्बी परियोजना के बारे में सकारात्मक विचार करेंगे, जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला खेल संकुल बनाया जाएगा। कवि मंगेश पाडगाँवकर के साथ साथ अन्य महान व्यक्तियों के स्मारक बनाये जाने का प्रस्ताव लाया जाय .इनमें इन व्यक्ति विशेष का समावेश रहना चाहिए इस बात का ध्यान रखें। एक महीने के अंदर पर्यटन विकास महामण्डल जिले की परिपूर्ण पर्यटन योजना का प्रस्ताव पेश करे जैसे महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस अवसर पर दिए।

मच्छीमारों की कर्जमाफी पर विचार

राज्य में किसानों के २ लाख रुपये तक के कर्ज माफ़ करने की घोषणा की जा चुकी है। इसी तरह से मच्छीमारों के भी कर्ज माफ़ करने प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। मच्छीमारों का सर्वेक्षण कर उनका वर्गीकरण तैयार किया जाय .मच्छीमारों का कर्ज कितना है, किस प्रकार का है, किस वर्ग के मच्छीमार इसके लिए पात्र हो सकते हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी सादर की जाय .इन सभी बातों का अध्ययन कर मच्छीमारों की कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा।

कणकवली ट्रॉमा केयर

कणकवली में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर शीघ्र ही शुरु होगा। इसी तरह से वायरलॉजी लैब भी अप्रैल तक शुरु हो जाएगा। माकड बुखार का नया टीका मिलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वेंगुर्ला स्थित उप जिला चिकित्सालय का काम पूर्ण हो चुका है और अप्रैल में यह चिकित्सालय शुरु हो जाएगा। कुडाल स्थित महिला व बाल चिकित्सालय के यि लगाने वाली निधि देने की तत्काल व्यवस्था की जाय . जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग योग्य ध्यान दें, इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने इस समय अधिकारियों को दिए।

अपूर्ण व अटके प्रस्ताव प्रगति पर

जिले के अरुणा, नरवडे, सी वर्ल्ड जैसे अटके हुए प्रकल्प शीघ्र ही प्रगति पथ पर

होंगे। सी वर्ल्ड जैसे प्रकल्प के लिए निजी निवेशक लाकर, उन्हें पूंजीगत अनुदान देकर प्रकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अटके हुए सिंचाई प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए, उनकी दिक्क्तें दूर कर प्रकल्प को प्रगति पथ पर लाने का काम किया जाएगा। २२ करोड़ १२ लाख के खर्च वाले मसुरे (आंगणेवाड़ी) लघु बाँध योजना को प्रशासकीय मान्यता दी गयी है और इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पालकमंत्री उदय सामंत को सौंपा। इस अवसर पर कोनशिला का अनावरण भी मुख्यमंत्री के हाथों किया गया।

सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग किले पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर में जाकर शिव छत्रपति के दर्शन किये। किले पर स्थित भवानी माता के मंदिर में जाकर माता भवानी के भी दर्शन किये।

नए उद्यमियों को मंजूरी पत्र वितरण

मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम के तहत सिंधुदुर्ग जिले में पांच नए उद्योगपतियों को उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की उपस्थिति में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मंजूरी पत्रों का वितरण किया गया। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले व उनसे रोजगार पैदा हों इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम शुरु किया गया है। इसके तहत जिले में १०२ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

देवस्थान समितियों की जमीन

राज्य की देवस्थान समितियों की जमीन का हस्तांतरण सुलभ तरीके से हो इसके लिए एक महीने में नीतिगत निर्णय किया जाएगा, यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने की। रत्नागिरी जिले के विविध विषयों की सविस्तार समीक्षा बैठक भी उन्होंने की।

“ मुंबई में भी समुद्र है और कोकण में भी। लेकिन कोकण के समुद्र फोटोग्राफी के हिसाब से स्वच्छ और नर्मल हैं, यह मैंने दुर्गों की फोटोग्राफी करते समय देखा है। यंहा की मिट्टी के लोग भी इतने ही निर्मल हैं। ऐसे कोकण के विकास के लिए निधि कभी कम होने नहीं दूंगा।

– श्री उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री ”

बाढ़ तटबंधों को मान्यता

इस साल मानसून में राजापुर शहर में बाढ़ का पानी घुस गया था और दो मंजिल तक इमारते डूब गयी थी। इसी तरह से चिपळूण के बाजार में करीब १० फुट ऊंचाई तक पानी भर गया था। इन दोनों ही शहरों में बाढ़ रोकने के लिए नदी से लगते हुए संरक्षण भीत बनाये जाने की मान्यता मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दी।

पद भर्ती की चक्राकार पद्धति

रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इन दोनों ही जिलों में बड़े पैमाने पर सरकारी पदों के रिक्त होने की समस्या है। इनके बारे में नीतिगत निर्णय किया गया है और सभी पद भरे जायेंगें लेकिन ये नियुक्तियां चक्राकार पद्धति से होंगी। इस भर्ती प्रक्रिया में इन दोनों जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रत्नागिरी जिले को रायगड से जोड़ने वाला पुल मेरी टाइम बोर्ड की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग की निधि से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रत्नागिरी के नजदीक निवळी घाट तथा अन्य सडकों के काम को भी प्राथमिकता दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही।

टीम लोकराज्य

गणपतिपुळे विकास योजना

गणपतिपळे की १०२ करोड़ रुआपये की विकास योजना का भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों किया गया।

ऐसी है विकास योजना: पहला चरण : ■ श्री क्षेत्र गणपतिपुळे गणपति मंदिर तथा परिसर संबंधित योजना के काम ■ श्री क्षेत्र गणपतिपुळे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करना ■ पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता सम्बंधित काम ■ अधिक क्षमता के सार्वजनिक स्वच्छता गृह व शौचालय बनाना ■ पर्यटक और श्रद्धालुओं के समुद्री स्नान के लिए सुरक्षा की दृष्टी से समुद्री किनारे पर स्थान आरक्षित करना।

दूसरा चरण : ■ मलनि:सारण प्रक्रिया प्रबंधन, घनकचरा प्रबंधन ■ वाहनतल और सौर ऊर्जा के काम।

तीसरा चरण : ■ श्री क्षेत्र गणपतिपुळे गांव व परिसर की सडकों का सुधार ■ यह योजना ३१ मार्च २०२२ तक पूर्ण करने का उद्देश्य रखा गया है।

सारंग खानपुरकर

भारत भूमि पर राज्य कर रहे पांच शाहों के नाक में दम करके हिंदवी साम्राज्य का निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जिस स्थान पर सिंहासन पर विराजमान हुए वह है रायगड .स्वराज्य की दूसरी राजधानी। राजगड से २५ साल तक राज कार्य करने के बाद दृष्टि से अपनी राजधानी रायगड स्थानांतरित कर ली। समुद्र के निकट और अत्यंत दुर्गम रायरी के पहाड़ शिवराया ने साल १६५६ में जावळी के मोरों से जीते थे। उसका आकार और जगह को देख कर उन्होंने तख़्त की जगह, इसे ही गड बनाओ के उदगार निकाले। बीजापुर को निकले कल्याण के सूबेदार का खजाना लूटकर उसी पैसे से रायगड का निर्माण किया गया। इस गड पर सरोवर, कुँए, कारखाने, वाडे, मंदिर आदि आदि का दर्शनीय निर्माण किया गया। एक ऊंची चट्टान पर बने, शत्रुओं के लिए अविजित लगने वाला यह गड देखकर आप आश्चर्यचकित हो जायेंगें। हिरकणी ने एक बार इस गड को चौंका दिया था। (शिवराया के राज्याभिषेक के सर्वोच्च आनंद के क्षण को देखने वाले इस गड के नसीब में उनके महानिर्वाण को देखना भी लिखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के अनेक उतार चढ.ाव को देखने वाला यह किला निर्माण शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। यह गड शिव प्रेमियों व दुर्ग प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है।

भौगोलिक स्थान

गिरी दुर्ग श्रेणी के रायगड की ऊंचाई समुद्र तल से २८५१ फुट है। इस गड के पूर्व में लिंगाणा, दक्षिण में मकरंद गड, प्रताप गड और वासोटा हैं। उत्तर में कोकण दिवा तथा

महाराष्ट्र का गर्व रायगड

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का साक्षीदार रायगड महाराष्ट्र के दैदीप्यमान गवाही देता है। रायगड केवल गड नहीं वह महाराष्ट्र की अस्मिता और गर्व का प्रतीक है .यंहा का हिरकणी बुर्ज महाराष्ट्र की धैर्यशील महिलाओं के शौर्य की गाथा सुनाता आज भी खड़ा है . छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के अनेक उतार चढाव को देखने वाला यह किला निर्माण शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। यह गड शिव प्रेमियों व दुर्ग प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है।

आग्नेय कोण में राजगड और तोरणा हैं। रायगड जिले में महाड से २५ किलोमीटर की दूरी पर यह गड है।

गड पर देखने योग्य स्थान

पाचाड में जीजाबाई का वाड़ाः रायगड पर स्वराज्य की राजधानी बनायी उस समय तक राजमाता जिजाऊसाहब की उम्र प्रौढावस्था में पंहुच चुकी थी। गड पर चलने वाली तेज हवाएं, पानी उन्हें जम नहीं रहा था, इसलिए शिवराया ने गड की तलहटी में पाचाड गांव में एक रजवाडा उनके लिए बनाया। जिजाऊ अधिकाँश समय वंही रहती थीं। इस रजवाड़े में पानी का कुआं है। जीजाबाई के बैठने के लिए पत्थर का आसन भी वंहा देखने को मिलता है। यंहा के कुँए को टाँके का कुआं कहते हैं।

खूबलडा बुर्ज : सीढ़ियां चढक़र गड के समीप आने पर एक बुर्ज दिखाई देता जिसे खूबलडा बुर्ज कहते हैं। बुर्ज के पास एक जमाने में रहा चित दरवाजा है जो आज पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है।

नाना दरवाजाः नाना उर्फ़ नाणे दरवाजा यानी छोटा दरवाजा। दो कमानी वाले इस दरवाजे के अंदर की तरफ दो कमरे हैं तथा पहरेदारों के लिए बनाये गए इन कमरों को गोखडे कहते हैं।

मस्जिद मोर्चाः चित दरवाजे के मार्ग से आगे जाने पर एक समतल जमीन आती है। इस समतल जमीन के एक तरफ मदन शहा नाम के एक साधू का स्मारक है। इसके पास में दो इमारतें हैं। इनमें से एक अनाज रखने की कोठरी तथा दूसरी तोप खाना है। थोड़ी दूर आगे जाने पर पत्थर तोड़कर बनायी गयी तीन गुफाएं हैं।

महा दरवाजाः रायगड के महा दरवाजे में दो बड़े बुर्ज हैं। इसमें से एक की ऊंचाई ७५ फुट तथा दूसरे की ऊंचाई ६५ फुट है। दरवाजे पर दोनों ही कमल की आकृति उकेरे हुए चित्र दिखते हैं। इन कमलाकृतियों को लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतीक माना जाता है।

पालखी दरवाजा

हाथी व गंगा सागर तालाबः महा दरवाजे से थोड़ा अंदर जायेंगें तो सामने जो तालाब दिखता है वह हाथी तालाब है। रायगड पर गज शाला थी और हाथी इस तालाब में स्नान करते होंगे या पीने के लिए इस तालाब का पानी उपयोग में लाया जाता रहा होगा। आगे जाने पर गंगा सागर तालाब दिखाई देता है जिसकी दक्षिण की तरफ दो ऊँचे मनोरे हैं जिन्हें स्तंभ कहा जाता है।

पालकी दरवाजाः इन दोनों स्तंभों के पश्चिम में एक भीत बनी हुई है। वंहा से सीढियां चढक़र ऊपर जाने पर पालकी दरवाजा लगता है।

राजभवन: रानियों के महल के सामने सेवकों के कक्ष थे जिनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। महाराज के राजभवन का चबूतरा ८६ फुट लम्बा और 6 फुट चौड़ा है।

राजसभा: २२० फुट लंबी और १२४ फुट चौड़ी राजसभा है जंहा पांच से 6 हजार लोग बैठ सकते हैं।

रायगड पर जाएँ कैसे

रायगड, पुणे और मुंबई और सातारा से करीब -करीब समान दूरी पर स्थित है। इन तीनों ही स्थानों से यंहा दो पहिया, चार पहिया या बस से जाय जा सकता है। मुंबई से मुंबई -गोवा मार्ग पर महाड से यह २४ किलोमीटर की दूरी पर है। रायगड के तल में आजकल रोप वे की सुविधा है। इसमें बैठकर मात्र 4 मिनट में आप गड पर पंहुच सकते हैं।

लेखक दै. सकाळमध्ये पत्रकार आहेत.

गड का इतिहास

रायरी, रायगड का पुराना नाम है। इस गड के नंदादीप, जंबूद्वीप, रायगिरी, शिवलंका, भिवगड, इस्लाम गड आदि नाम भी थे .इस गड की रचना को देख पश्चिमी देशों के लोगों ने इसका नाम पूर्व का जिब्राल्टर दिया। पांचवी शताब्दी तक शिर्के घराने के पास इस गड का कब्जा था। उस समय इसका स्वरुप किले जैसा नहीं था। निजामशाही के दौरान इस गड का इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। बाद में शिवराया ने १६५६ में इस गड को जीतकर अपने कब्जे में लिया। इस गड पर छत्रपति शिवाजी राजा का ६ जून १६७४ को राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पहले राजा ने देवी को तीन मन सोने का छत्र चढाया था। स्वराज्य के लिए दिन रात संघर्ष और रक्त बहाने वाले शिवराया ने इसी गड पर अपना शरीर त्यागा। १६८९ में राजाराम महाराज के कार्यकाल में सूर्याजी पिसाळ की कारस्तानी से स्वराज्य का यह मुकुट मणी मुगलों के हाथों लग गयी। इसके बाद करीब ४४ वर्षों बाद शाहू महाराज के राज में १७३३ में मराठों ने एक बार फिर से इस गड पर अपना कब्जा जमाया।

निरोगी महिला निरोगी समाज

कुटुंबाला प्राधान्य देणाऱ्या महिलांचे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असते. महिलांनी आरोग्यविषयक अधिक सजग राहायला हवे. समाजरथाचे दुसरे महत्त्वाचे चाक असलेल्या महिला जर निरोगी असतील तरच समाज निरोगी राहील.

डॉ. सुजाता जोशी -पाटोदेकर

आरोग्य स्वास्थ्य का मतलब केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याणकारी अवस्था यानी सर्वांगीण स्वास्थ्य या पॉजिटिव हेल्थ है। स्वास्थ्य की ऐसी परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से बतायी गयी है। 'महिला स्वास्थ्य ' विषय पर लिखते समय उक्त परिभाषा के हिसाब से महिलाओं के दृष्टिकोण से पक्ष रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य पूर्ण तंदुरुस्ती के लिए आहार -विहार, व्यायाम, शांत मन इन तीन सूत्रों का महत्व है। इन तीनों बातों का बारंबार बात विविध माध्यमों से की जाती है 'महिलाओं में ये तीन सूत्र किस हाल में हैं ? शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में फर्क कुछ नजर आता है इस बात का ध्यान देना होगा।

महिला व आहार

ज्यादा उपवास: सप्ताह में अलग -अलग उपवास को महिलाओं ने अपना एकाधिकार जैसा बना लिया है। महिलायें महीने में ८ से १२ दिन उपवास करती हैं और ये उपवास गलत तरीकों से किये जाते हैं और बार बार दोहराये जाते हैं। इस वजह से संतुलित आहार के कारण महिलाओं में विविध शिकायतें शुरु हो जाती है जैसे पित्त बढ़ना, सर दर्द, वजन वृद्धि, हाथ पांव दर्द होना, कमजोरी बढ़ना आदि।

महिला व व्यायाम

गृह कार्य की व्यस्तता के शिवाय नौकरी के लिए घर से बाहर जाने वाली महिलाओं के लिए व्यायाम के लिए समय निकालना वास्तव में बहुत कठिन काम है। उम्र के चालीसवें साल के आसपास हड्डियों को लेकर शिकायतें शुरु हो जाती है। इस उम्र में मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद महिलाओं को नियमित तौर पर स्वास्थ्य की जांच कराना आवश्यक है।

महिला व मानसिक स्वास्थ्य

महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म,मातृत्व और रजोनिवृति की श्रृंखला के कारण अंतः स्त्रावी ग्रंथियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनकी वजह से स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को नियमित जांच कराते रहना चाहिए।

लोकराज्य या प्रकाशनाची मालकी व अन्य माहिती, यासाठी द्यावे लागणारे निवेदन
तक्ता - ४ नियम ८ वा

१) **प्रकाशन ठिकाण**	: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२
२) **प्रकाशन काल**	: मासिक
३) **मुद्रकाचे नाव**	: अनिल आलूरकर
भारताचे नागरिक आहेत का?	: होय
४) **प्रकाशकाचे नाव**	: अनिल आलूरकर
भारताचे नागरिक आहेत का?	: होय
पत्ता	: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२
५) **संपादकाचे नाव**	: डॉ. दिलीप पांढरपट्टे
भारताचे नागरिक आहेत का?	: होय
पत्ता	: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२

मी अनिल आलूरकर असे जाहीर करतो की,
माझ्या माहितीप्रमाणे वरील तपशील पूर्णपणे खरा आहे.

अनिल आलूरकर
मुद्रक व प्रकाशक

साहब कर्ज मुक्ति की रकम जमा होने वाली है अब बेटी की शादी की चिंता नहीं... आप भी शादी में आओ... ऐसा कृषि अपनत्व का आमंत्रण परभणी के विठ्ठलराव गरुड ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिया। पहली बार कर्ज मुक्ति के लिए चक्कर काटने नहीं पड़े ऐसे विचार अहमदनगर जिले के पोपट मुकटे नामक किसान ने मुख्यमंत्री के समक्ष व्यक्त किये। यह दोनों ही प्रतिनिधिक प्रतिक्रिया महात्मा जोतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना के सफलता से लागू होने के यश को अधोरेखित करने वालीसाबित हुई।

कर्ज ख़त्म हुआ साहब, अब बेटी की शादी में आइये...!

अजय जाधव

महात्मा महात्मा जोतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों हुआ। इस अवसर पर परभणी, अहमदनगर और अमरावती जिले के लाभार्थी किसानों से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर पात्र सिद्ध हुए किसानों की पहली सूची भी जारी गयी।

महात्मा जोतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बालासाहब पाटिल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, कृषि मंत्री दादाजी भुसे के हाथों किया गया।

चक्कर लगाने पडे क्या ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ परेशानी हुई क्या ?कितने चक्कर लगाने पडे, कितना कर्ज लिया था, किस फसल के लिए कर्ज लिया था। पहले की और अब की कर्ज मुक्ति योजना में क्या फर्क लगता है ऐसे सवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने लाभार्थी किसानों से पूछे। इनके जवाब में योजना से शत प्रतिशत समाधानी होने की बात अहमदनगर जिले के पोपट मुकटे ने कही। उन्होंने कहा पिछली बार पांच -छह बार चक्कर लगाने पड़े थे एक अंगूठे से ही काम।

बेटी और जमाई को शादी की शुभकामनाएं

परभणी के पिंगळी के विठ्ठलराव गरुड ने कर्ज मुक्ति की रकम मिलने से चिंता ख़त्म होने की बात कही। और बेटी की शादी तय होने की खुश खबर उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दी। इस पर अजित पवार ने बेटी और जमाई को शादी की बधाई देते हुए पूछा कि बेटी की शादी कंहा तय हुई है। इस बात को सुन खुशी से विठ्ठलराव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शादी आमंत्रण भी दे दिया।

योजना की सफलता का श्रेय यंत्रणा को

राज्य के बलीराजा को कर्ज मुक्ति देकर चिंता मुक्त करने वाली इस बड़ी योजना को लागू केवल ६० दिन के अंदर -अंदर किया गया। इसका श्रेय इस कार्य में जुटी सरकारी मशीनरी को है। इस योजना को लागू करते समय हम किसानों पर कुछ उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना मन में नहीं रखें। किसानों का आशीर्वाद हम इस माध्यम से ले रहे हैं इसकी वजह से हम ही लाभार्थी हैं। कुछ स्थानों पर इसे लागू होने में देर इसलिए किसान भाई नाराज नहीं हों। इस यंत्रणा का काम देखने वाले सभी किसानों के सवालों को समझें और अपना संयम नहीं खोएं .बलीराजा को दुखी नहीं करें, इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

कर्ज मुक्ति योजना

बलीराजा कर्ज मुक्त हो इस बात के लिए हमारे प्रयास हैं। इसी भावना से इस योजना को शुरु किया गया है। कर्ज मुक्त होकर किसान फिर से धरती मां की सेवा कर सकें, खेती से अच्छी फसल उपजा सकें, इसके लिए सरकार ने यह योजना लाई है। किसान आनंद से रहें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ऐसी हमारी भूमिका है, उक्त बात उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कही।

३५ दिनों में ३५ लाख कर्ज खातों की सूचना

इस अवसर पर अमरावती में सुरेश कोटेकर, सरिता गाढवे, बाबाराव दामोदर से भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने संवाद साधा। योजना के तहत ३४ लाख ८३ हजार ९०८ किसानों के खातों की जानकारी हांसिल हुई है। १५ हजार ३५८ किसानों की सूची जारी की गयी। ३५ दिनों में ३५ लाख कर्ज खातों की जानकारी हांसिल हुई। १५ दिन के अंदर इन सूचनाओं का लेखा परीक्षण किया गया। योजना को कंप्यूटर के माध्यम से अमल में लाया जा रहा है। किसानों की हामी देने के बाद कर्ज मुक्ति की रकम खातों में जमा कर दी जाएगी। आधार के प्रमाणीकरण के बाद किसानों को उनके पंजीयन की रसीद दी जा रही है।

विभागीय संपर्क अधिकारी

महाराष्ट्र शासन
सहकार विभाग

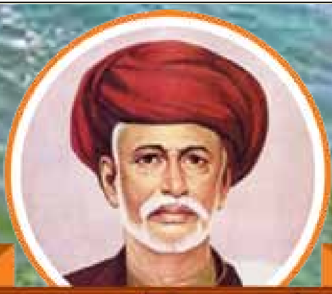

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

२०१९

• जाहिर आव्हान •

कर्जमुक्ति योजना के तहत किसानोंकी सूचियां जाहिर की जा रही है। जिन किसानों के नाम इस सूची में हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करा लें। इस योजना का लाभ केवल जरूरतमंद किसानों को मिलना ही अपेक्षित है। इसलिए नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार लाभ अनुज्ञेय नहीं होने वाले व्यक्तियों के नाम घोषित की गयी सूची में समावेशित हैं वे इस योजना का लाभ नहीं लें। यह जाहिर रूप से रहा है।

निम्नलिखित व्यक्तियों को इस योजना का लाभ अनुज्ञेय नहीं:

- महाराष्ट्र राज्य वर्तमान / पूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, वर्तमान और पूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
- केंद्र व राज्य सरकार के सभी अधिकारी / कर्मचारी (जिनका कुल वेतन २५००० रुपये से ज्यादा है, मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर)
- राज्य के सर्वाजनिक उपक्रम (उदाहरण : महावितरण, एसटी महामण्डल आदि) व अनुदानित संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी (जिनका कुल मासिक वेतन २५००० रुपये से ज्यादा है)
- कृषि उपज से अतिरिक्त आय पर आयकर भरने वाले व्यक्ति
- पेंशनधारी व्यक्ति जिनका कुल मासिक वेतन २५००० रुपये से ज्यादा है (पूर्व सैनिक छोड़कर)
- कृषि उत्पन्न बाजार समिति, सहकारी चीनी मिल, सहकारी सूत गिरणी, नागरी सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व सहकारी दूध संघ के अधिकारी पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडल)

श्री. उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

Visit: www.mahanews.gov.in | Follow Us: /MahaDGIPR | Like Us: /MahaDGIPR | Subscribe Us: /MaharashtraDGIPR

प्रति / TO

O.I.G.S. भारत सरकार के सेवार्थ LOKRAJYA

If undelivered, please return to:

प्रेषक / **From**
अनिल आलूरकर
उपनिदेशक (प्रकाशन), सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय
लोकराज्य शाखा, ठाकरसी हाऊस, २री मंजिल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट हाऊस के पास, शुरजी वल्लभभाई मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ००१

लोकराज्य मासिक पत्रिका सूचना एंव जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई की ओर से मुद्रक व प्रकाशक अनिल आलूरकर, उपनिदेशक (प्रकाशन), ने मे. मुद्रण प्रिंट एन पैक प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं सी-२६०, एमआईडीसी, टीटीसी इंडिस्ट्रियल एरिया, सविता केमिकल रोड, बिहाइंड गोकुल होटल, पवने, नवी मुंबई - ४०००७०३ से छपवाकर सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ से प्रकाशित किया ।

मुख्य संपादक : ब्रिजेश सिंह